लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[तृतीय माला / Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक) / Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक)तक / April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XLII contains Nos. 41—50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 44 शुक्रवार, 23 अप्रैल, 1965 / 3 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
988	काजू का उत्पादन तथा निर्यात	4109—12
989	इस्पात पुनर्बेलन उद्योग	4112—15
991	अफगानिस्तान के साथ औद्योगिक सहयोग	4115—16
993	कारों का वितरण	4116—21
994	छोटा नागपुर में टसर उद्योग	4121—22
995	लोहा और इस्पात का विनियंत्रण	4123—25
996	न्यूयार्क विश्व मेला	4125—26
997	बेबी फूड का उत्पादन	4126—27
998	वाह तथा रोहड़ी में सीमेंट कारखाने	4127—28
999	रेलवे टिकटों का हिन्दी में छापा जाना	4128—31
1000	उर्वरक तथा रासायनिक उपकरण का निर्माण	4131—32

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

11	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल	4132—33

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या

990	जापानी इस्पात उत्पाद	4134
992	घटिया किस्म के कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग	4134—35
1001	लीपज़िग मेला	4135
1002	सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में सूत की मिलें	4135—36
1003	मशीनी औज़ार कारखाने	4136—37
1004	जापान को लोह अयस्क का निर्यात	4137
1005	आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन	4137—38
1006	सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनायें	4138
1007	टेलीविज़न सेटों का आयात	4139
1008	चाय वित्त तथा प्रत्याभूति निगम	4139—40
1009	बिहार में राखा तांबा निक्षेप	4140
1011	कारों और स्कूटरों का दिया जाना	4140—41

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 44.—*Friday, April* 23, 1965/*Vaisakha* 3, 1887 *(Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
988	Production and Export of Cashewnuts	4109—12
989	Steel Rerolling Industy	4112—15
991	Industrial Collaboration with Afghanistan	4115-16
993	Distribution of Cars	4116—21
994	Tasar Industry in Chota Nagpur	4121-22
995	Decontrol of Iron and Steel	4123—25
996	New York World Fair	4125-26
997	Manufacture of Baby Food	4126-27
998	Cement factories at Wah and Rohri	4127-28
999	Printing of Railway Tickets in Hindi	4128—31
1000	Manufacture of Fertilizer and Chemical equipment	4131-32
**Short Notice Question*		
11	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	4132-33

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
990	Japanese Steel Products	4134
992	Use of Low-Grade Coal as Fuel	4134-35
1001	Leipzig Fair	4135
1002	Cotton Mills in Public and cooperative Sectors	4135-36
1003	Machine Tool Plants	4136-37
1004	Export of Iron Ore to Japan	4137
1005	Import and Export Trade Control Organisation	4137-38
1006	Public Sector Steel Projects	4138
1007	Import of T. V. Sets	4139
1008	Tea Finance and Guarantee Corporation	4139-40
1009	Rakha Copper Deposits in Bihar	4140
1011	Allotment of Cars and Scooters	4140-41

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण .	4141–42
2509	सामान बेचने के ठेके. . .	4142
2510	मध्य प्रदेश को सीमेन्ट का सम्भरण .	4143
2511	मध्य प्रदेश को इस्पात का नियतन . .	4143
2512	किशनगंज स्टेशन यार्ड के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना	4144
2513	अहमदपुर-कटुआ तथा बर्दवान-कटुआ लाइट रेलवे .	4144
2514	मसूर में कोयला खनन . . .	4144–45
2515	मुगलसराय-इलाहाबाद-कानपुर सेक्शन का विद्युतीकरण .	4145
2516	नई दिल्ली तथा बम्बई के बीच विशेष गाड़ियां	4145–46
2517	मुरादाबाद में आटा मिल	4146
2518	पन्ना हीरों की नीलामी . .	4146
2519	रासायनिक पदार्थों का आयात .	4146–47
2520	ब्रेक वैन से सामान की चोरी . .	4147
2521	बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना .	4147
2522	पंजाब में छोटे पैमाने क उद्योग.	4148
2523	रेलवे सुरक्षा बल . .	4148
2524	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल .	4148–49
2525	रेजर ब्लेडों का उत्पादन . .	4149
2526	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची .	4149
2527	राज्यों के लिये कोयले के कोटे .	4150
2528	सुमेलन इस्पात की कमी .	4150
2529	घटिया किस्म के कोयले की बिक्री	4151
2530	कटिहार जूट मिल .	4151
2531	रेशम का आयात . .	4151
2532	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	4152—55
2533	रूरकेला और भिलाई इस्पात कारखाने . .	4155
2534	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग . .	4155
2535	आसाम को लोहे की जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का सम्भरण .	4156
2536	सामान को चढ़ाने तथा उतारने के ठेकों के टेंडर .	4156–57
2537	उड़ीसा में लोह अयस्क की खानें	4157
2538	पिछड़े क्षेत्रों में कपड़ा मिलें . . .	4158
2539	कटिहार जाने वाली मालगाड़ी का पटरी से उतरना.	4158
2540	काफी का निर्यात . .	4158–59
2541	जूते और चप्पलों का निर्यात . . .	4159
2542	तेल मिल उद्योग . .	4159–60
2543	कोयना में एल्यूमीनियम संयंत्र . . .	4160
2544	दुगदा (गढ़वाल) के निकट रेलगाड़ी तथा ट्रक की टक्कर .	4160–61

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2508	Geological Survey of Orissa	4141-42
2509	Vending Contracts	4142
2510	Supply of Cement to Madhya Pradesh	4143
2511	Steel Allotment to M.P.	4143
2512	Derailment near Kishanganj Station Yard	4144
2513	Ahmedpur-Katwa and Burdwan-Katwa Light Railways	4144
2514	Coal Mining in Mysore	4144-45
2515	Electrification of Moghulsarai-Allahabad-Kanpur Section	4145
2516	Special Trains Between New Delhi and Bombay	4145-46
2517	Flour Mills of Moradabad	4146
2518	Auction of Panna Diamonds	4146
2519	Import of Chemical Goods	4146-47
2520	Theft of Goods from Brake-Van	4147
2521	Heavy Electrical Equipments Factory	4147
2522	Small Scale Industries in Punjab	4148
2523	Railway Protection Force	4148
2524	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	4148-49
2525	Production of Razor Blades	4149
2526	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	4149
2527	Coal Quotas for States	4150
2528	Shortage of Matching Steel	4150
2529	Sale of Low Grade Coal	4151
	Katihar Jute Mill	4151
2531	Import of Silk	4151
2532	Small Scale Industries in Orissa	4152—55
2533	Rourkela and Bhilai Steel Projects	4155
2534	Small Scale Industries in Orissa	4155
2535	Supply of G.C.I. Sheets to Assam	4156
2536	Tenders for Goods Handling Contract	4156-57
2537	Iron ore Mines in Orissa	4157
2538	Textile Mills in Backward Areas	4158
2539	Derailment of Katihar bound goods trains	4158
2540	Export of Coffee	4158-59
2541	Export of Shoes and Chappals	4159
2542	Oil Milling Industries	4159-60
2543	Aluminium Plant at Koyna	4160
2544	Train-Truck collision near Dogadda (Garhwal)	4160-61

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2545	अत्यावश्यक पण्य अधिनियम का उल्लंघन	4161
2546	ढले हुए लोहे के स्लीपर	4161
2547	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की छंटनी	4162
2548	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को खानों द्वारा भुगतान किया गया विलम्ब शुल्क	4162
2549	गिरडीह कोयला खान में हानि	4162
2550	किऊल रेलवे जंक्शन के कुली	4163
2551	किऊल जंक्शन पर रेलवे अस्पताल	4163
2552	बसन्तोत्सव	4163–64
2553	सिलीगुडी रेलवे स्टेशन पर ठेका	4164–65
2554	गोवा में औद्योगिक विकास निगम	4165
2555	खतरे की जंजीरें	4165–66
2556	दिल्ली में पत्थरों का बाटों के रूप में प्रयोग	4166
2557	रेलवे भण्डार नियंत्रक	4166–67
2558	रेलवे कर्मचारियों के परिवारों द्वारा प्रदर्शन	4167
2559	तेल कोल्हू उद्योग	4167
2560	उत्तर रेलवे में नियुक्तियां तथा पदोन्नति	4168
2561	चश्मे तथा ऋतु विज्ञान यंत्र	4168
2562	न्यूयार्क विश्व मेले में रत्न जड़ित गलीचे का प्रदर्शन	4168–69
2563	रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा	4169
2564	हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में जारी किये गये पत्र	4169–70
2565	ऊपरी पुल	4170
2566	इण्डोनेशिया में भारतीय फिल्मों का बहिष्कार	4171
2567	लोकोमोटिव कारखानों के लिये अमरीकी ऋण	4171
2568	लेहरियासराय स्टेशन का पुनर्निर्माण	4172
2569	बिजली के भारी सामान का निर्माण	4172
2570	संयुक्त राज्य अमरीका को बन्दरों का निर्यात	4172–73
2571	भिलाई इस्पात परियोजना	4173
2572	पटेल नगर रेलवे स्टेशन	4172–74
2573	मैसूर को इस्पात का नियतन	4174
2574	मैसूर में भारी उद्योग	4174
2575	टायरों की कीमतों में वृद्धि	4174
2576	डीज़ल के शंटर इंजन	4175
2577	रिवाड़ी तथा भिवानी के बीच हाल्ट स्टेशन	4175
2578	रेलवे मार्शलिंग यार्ड में चोरी	4176
2579	बक्सर-पटना शटल गाड़ी में डकैती	4176–77
2581	राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी अथवा बेची गई कारें	4177

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2545	Breach of Essential Commodities Act	4161
2546	Cast Iron Sleepers	4161
2547	Retrenchment of N.C.D.C. Employees	4162
2548	Demurrage charges paid by N.C.D.C. Mines	4162
2549	Losses in Giridih Collieries	4162
2550	Porters of Kiul Railway Junction	4163
2551	Railway Hospital at Kiul Junction	4163
2552	Spring Carnival	4163–64
2553	Contract on Siliguri Railway Station	4164–65
2554	Industrial Development Corporation in Goa	4165
2555	Alarm Chain Apparatus	4165–66
2556	Stones used as weights in Delhi	4166
2557	Controller of Stores on Railways	4166–67
2558	Demonstration by Families of Railway Employees	4167
2559	Oil Expeller Industry	4167
2560	Appointment and Promotions on N. Rly.	4168
2561	Optical and Meteorological Instruments	4168
2562	Display of Jewel Carpet at New York World Fair	4168–69
2563	Unauthorised occupations of Railway Lands	4169
2564	Issue of letters on the use of Hindi	4169–70
2565	Over-bridges	4170
2566	Boycott of Indian Films in Indonesia	4171
2567	U. S. Loan for Locomotive Works	4171
2568	Remodelling of Laheriasarai Station	4172
2569	Manufacture of Heavy Electrical Goods	4172
2570	Export of Monkeys to U.S.A.	4172-73
2571	Bhilai Steel Project	4173
2572	Patel Nagar Railway Station	4173-74
2573	Steel Allocation to Mysore	4174
2574	Heavy Industries in Mysore	4174
2575	Increase in Tyre Prices	4174
2576	Diesel Shunter Locomotives	4175
2577	Halt Stations between Rewari and Bhiwani	4175
2578	Theft in Railway Marshalling Yard	4176
2579	Robbery in the Buxar-Patna Shuttle Train	4176-77
2581	Disposal of Cars by S.T.C.	4177

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2582	डीज़ल कार सेवा . .	4178
2583	चकोस्लोवाकिया से लारियों का आयात .	4178
2584	आस्ट्रेलिया को कपड़े का निर्यात .	4179
2585	काफी का उत्पादन . . .	4179
2586	गुड्स शैड रोड, हुबली में उर्दू स्कूल	4179--80
2587	डीज़ल इंजन . . .	4180

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में . 4180--81

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . 4181--83

सदस्य द्वारा स्पष्टीकरण . . . 4183

श्री मधु लिमये 4183

लोक-लेखा समिति 4183

छत्तीसवां प्रतिवेदन 4183

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन 4183--84

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1962-63

विवरण प्रस्तुत . . . 4184

सभा का कार्य 4184--86

अनुदानों की मांगें 4186--4215

शिक्षा मंत्रालय 4186--98

श्री मु० क० चागला 4186--99

गृह-कार्य मंत्रालय 4198--4215

श्री कपूर सिंह 4199--4201

श्री जी० भ० कृपालानी . . . 4201--03

श्री फ० गो० मेनन . 4203--05

श्री बिशनचन्द्र सेठ 4215

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

चौसठवां प्रतिवेदन 4215--16

Ustarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2582	Diesel Car Service	4178
2583	Import of Lorries from Czechoslovakia	4178
2584	Export of Textiles to Australia	4179
2585	Production of Coffee	4179
2586	Urdu School in Goods Shed Road, Hubli	4179-80
2587	Diesel Engines	4170
Re :	Dearness Allowance to Government employees	4180-81

Papers laid on the Table . . 4181—83

Clarification by Member . . . 4183
(Shri Madhu Limaye) . . 4183

Public Accounts Committee 4183
Thirty-Sixth Report 4183

Committee on Public Undertakings 4183-84
Sixth and Seventh Reports 4183-84

Demands for Excess Grants (Railways), 1962-63—
Statement presented 4184

Business of the House . 4184—86

Demands for Grants 4186

Ministry of Education 4186—98

Shri M. C. Chagla 4186—98

Ministry of Home Affairs . 4198—4215

Shri Kapur Singh . . 4199—4201

Shri J. B. Kripalani . 4201—03

Shri P. G. Menon 4203—05

Shri Bishanchander Seth . . 4215

Committee on Private Members' Bills and Resolutions—

Sixty-fourth Report 4215-16

विषय	पृष्ठ
जनता की शिकायतों के निवारण के लिये संस्था के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	4216
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी .	4216, 4229
श्री वारियर . .	4216–17
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा .	4218–19
श्री दी० चं० शर्मा	4219
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	4219–20
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	4220–21
श्री श्रीनारायण दास	4221
श्री यशपाल सिंह	4221–22
श्री मुथिया . .	4222–23
श्री अ० ना० विद्यालंकार .	4223
श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	4223–24
श्री अन्सार हरवानी	4224
श्री रणंजय सिंह	4225
श्री प्र० के० देव .	4225
श्री खाडिलकर . . .	4225–26
श्री ओंकार लाल बेरवा . .	4226
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . .	4226
श्री हाथी	4227—29
भारतीय सीमाओं की रक्षा के बारे में संकल्प . . .	4230
श्री कृष्णपाल सिंह	4230

Subject	PAGES
Resolution re: Institution for Redress of Public Grievances—*Negatived*	4216—29
Dr. L. M. Singhvi	4216,4229
Shri Warior	4216–17
Shrimati Tarkeshwari Sinha	4218–19
Shri D. C. Sharma	4219
Shri Surendranath Dwivedy	4219–20
Shri Vishwanath Pandey	4220–21
Shri Shree Narayan Das	4221
Shri Yashpal Singh	4221–22
Shri Muthiah	4222–23
Shri A. N. Vidyalankar	4223
Shri Narendra Singh Mahida	4223–24
Shri Ansar Harvani	4224
Shri Rananjay Singh	4225
Shri P. K. Deo	4225
Shri Khadilkar	4225–26
Shri Onkar Lal Berwa	4226
Shrimati Lakshmikanthamma	4226
Shri Hathi	4227—29
Resolution re : Defence of Indian Borders	4230
Shri Krishnapal Singh	4230

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 23 अप्रैल, 1965/3 वैशाख, 1887 (शक)

Friday, April 23, 1965/Vaisakha 3, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

काजू का उत्पादन तथा निर्यात

\+

*988. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने के तरीकों का सुझाव देने के लिये डा० पी० एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अध्ययन दल के प्रतिवेदन की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा जारी किये गये दो संकल्पों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4262/65]**

Shri Yashpal Singh : May I know the quantity that we are exporting now and how much foreign exchange we are earning out of this ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम लगभग 22 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know the time by which the production in our country would step up to the extent that it might be made available to the poor people ?

श्री सें० व० रामस्वामी : उत्पादन का अनुमान 135,000 टन है जिसमें से निर्यात किये जाने वाले माल के लिए केवल 45,000 टन उपलब्ध है। बाकी माल की खपत या तो देश में हो जाती है या वह बर्बाद चला जाता है। हमारा विचार चौथी योजना के अन्त तक उत्पादन बढ़ाकर 3.8 टन करने का है।

श्री सुबोध हंसदा : कई संकल्प स्वीकार किये गये हैं और उन में से एक संकल्प यह भी है कि निर्यात सम्बन्धी मांग पूरी करने के लिए 82,000 टन का काजू बाहर से मंगाया जायेगा। काजू का आयात करने के बाद उन्हें परिष्कृत करके उनका पुनर्निर्यात करने पर लाभ का सीमान्त क्या होता ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हम लगभग 10 करोड़ रुपये के मूल्य के काजू आयात कर रहे हैं। हम इस समय 1.55 लाख टन आयात कर रहे हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, हमारा विचार आयात को 1.55 लाख टन से घटाकर 80,000 टन करने का है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य लाभ के बारे में पूछ रहे थे।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि हम इस समय 10 करोड़ रुपये के काजुओं का आयात कर रहे हैं। चौथी योजना में हम इसे घटाकर $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये तक ले आयेंगे। हमारा निर्यात 20 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 32 करोड़ रुपये मूल्य तक का हो जायेगा।

श्री शिंकरे : प्रश्न लाभ के सीमान्त के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : आयात करने के बाद हम निर्यात करते हैं, तो क्या उससे हमें कुछ लाभ होता है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां। यद्यपि हम केवल 10 करोड़ रुपये मूल्य का काजू आयात करते तथापि हम उसे परिष्कृत करने के बाद निर्यात करने पर 20 करोड़ रुपया अर्जित कर रहे हैं। चौथी योजना में, जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है, हम स्थानीय रूप से उत्पादन अधिक करें ताकि हम निर्यात में और $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया बचा सकें और इस के साथ-साथ हमारे निर्यात में 12 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो जायेगी।

श्री स० चं० सामन्त : अध्ययन दल की इन सिफारिशों पर कि जिस भूमि में ये कृषक काजू पैदा करते हैं उस भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिये, काजू उत्पादन करने वाले राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रतिवेदन का आमतौर पर स्वागत हुआ है और महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल इस बारे में उत्साह दिखा रहे हैं । जहां तक भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है, यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : वे कौन-कौन से मुख्य देश हैं जिन्हें हम निर्यात करते हैं और वे निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । हम मुख्यत: संयुक्त राज्य अमरीका, रूस और ब्रिटेन को निर्यात करते हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें कच्चे काजू के आयात पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है और हमें कच्चे काजू के सम्बन्ध में निकट भविष्य में आत्म-निर्भर होना पड़ेगा, क्या सरकार ने कुछ अफ्रीकी देशों के साथ दीर्घ-कालीन करार करने का प्रयत्न किया है ताकि हमें नियमित रूप से कच्चे काजू मिलते रहें । क्योंकि हाल ही में ऐसा समाचार आया है कि वे भी अफ्रीका में परिष्करण सम्बन्धी कारखाने चालू कर रहे हैं ।

श्री मनुभाई शाह : हम उस कच्चे काजू का आयात कर रहे हैं जो संसार के देशों के पास निर्यात के लिये फालतू पड़ा हुआ है, इससे अधिक आयात करने की कोई संभावना नहीं है । इसलिए काजू के निर्यात में और अधिक वृद्धि करने का केवल एक यही मार्ग है कि हम अपने देश के अन्दर कच्चे काजू के उत्पादन को बढ़ायें ।

श्री वासुदेवन नायर : यह एक दीर्घ-कालीन तरीका है ।

श्री मनुभाई शाह: यह सच है किन्तु हमें इस के बारे में सोचना पड़ता है । विश्व के किसी भी देश में निर्यात के लिए कच्चा काजू बाकी नहीं है क्योंकि भारत में परिष्करण करने के लिए हमने इसका अधिकतम मात्रा में आयात किया है । इसलिए अब हमें अपने देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना है ।

श्री कपूर सिंह : जैसाकि हमें दिये गये लिखित विवरण से मालूम होता है कि हमारा निर्यात 60,000 टन से भी कम है जब कि आयात 80,000 टन से भी अधिक है, तो क्या मैं यह समझूं कि निर्यात किये जाने वाले काजू में हमारे देश में उत्पादित काजू शामिल नहीं है अथवा उसकी किस्म इतनी घटिया है कि वह विदेशी बाजार में खप नहीं सकता ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : माननीय सदस्य कच्चे काजू और परिष्कृत काजू के बीच अन्तर मालूम करने का प्रयत्न करें । आयात तो कच्चे काजू का होता है और निर्यात परिष्कृत काजू का होता है और परिष्करण क्रिया में वजन कम हो जाता है ।

Shri Raghunath Singh : It appears from the item 9 of the statement that an additional area of 4 to 5 lakh acres might be brought under cashew cultivation. The hon. Minister stated that Mysore and Kerala are enthusiastic about it. I want to know whether efforts will be made to bring some of the area out of this 4 to 5 laskh acres of land under cashew cultivation in North India also.

श्री सें० वें० रामस्वामी : काजू के लिए एक विशेष जलवायु तथा मिट्टी की आवश्यकता होती है और दु:ख इस बात का है कि इस प्रकार की मिट्टी तथा जलवायु वहां उपलब्ध नहीं है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या उन क्षेत्रों में काजू पैदा करने के प्रयोग किये गये हैं अथवा किये जायेंगे, जहां अब तक काजू पैदा नहीं किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : गोवा एक नई जगह है जहां हम पहले से ही काजू की खेती करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि वहां की जलवायु केरल से मिलती जुलती है, और वहां वर्षा काफी होती है ; ऐसी ही बात उड़ीसा में भी है । इसलिए काजू की खेती के बारे में वर्षा, जलवायु और मिट्टी का प्रश्न विचारणीय है ।

इस्पात पुनर्वेलन उद्योग

\+

*989. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० जी० नायक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात पुनर्वेलन उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) क्या समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार किया गया है :—

श्री एस० सो० मुखर्जी, लोहा और इस्पात उप-नियंत्रक	अध्यक्ष
श्री विरेन जे० शाह, दि स्टील रो-रोलिंग मिल्स एसोसीएशन आफ इंडिया	सदस्य
श्री एम० पांजे, मुख्य अधीक्षक, रोलिंग मिल्स, भिलाई	सदस्य

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(1) पुनर्वेलन मिलों की चाहे उनमें बिलेट का प्रयोग होता है अथवा स्क्रप का, क्षमता निर्धारित करेगी ;

(2) यह सिफारिश करेगी कि आर्थिक दृष्टि से पुनर्वेलन मिलों में किस प्रकार के चपटे पदार्थों को बेलना लाभदायक हो सकता है ;

(3) यह बतायेगी कि कौन से कारखाने पुराने तथा/अथवा अमितव्ययी हैं ।

(ग) अगस्त, 1965 के अन्त तक ।

श्री सुबोध हंसदा : जैसाकि मैं मंत्री महोदय के उत्तर से समझता हूं कि बिलेट्स की कमी होने के कारण ही इस समिति का गठन किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि मिलों की वर्तमान क्षम ा को पूरी करने के लिए बिलेट्स किस आधार पर वितरित किये जा रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : वितरण का आधार वर्ष 1960–61 पर आधारित है जब बिलेट्स की प्रचुर मात्रा में सप्लाई होती थी और पुनर्बेलन मिलों को अपनी पूरी आवश्यकता के अनुसार मांग करने को कहा गया था। उसी आधार पर वर्तमान सप्लाई का वितरण किया गया है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि पुनर्बेलन मिलों की और अधिक स्थापना के लिये लाईसेंस देना हाल ही में बन्द कर दिया गया है । यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ लाईसेंस पहले ही वर्ष 1963 में दिये जा चुके हैं । यदि हां, तो ये सभी लाईसेंस किस आधार पर दिये गये थे ?

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार ने जून, 1963 से रियायत देना बन्द कर दिया है । किन्तु सरकार ने पिछड़े हुये क्षेत्रों में कुछ विशेष पुनर्बेलन मिलों को लगाने की मांग को मान लिया है; उनके अतिरिक्त हम और ऐसी कोई अन्य मिल खोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि लोहे की रद्दी भी निर्यात की जाती है ? क्या इस रद्दी के निर्यात को बन्द करके उसे पुनर्बेलन सम्बन्धी कामों के लिए इन मिलों में इस्तेमाल किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : रद्दी के बारे में अधिक कठिनाई नहीं है किन्तु केवल रद्दी पर ही आधारित कुछ बेलन मिलें अब बिलेट्स की मांग कर रही हैं ।

Shri Yash Pal Singh : May I know the time by which we will be self-sufficient in this regard ?

Shri P. C. Sethi : There is no possibility of becoming self-sufficient in the near future. But we are trying to see that some shortage is met during the Fourth Five Year Plan.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि लोहे की रद्दी की कमी, कोटा पहुंचने में अनावश्यक बिलम्ब तथा भिन्न-भिन्न स्थानों के लिये भिन्न-भिन्न रेलभाड़ा होने के कारण आसाम जैसे देश के सुदूर स्थित भागों में पुनर्बेलन मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं और क्या सरकार लोहे की रद्दी का नियमित सम्भरण सुनिश्चित करने तथा लोहे की रद्दी की ढुलाई के लिये रेल–भाड़ा दर में एक समानता लाने के लिए कुछ व्यवस्था कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : अब सरकार ने रद्दी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से उस पर से नियंत्रण हटा लिया है ।

Shri Rameshwar Tantia : May I know whether it is a fact that a number of re-rolling mills had to work less than their capacities on account of non-availability of ingots ?

श्री प्र० चं० सेठी : yes , sir, it is a fact.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मंत्रालय द्वारा हाल ही में दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि कुछ राज्यों को तो बिल्कुल ही सप्लाई नहीं की गई और पुनर्बेलन मिलों के मामले में उनकी बहुत ही कम

प्रगति है और यही हाल लघु उद्योगों के सम्बन्ध में भी है और ऐसा लगता है कि सरकार ने प्रत्येक वस्तु को 1960-61 के के आधार पर तोलने के गतिहीन दृष्टिकोण के कारण ही यह सब कुछ हुआ है, क्या सरकार इस मामले पर नये दृष्टिकोण से विचार करके राज्यों तथा लघु उद्योग के प्रति न्याय करेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : यदि कच्चे माल की स्थिति में सुधार हो जाय तो निश्चय ही हम उन राज्यों को प्राथमिकता देने का विचार करेंगे जहां पुनर्बेलन उद्योग सुचारू रूप से विकसित नहीं हैं । वर्तमान पुनर्बेलन मिलों की संख्या में इस समय वृद्धि करने से कच्चे माल की और भी कमी हो जायेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : लघु उद्योग तथा पुनर्बेलन मिलें पहले से हैं । मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें कच्चा माल नहीं मिल रहा है ।

श्री संजीव रेड्डी : लघु उद्योग क्षेत्र में भी पुनर्बेलन मिलें हैं जिन में से कुछ रद्दी पर ही चलती हैं और रद्दी से नियंत्रण हटा दिया गया है । उपलब्ध बिलेट्स उन सब को दिये जा रहे हैं जो बिलेट्स के प्रयोग करने के हकदार हैं । समिति का उद्देश्य सारे मामले की जाच करना है और पुनर्बेलन मिलों की क्षमता का पता लगाना है ताकि वितरण निष्पक्ष रूप से किया जा सके । समिति का यही वास्तविक उद्देश्य है । छोटी और बड़ी सभी पुनर्बेलन मिलें अधिक क्षमता का दावा कर रही हैं । इसलिए समिति का उद्देश्य उनकी वास्तविक क्षमता मालूम करके उसे निर्धारित करना है ताकि निष्पक्ष रूप से वितरण किया जा सके ।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ पुनर्बेलन मशीनें बेकाम हो गई हैं अथवा बहुत पुरानी हो गई हैं । क्या सरकार का विचार इन पुनर्बेलन मिलों को कुछ ऋण, अनुदान अथवा सहायता देने का है ताकि वे आधुनिक मशीनरी लगाने में सफल हो सकें और देश की भलाई के लिए काम कर सकें ?

श्री संजीव रेड्डी : हमारे पास इस समय पुनर्बेलन मिलों की कोई कमी नहीं हैं । मैं नहीं समझता कि सरकार पुनर्बेलन मिलों को ऋण देने का कोई विचार कर रही है । हम वर्तमान मिलों को ही कच्चा माल नहीं दे पा रहे हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether Government are aware of the fact that Punjab is industrially well advanced State ? May I also know whether there is any Member from Punjab on this Committee, if so, what are the names of these Members ?

Shri P. C. Sethi : The Committee does not consist of any Member from Punjab. But the Committee consists of eminent and important persons.

श्री मं० रं० कृष्ण : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में पुनर्बेलन मिलें लगाने के लिए लाईसेंस दिये जा रहे हैं । क्या सरकार उन्हें सहायता दे रही है ताकि ये मिल बिना किसी बाधा के उत्पादन कार्य आरम्भ कर सकें ?

श्री संजीव रेड्डी : लाईसेंस उस समय दिये गये थे जब बिलेट्स की स्थिति में कुछ सुधार हो गया था । अब हम कोई भी लाईसेंस नहीं दे रहे हैं । समिति द्वारा मूल्याकंन किये जाने के बाद तथा स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाने के पश्चात् ही हम इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री पी० रा० रामकृष्णन् : पुनर्बेलन योग्य लोहे की रद्दी का निर्यात किया जा रहा है और मिलों को बिलेट्स की आवश्यकता है । पुनर्बेलन योग्य लोहे की रद्दी के मूल्य तथा बिलेट्स के मूल्य में क्या अन्तर है ?

श्री संजीव रेड्डी : मुझे इसके लिए समय चाहिए ।

अफगानिस्तान के साथ औद्योगिक सहयोग

\+

*991. { **श्री क० ना० तिवारी** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच औद्योगिक सहयोग तथा आर्थिक सहयोग के एक कार्यक्रम तथा अफगान नागरिकों को प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था के बारे में एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). अफगानिस्तान के साथ औद्योगिक सहयोग करने की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये प्रमुख औद्योगिकों का एक शिष्टमण्डल अफगानिस्तान भेजने का प्रश्न भारतीय वाणिज्य और उद्योग चेम्बर संघ के पास भेजा गया है । उपयुक्त समय पर सरकार इस मामले पर विचार करेगी । औद्योगिक सहयोग के सम्बंध में अफगान नागरिकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर भी उसी समय विचार किया जायगा ।

Shri K. N. Tiwari : May I know whether the Royal Afghan Government have offered some conditions on the basis of which this collaboration would be agreed ?

Shri Manubhai Shah : It does not contain any terms. Terms will be settled separately for each and every project. What terms are acceptable to them and what terms are favourable to us—is a matter to be considered afterwards. Even today this is the basis for all the existing collaborations with Afghanistan.

Shri K. N. Tiwary : What are those industry for which we are extending collaboration ? May I know the nature of facilities which will be provided to the Afghan nationals coming to India for training ; and whether any Indian trainees will also be sent to Afghanistan for training ?

श्री मनुभाई शाह : जो उद्योग वहां पहले स्थापित किये जा सकते हैं? वे ये हैं : सूती वस्त्र उद्योग, सिगरेट उद्योग, फर्नीचर उद्योग, साईकल तथा हल्के इंजीनियरी उद्योग । हाल ही में इन उद्योगों में साबुन और सुगन्धित तेल के उद्योग भी शामिल कर दिये गये हैं । जब अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री भारत में यात्रा पर थे, रायल अफगान सरकार ने भी सहयोग क्षेत्र विस्तृत करने के लिए अपनी तीव्र इच्छा प्रकट की थी । गत दो वर्षों में दो देशों के बीच जो बातचीत चली है उसके अनुसार इस सम्बन्ध में और आगे बातचीत करने के लिए हम एक उच्च-शक्ति प्राप्त शिष्टमंडल काबुल भेजने का विचार कर रहे हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether the delegation going to Afghanistan will consist of Indian traders only or it will consist of Government representatives also ?

Shri Manubhai Shah : Most of them will be traders and industrialists, but probably Government officials may also go there.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the basis on which the selection of the Members of this delegation will be made ; and whether any Member of Parliament will also be included therein ?

Shri Manubhai Shah : The delegation will consist of traders, industrialists, businessmen and technicians. Members of Parliament can also go if they come in these categories.

Shri Vishwanath Pandey : May I know whether it is the Government of India or the Royal Afghan Government who will bear the expenses of Afghan nationals coming to India for training ?

Shri Manubhai Shah : We award near about two thousand scholarships to students belonging to Afro-Asian countries. We bear rupee-expenditures only and the foreign exchange involved in their coming and going is either borne by their respective Governments or by those students themselves.

श्री दी० चं० शर्मा : ब्रिटेन के वित्त मंत्री श्री कैलेघन ने, ब्रिटेन द्वारा अनुभव की गई भुगतान-शेष सम्बन्धी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, विदेशों में लगाई जाने वाली पूंजी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कुछ विशेष उपाय लागू किये हैं । क्या हमारी भुगतान–शेष सम्बन्धी नीति सुविधाजनक है ; यदि नहीं, तो हम अपनी पूंजी विदेशों में क्यों लगा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इन दो चीजो की तुलना करना मुश्किल है । ब्रिटेन ने गत दो सौ वर्षो से अपनी कुल उपलब्ध पूंजी का तीसरा भाग विनियोग किया हुआ है और हम केवल गत तीन वर्षों से पूंजी-विनियोग कर रहे हैं और हम जो पूंजी विदेशों में लगा रहे हैं वह हमारी पूंजी का एक प्रतिशत भाग भी नहीं है । इसलिए इन दो चीजो की बिल्कुल ही तुलना नहीं हो सकती ।

कारों का वितरण

*993. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कारों के वितरण, विशेषकर विशेष आवंटनों के बारे में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है और सरकार क्या सुधार करना चाहती है; और

(ग) क्या 1962 तथा 1964 में सरकार द्वारा फिएट कारों के किये गये आवंटन के बारे में एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). विक्रेताओं के पास कारों के आर्डर बुक करने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिलीं हैं । ये शिकायतें राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों के पास भेज दी गई हैं जिन्हें

नियंत्रण आदेश के उपबन्धों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है । जहां तक केन्द्रीय सरकार के कोटे से आवंटन करने का संबंध है, जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है और उस पर कार्रवाई की जाती है । फिर भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी किये जा रहे हैं ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4263/65]

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर अपने आप ही, अथवा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, विचार किया है और यदि हां, तो किन कारणों से उसने ऐसा विचार किया और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ।

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): नियंत्रण हटाने के लिये किसी संगठन से औपचारिक रूप से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु विनियन्त्रण के लिये कभी-कभी हमारे पास कुछ सुझाव आये हैं। कमी की वर्तमान दशा में विनियंत्रण करना सम्भव नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जबकि सरकार को ज्ञात ही है कि करों की भारी कमी है तो ऐसी कौन सी बातें थीं जिनके आधार पर इस विषय पर विचार किया गया । सरकार की ओर से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विषय पर विचार हो रहा है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार में प्रश्न के मुख्य उत्तर में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा कोई विचार किया जा रहा है । परन्तु जो सुझाव जनता से प्राप्त होते हैं, हम उन पर सदैव विचार करते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार वास्तविक स्थिति के बारे में सूचना देगी तथा यह बतायेगी कि वह ऐसे लोगों, जैसे निजी व्यवसाय करने वाले इंजीनियरों, जो अपने व्यवसाय के कारण कारें खरीदना चाहते हैं, की इस आम शिकायत के बारे में क्या कदम उठा रही है कि उन्हें और दस वर्षों तक कारें नहीं मिल सकतीं और वितरण की वर्तमान प्रणाली ऐसी है कि केवल उन्हीं लोगों को कारें आवंटित हो सकती हैं जिनका सरकार या यह मंत्रालय पक्ष ले ।

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसे वर्गों को छोड़ कर जो सरकारी वितरण-सम्बन्धी नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं, अन्य लोगों के लिये कारों के लिये नाम दर्ज कराने की प्रणाली है । वे व्यापारियों के पास नाम दर्ज करा सकते हैं । ऐसे लोगों को पंजीकरण की पूर्ववर्तिता के अनुसार कारें दी जाती हैं । हम यह सुनिश्चत करते हैं कि पूर्ववर्तिता-क्रम को ठीक प्रकार लागू किया जाये ।

जहां तक और ऐसे अधिक वर्ग बनाने का सम्बन्ध है जिन्हें सीधे सरकार द्वारा कारों का वितरण हो, मेरा विचार है, कि स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होगा । फिर भी, जहां तक लोगों के इस वर्ग का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव दें जिनसे कि स्थिति में सुधार हो सकता हो तथा सरकार पर और अधिक जिम्मेवारी न आये तो हम इस की जांच करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक निजी-व्यवसाय वाले इंजीनियर को और दस वर्षों तक कार नहीं मिलेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने नाम दर्ज कराया हुआ होता है, उनकी पूर्ववर्तिता होती है। चाहे वह इंजीनियर है अथवा नहीं, यह सुसंगत नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : स्थिति क्या है? क्या यह सच है कि वह और दस वर्षों में कार नहीं ले सकता ?

अध्यक्ष महोदय : साधारणतया यह समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी लड़की के विवाह में उसे फिएट कार देना चाहता है तो वह इस क लिये उस समय ही नाम दर्ज कराये जब लड़की पैदा हो।

Shri M. L. Dwivedi: Keeping in veiw the steps Government have taken for increasing the production of Fiat cars has the ratio of the Government Controlled distribution and other distributions been increased, if so, the figures thereof ?

Shri T. N. Singh : The Government controlled distribution quota has been increased. Because the production of Fiat cars has increased, we have increased the Government controlled distribution quota. It is difficult for me to give figures but I think that the quota for the hon. Members has been doubled.

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को यह सूचना प्राप्त हुई होगी कि उद्योग मंत्री नई कारों के जिनके निर्माण के बारे में वह विचार कर रहे हैं, प्रदर्शनी का प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हम यह जानना चाहते हैं कि इस का उद्देश्य क्या है। क्या वह केवल हमारी आशा बढ़ा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब वे आलोचना कर रहे हैं, तो उन्हें अधिक पता होगा।

श्री भागवत झा आजाद : हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय कारों का उत्पादन भी करें, केवल प्रदर्शन ही न करें।

श्री अल्वारेस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सदस्यों को इसकी प्रति मिलेगी ?

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्योंकि बहुत से लोगों द्वारा भारी संख्या में वितरण प्रणाली के बारे में शिकायतें की जा रही हैं और क्योंकि इस प्रणाली को चार या पांच वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस सारी प्रणाली की जांच की है और क्या इस प्रणाली से भ्रष्टाचार पैदा होता है ? यदि हां, तो सरकार ऐसी शिकायतों को कम करने के लिये इस सारी प्रणाली का पुनर्गठन करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र: कार का वितरण तथा बिक्री एक नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत होती है। जहां तक राज्यों के व्यापारियों का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य में एक परिवहन नियंत्रक है जो इस अधिनियम का ठीक लागू होना सुनिश्चित करता है। कभी कभी शिकायतें आई हैं परन्तु ये इतनी अधिक नहीं हैं जितना कि हमें बताया गया है। इस आधार पर प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है। सभी स्थानों पर आवंटन पूर्ववर्तिता के आधार पर होता है।

श्री शिंकरे : क्या सरकार को पता है कि विशेषकर फिएट कार के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर चालाकी की जा रही है क्योंकि खुले बाजार में मूल्य तथा नियंत्रण मूल्य में लगभग 2 : 1 का

अन्तर है। यदि हां, तो सरकार इस अन्तर को कम करने के लिये क्या विचार कर रही है ताकि इस चालाकी को समाप्त किया जा सके। तथा अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगा कर सरकारी कोष में और धन डाला जा सके ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सरकार ने पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि आवंटन के दो वर्ष तक कार, नियंत्रक की अनुमति बिना बेची नहीं जा सकती। चार वर्ष से पूर्व कोई नया आवंटन नहीं किया जायेगा। मेरे विचार में फिलहाल यह पर्याप्त उपाय हैं। जहां तक "एम्बैसेडर" तथा "स्टैंडर्ड" कारों का सम्बन्ध है, अब कोई भी प्रतीक्षा-सूची नहीं है। जहां तक फिएट कार का सम्बन्ध है इस तिमाही के लिये सरकार का कोटा 190 है और प्रतीक्षा-सूची में 119 संसद सदस्यों तथा 4672 सरकारी अधिकारियों के नाम हैं। इन परिस्थितियों में इन नियमों को लागू करने के सिवाय और क्या किया जा सकता है ?

श्री रामनाथन चेट्टियार : श्रीमान्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार ने सारी वितरण व्यवस्था की जांच कर ली है। माननीय उपमंत्री प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही उत्तर दे दिया गया है। इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? श्री वेंकटासुब्बया।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : फिएट कारों के सम्बन्ध में वर्तमान असंतोष के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी वास्तविक असंतोष तथा विरोध प्रकट किया है कि राज्यों को कोटे का आवंटन आनुपातिक नहीं है और ये कोटे सम्बद्ध राज्यों की आवश्यकता के अनुसार नहीं दिये गये हैं। यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जब तक कि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, कोई उपाय नहीं हो सकते।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : विवरण में यह कहा गया है कि कार के लिये अभ्यावेदनों की तारीख के अनुसार कोटा दिया जाता है। इस विवरण में कई वर्गों का उल्लेख किया गया है। जबकि सरकारी उच्च अधिकारियों तथा संसद्-सदस्यों के सम्बन्ध में 1964 तक नम्बर आ गया है, डाक्टरों के नाम 7-10-1963 से प्रतीक्षा-सूची में हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन लोगों को संसद्-सदस्यों तथा अधिकारियों पर पूर्ववर्तिता दी जाती है और सदस्यों को कार का आवंटन नहीं हो सकता जब तक कि यह सूची समाप्त नहीं हो जाती ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : नहीं श्रीमान्। केन्द्रीय सरकार के कोटे में से हम ने संसद्-सदस्यों तथा अधिकारियों इत्यादि के लिये कोटा निर्धारित किया है ताकि भिन्न-भिन्न वर्गों में पूर्ववर्तिता का प्रश्न न उत्पन्न हो।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता कि सरकारी अधिकारी अथवा ससद्-सदस्य अथवा जन-साधारण फिएट कार को अधिक पसन्द करते हैं और वे एम्बेसेडर कार जो निकम्मी है, को पसन्द नहीं करते ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या फिएट कार के लिये सात वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्योंकि बिरला द्वारा यह दबाव डाला जा रहा है कि फिएट कारें उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहियें तथा एम्बेसेडर कारें अधिक बेची जानी चाहियें।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं दृढ़ता से इस बात का खण्डन करता हूं कि जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है किसी भी ओर से किसी किस्म का दबाव डाला जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : सरकार के दूसरे मंत्रालयों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम बाहर से किसी भी दबाव से दबने वाले नहीं हैं और जो ठीक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी । मैं सभा को बता दूं कि इसी वर्ष हम ने फिएट कारों का उत्पादन काफी बढ़ाया है; पिछले वर्ष के उत्पादन के आंकड़ों की तुलना में यह 70 अथवा 80 प्रतिशत बढ़ गया है । उत्पादन के वर्तमान आंकड़ों को बनाये रखने के लिये और इन्हें बढ़ाने के लिये हम ने इटली से इस प्रयोजन के लिये, विशेषकर फिएट के लिये सीधे विदेशी ऋण लिया है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the names of the companies whom you have given the agencies and whether the ir accounts are checked by the Government ?

Mr. Speaker : All these are Indian companies.

Shri Onkar Lal Berwa : That is not the question. The question is whether the accounts etc. of the companies such as Kamal & Co., Delhi which are allotted quota by the Government are checked ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम कोई एजेंसी नहीं देते ।

श्री वासुदेवन नायर : यह स्पष्ट है कि दूसरी कारों की तुलना में लोगों द्वारा फिएट कार अधिक पसन्द की जाती है । सरकार 'स्टैन्डर्ड' अथवा 'एम्बैसेडर' कार में सुधार करने अथवा कोई दूसरी कार, चाहे वह यही हो जिसकी प्रदर्शनी की जा रही है, के उत्पादन करने के लिये क्या पग उठा रही है ताकि फिएट कार की मांग में कमी हो । अन्यथा आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है; उन्होंने अपना सुझाव दिया है ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have considered the desirability of framing such rule that until the Government requirements are met, the public will not be allotted the cars and the M.Ps. and the Ministers will not be allotted the Fiat cars because if the M.Ps. and the Ministers cooperate and put fourth concerted effort, then this problem can be solved. Are the Government considering to remove this difficulty ?

Mr. Speaker : Then Every M. P. will come here riding a horse.

Shri Vishram Prasad : May I know the number of the Fiat cars produced and why there are so many people still on the waiting list ? The control price of the Fiat car is about Rs. 14,000·00 while it is selling at Rs. 18,000 to 19,000 in the black-market. May I know the steps Government contemplates to take to stop this blackmarketing.

Shri T. N. Singh : I have already said that whenever we receive such complaints we take action . The State Governments are fully empowered and we draw their attention also towards this. We try to take every action permissible under the law.

Shri Sheo Narain : What percentage of quota is given to the producers of this type of car ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : निर्माताओं का कोटा, उत्पादन का तीन प्रतिशत रखा गया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether the hon. Minister is aware that even in spite of the distribution rules he has referred to, the cars which the producers retain with them on technical difficulties are more than three percent quota allotted to them although the price of these cars is also the same as that of the authorised cars ; if so, whether any steps have been taken to check this malpractice ?

Shri T. N. Singh : In so far as the question of the rejected cars, raised by the hon. Member is concerned, I think that the companies have no right to retain more than three percent cars with them. If the hon. Member passes on some information to me, I will look into it.

छोटा नागपुर में टसर उद्योग

*994. **श्री ह० च० सोय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्डों तथा आदिवासी खण्डों में स्थानीय आदिवासी अर्थ व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से "टसर" उद्योग का प्रत्येक पहलू से विकास करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं । ऐसी बात नहीं है । छोटा नागपुर डिवीजन के सामुदायिक विकास खण्डों और आदिवासी खण्डों में टसर उद्योग के विकास के लिये जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-4264/65]**

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri H. C. Soy : May I know whether out of 30 Tasar Supply Stations and sub-stations referred to in the statement, more than half of these stations are such which can be called bogus and such people are employed there who know nothing about Tasar?

श्री सें० वें० रामस्वामी : वे जाली नहीं हो सकते; वे बोगस नहीं हैं ।

Shri H. C. Soy : Mr. Speaker, Sir, it is an important question. I want to know whether the people employed there have any knowledge of this work.

श्री सें० वें० रामस्वामी : यदि माननीय सदस्य मुझे यह बतायें कि उनमें से कौन-कौन जाली हैं, तो मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा ।

Shri H. C. Soy : I can say that many of the Tasar Stations are bogus.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जिन लोगों को कार्यभार सौंपा गया है, क्या उन्हें इस उद्योग का ज्ञान है ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह स्पष्ट है कि यह वही लोग होने चाहियें जिन्हें इसके बारे में ज्ञान हो ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह उद्योग आदिवासी क्षेत्र में है, इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि उस उद्योग के इन स्टेशनों में काम करने वाले आदिवासी लोगों का अनुपात क्या है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं अनुपात नहीं बता सकता ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने जो रेशम के उत्पादन के लिये सांविधिक संगठन है, अपनी बैठकों में यह माना है कि भारी व्यय होने के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं क्या सरकार ने इसका कारण जानने का प्रयत्न किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं टसर निर्यात के आंकड़े दे सकता हूं; इसका निर्यात 1960 में 1,61,000 मीटर था और 1964 में यह 6,41,000 मीटर था । माननीय सदस्य की जानकारी कुछ-कुछ गलत है । 1960 में 21,70,000 रुपये का टसर निर्यात हुआ जबकि 1964 में यह निर्यात 84,43,000 रुपये का था । पांच वर्ष की अवधि में निर्यात में चार गुनी वृद्धि हुई है और यह कोई कम सफलता नहीं है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्योंकि इन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के लिये यह एक मुख्य उद्योग है इसलिये सरकार ने इनकी सहायता करने के लिये इस उद्योग में कितना धन लगाया है ?

श्री मनुभाई शाह : तीसरी योजना में बिहार में यह 60 लाख रुपये था; चौथी योजना में यह 80 लाख रुपये होगा ।

Shri Raghunath Singh : The question of the supply of seeds has been referred to in the Statement. May I know whether new varieties of silk-worm seeds have been introduced in these centres so that tasar of good quality could be produced? As the Government have introduced silk-worm seeds from Japan in Kashmir is there any such scheme to introduce good silk-worm seeds in these centres too ?

Shri Manubhai Shah : Mulberry tree is common in the world. Therefore whatever the hon. member is saying is correct and mulberry can be brought from Japan, Italy and Russia etc. But in so far as Tasar is concerned it is peculiar to India or Thailand. Therefore, there had not been much research regarding its plantation. One of the hon. members said that our research stations are bogus. I want to say that mostly technical personnel have been employed there. It may be that two or three stations from amongst them are not working properly. But whole the work regarding its hybridization is being done in this country and it is showing some results also. I want to inform the House that tusar industry is not a plantation industry and there is no regular agricultural production like mulberry. The collection is made from the trees in the forests also. It is more like a waste-product industry and to that extent it is not likely to be developed as mulberry industry.

श्री भागवत झा आजाद : यह बिल्कुल गलत है . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न

लोहा और इस्पात का विनियंत्रण

*995. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोहे और इस्पात का विनियंत्रण करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). इस्पात नियंत्रण के बारे में राज समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने 1-3-1964 से गैर चपटे पदार्थों पर से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा दिया। 26-12-64 से टिन प्लेट पर से मूल्य नियंत्रण और 25-3-1965 से बेलिंग हूप्स पर से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिये गये हैं। दूसरी वस्तुओं को उत्तरोत्तर विनियंत्रित करने की संभावना पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है।

Shri Onkar Lal Berwa : Sir I want to know the quantity of iron and steel required and the quantity being produced in the country ?

Shri P. C. Sethi As regards steel our production is 4·5 million tons and we are importing about 1 million tons from abroad.

Shri Onkar Lal Berwa : Is the imported steel cheaper than indigenous steel ?

Shri P. C. Sethi : This depends on prices category-wise which are separate for each category.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the difference in rates ?

Shri P. C. Sethi : There are different categories not one.

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister had stated the previous day that the scarcity is likely to continue for the present. I want to know how long will it continne ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अभी उपमंत्री महोदय ने बताया कि इस समय हम 10 लाख टन इस्पात आयात कर रहे हैं। चौथी योजना के अन्त तक हम यह कमी पूरी करने योग्य हो जायेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या नियंत्रण हटाने का मुख्य कारण नियंत्रण द्वारा उत्पन्न हुए भ्रष्टाचार में वृद्धि है अथवा सम्भरण स्थिति में सुधार है ?

श्री संजीव रेड्डी : जिन वस्तुओं की कमी नहीं थी और जहां मूल्य बहुत अधिक बढ़ने की सम्भावना नहीं थी वहां राज समिति की सिफारिश पर नियंत्रण हटा दिया गया है। हाल ही में हम ने टीन की प्लेटों पर से नियंत्रण हटाया है। 'बालिंग हूप्स' चाय समवायों के अतिरिक्त और कोई प्रयोग में नहीं लाता, इसलिये हम स्थिति को देख रहे हैं जहां कहीं भी हमें लगता है कि उत्पादन काफी है और मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी, हम शनैः शनैः नियंत्रण हटा देंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि लोहे तथा इस्पात पर से नियंत्रण हटा लेने से कुछ बड़े उद्योगपतियों द्वारा इनके गुप्त भण्डार कर लिये गये हैं ? यदि हां तो नियंत्रण हटने पर चोर बाजारी तथा जमाखोरी और अन्य समाजविरोधी गतिविधियां न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं । जब नियंत्रण लागू किया जायेगा तो इन बातों का ध्यान रखा जायेगा। केवल नियंत्रण के कारण ही चोर बाज़ारी आदि नहीं होने लगती। विनियंत्रण की भी अपनी त्रुटियां हैं। मूल्यों में कुछ वृद्धि हो जाती है। संयुक्त संयंत्र समिति इस पर ध्यान रखती है । सरकार भी ध्यान रखती है। हम राज्य सरकारों से भी सम्पर्क बनाये हुए हैं। राज्य सरकारें भी मूल्यों, सम्भरण की उपलब्धि आदि के बारे में सूचित करती रहती हैं और हम स्थिति काबू में रखने के लिये आवश्यक कार्यवाहियां करते हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddanti : Will decontrol lead to any adverse effect upon agricultural implement made of iron regarding their availability ?

Shri P.C. Sethi: Some commodities like flat products are still controlled but things like 'Channels' and 'Rounds' which are available in large numbers have been decontrolled. Hence all the commodities are not controlled.

Shri Vishwa Nath Pandey : Certain categories of iron and steel have been released from control. When will the rest of the categories decontrolled in view of the increasing production in the country ?

Shri P. C. Sethi : Efforts are being made. As the availability and production increases we will try to affect decontrol progressively.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार यह जानती है और क्या उसने अनुमान लगाया है कि सिंचाई बांधों में किस किस्म का इस्पात काम आयेगा और इस दिशा में हम ने अब तक क्या कुछ किया है ? कुछ सिंचाई परियोजनाएं पांच वर्ष से पूरी नहीं हुई क्योंकि उनके निर्माण के लिये इस्पात उपलब्ध नहीं हो सका । मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

श्री प्र० चं० सेठी : पूर्वसूचना प्राप्त हुए बिना किसी परियोजना विशेष के बारे में कुछ कह सकना कठिन है। हम आवश्यकता अनुसार उत्पादन तथा सम्भरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री क० ना० तिवारी : प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया है कि जहां भी नियंत्रण लगाया अथवा हटाया जाता है चोर बाज़ार में मूल्य बढ़ने लगते हैं। क्या यह जानने के लिये कोई नियमित अध्ययन किया गया है कि इन वस्तुओं के विनियंत्रण के फलस्वरूप मूल्यों में कितनी वृद्धि होती है ?

श्री संजीव रेड्डी : सभी वस्तुओं के मूल्यों में समान वृद्धि नहीं होती। वह वस्तुएं जिनका सम्भरण कुछ कम है मूल्य बढ़ जाना स्वाभाविक है। यह सूचना राज्य सरकारों ने दी है। कई अन्य वस्तुएं जो आसानी से उपलब्ध हैं, मूल्य 10 प्रतिशत तक बढ़े होंगे, इससे अधिक नहीं ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या वितरकों को लोहे तथा इस्पात से बनी उन वस्तुओं को बेचने की स्वतंत्रता दी गई है' जो वह व्यक्ति समय पर न ले जायें जिन के लिये वे वस्तुएं वितरकों को दी गई हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी हां।

श्री स० मो० बनर्जी : राज समिति की सिफारिश पर कुछ वस्तुओं के विनियंत्रण के फलस्वरूप, जैसा कि अभी बताया गया है, क्या यह सच है कि कलकत्ता के लोहा तथा इस्पात क मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में काम करने वाले 700 कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें बदले में रोजगार नहीं दिया गया ?

श्री संजीव रेड्डी : हमें सूचित किया गया था कि विनियंत्रण करने पर कुछ कर्मचारी फालतू हैं। हम अन्य विभागों में उनके लिये अन्य रोजगार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम बदले में रोजगार दिये बिना उनकी छंटनी नहीं कर रहे। हम अन्य विभागों के सहयोग से उन्हें पुनःरोजगार दिलाना सुनिश्चित करने का हरसम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Achal Singh : Is it a fact that after decontrol iron goods are made available to old customers only and not to the new ones ?

Shri P. C. Sethi : Stockists other than the registered ones can also indent the commodities which have been decontrolled.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या उन व्यापारियों को दिये गए आज्ञापत्रों की वास्तविकता की कोई जांच की गई है जहां माल निर्धारित समय के अन्दर अन्दर नहीं उठाया जाता ?

श्री प्र० चं० सेठी : पंजीकृत तथा अन्य सम्भरणकर्ताओं को आज्ञापत्र राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जाते हैं।

न्यूयार्क विश्व मेला

*996. **श्री श्रोनारायण दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1965 में न्यूयार्क के विश्व मेले में भूमि के अन्दर दबाये जाने वाले "टाइम कैप्सूल" के लिए सामग्री का चुनाव तथा संग्रह करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने भारत सरकार से इसके लिए कोई सामग्री भेजने की प्रार्थना की है ; और

(ख) चुनी गयी तथा भेजी गई भारतीय सामग्री का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). यद्यपि मेला अधिकारियों ने भारत सरकार से इस प्रकार की कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की है तथापि योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० थैकर, जो हाल ही में न्ययार्क में थे, से उन्होंने सम्पर्क किया है और प्रो० थकर ने उन्हें भारत सम्बन्धी कुछ सामग्री दी है।

अब तक हमें प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार भारत सम्बन्धी टाइम कैप्सूल जिसे मेले की समाप्ति पर धरती में गाढ़ दिया जाएगा, के लिये जिस सामग्री के सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है वह सभा पटल पर रखे जाने वाले एक विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय म रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4265/65]**

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस उद्देश्य के लिये जिस समिति का गठन किया गया था उसमें कोई भारतीय भी शामिल था ?

श्री मनुभाई शाह : यह समिति अन्तर्राष्ट्रीय समिति न होकर पूर्णतया मेला अधिकारियों की एक समिति थी जिसमें मेले के कार्यापालक प्रबन्धक ही थे, जो स्थानीय लोग थे।

श्री श्रीनारायण दास : दिये गए कुछ सुझावों की दृष्टि से क्या भारत सरकार का स्वर्गीय प्रधान मंत्री के इच्छा पत्र को भी इसमें शामिल करने का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक हमें पता है, वह सभी बातें जिनका वर्णन हमने उस तिथि से लेकर आधुनिकतम घटनाओं के भारत का इतिहास दर्ज करने के लिये किया है, 'टाइम केप्सूल' में शामिल किए जाने की सम्भावना है। क्योंकि यह एक फोटो फिल्म होगी इसलिये काफी सामग्री 'टाईम केप्सूल' में ही आ जाएगी।

श्री रघुनाथ सिंह : क्योंकि मिस्र के 'पिरामडों' में बनारसी वस्तुएं मिली हैं, इसलिये क्या बनारस की कला-वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा अथवा वहीं ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक अथवा दो वस्तुओं से कहीं अधिक बड़ी मूल एतिहासिक धारणा है। हमने अपने जाने-माने व्यक्तियों के नाम, भारत का इतिहास, एवरेस्ट शिखर का भौगोलिक महत्व, भारत की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की वास्तुकला आदि—जैसे ताच महल और अन्य वस्तुएं दर्ज की हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : बनारसी वस्तुएं भी ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं।

श्री कपूर सिंह : 'टाइम केप्सूल' में गांधी टोपी को क्यों शामिल नहीं किया गया जबकि यह स्वतंत्रता उपरान्त काल का प्रतिनिधित्व करती है। यह आज के भारत की सब से महत्वपूर्ण निशानी है, इसे शामिल किया जाना चाहिये था।

एक माननीय सदस्य : अब तो कांग्रेसी लोग भी इसका परित्याग कर रहे हैं।

श्री मनुभाई शाह : गांधी टोपी 'टाईम केप्सूल' में कैसे शामिल की जा सकती है ? हम ने गांधीजी की जीवनी तथा "सत्य की खोज में" और पंडित जवाहरलाल नेहरू के "भारत की खोज" को इसमें शामिल करने को कहा है। क्योंकि 'टाईम केप्सूल' में राष्ट्र के लिए बहुत महत्व की घटनाओं का एतिहासिक वर्णन हो शामिल किया जाएगा, इसलिये संभवत: गांधी टोपी शामिल नहीं हो सकती।

श्री कपूर सिंह : इसे उसी रूप में शामिल किया जाए।

Manufacture of Baby Food

997. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 193 on the 26th February, 1965 and state :

(a) The improvement since effected in the position regarding the production of baby food;

(b) the number of applications received for establishing baby food manufacturing factories and the number of those among them which have been granted licences; and

(c) whether it is also a fact that cheese has also become scarce like baby food ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) वर्ष 1964 के दौरान औसत उत्पादन की तुलना में जनवरी-फरवरी, 1965 के उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि उसमें सुधार हुआ है।

(ख) प्राप्त हुए आठ आवेदन-पत्रों में से तीन को लाइसेंस दिये गये हैं।

(ग) पनीर की कमी के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है।

Shri Siddheshwar Prasad: The hon. Minister has stated that the production of baby food had increased during January and February but is he aware that inspite of that it is not available in the market but only in the black market ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : We know that there is still scarcity of baby food but it is also a fact that production has increased.

Shri Siddheshwar Prasad : When the Third Five Year Plan was drafted was this fact also borne in mind that the demand for baby-food in the country will increase ? If so, how far the scheme to grant licences for new factories to increase the production capacity of old ones, in view of the requirements, has been implemented and the extent to which success has been achieved ?

Shri T. N. Singh : New licences have all along been given to new factories and as has been stated, three licences have already been given to increase baby-food production.

वाह और रोहड़ी में सीमेंट के कारखाने

*998. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने वाह तथा रोहड़ी में भारतीय सीमेंट कारखानों को अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार ने भारतीयों को पूरा प्रतिकर देने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने वाह तथा रोहड़ी स्थित भारत की एसोशियेटड सीमेंट कम्पनीज़ फैक्टरीज़ की अचल सम्पत्ति ले ली है। इसके लिये ए० सी० सी० ने 52 लाख रु० की राशि मुआवजे के रूप में लेना स्वीकार कर लिया था। सीमेंट का निर्माण बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिये पश्चिमी पाकिस्तान ने ए० सी० सी० से

उसकी चल तथा अन्य अस्तियां भी जो अधिग्रहण में नहीं आती हैं, 12 मार्च, 1965 को खरीद लें। सौदे का वास्तविक मूल्य दोनों पार्टियों द्वारा किये गये करार के अनुसार लगाया जायेगा। फिर भी ए० सी० सी० ने अनुमान लगाया है कि यह सौदा 335/340 लाख रु० के लगभग होने की आशा है (इसमें अचल सम्पत्ति के लिये 52 लाख रु० का मुआवजा भी शामिल है)। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा इस मूल्य का भुगतान नकद और/अथवा किस्म (अर्थात् सीमेंट और/अथवा खंजड़ और या अन्य किन्हीं वस्तुओं में, जो भारत सरकार को स्वीकार हो और जिसके लिये परस्पर पार्टियां तैयार हों), सात वर्षों में किया जायेगा। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने एस० सी० सी० को फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक, बम्बई की एक अधिकृत, अपरिवर्तनशील तथा भुगतान न होने पर कोई दावा न किये जाने वाली गारंटी भेज दी है।

श्री रामेश्वर टांटिया : विवरण से पता चलता है कि दो कारखानों की अचल सम्पत्ति का मूल्य 52 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। दो कारखानों की अचल सम्पत्ति का मूल्य 52 लाख रुपये बहुत कम है क्या इस सम्बन्ध में सरकार से सलाह की गई थी या मूल्य उन लोगों ने स्वयं निश्चित कर लिया था?

श्री विभुधेंद्र मिश्र : जहां तक विक्रय मूल्य करार का सम्बन्ध है यह सम्बन्धित पक्षों अर्थात् पंजाब सरकार विकास निगम तथा ए० सी० सी० की अपनी बात थी। हां सरकार को उस बारे में अवगत किया जाता रहा था। वे भी महसूस करते हैं कि मूल्य बाजार भाव की तुलना में कम है। परन्तु पूरे सौदे में भारत को तथा ए० सी० सी० को हानि नहीं। क्यों कि पाकिस्तान में लगा धन निकाला नहीं जा सकता है। इस को ध्यान में रखते हुए मूल्य ठीक है।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : यह सच है। जहां तक धन आने का सम्बन्ध है, मेरे विचार में वह आ रहा है। मैं इस की छानबीन कर सकता हूं।

रेलवे टिकटों का हिन्दी में छापा जाना

*999. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रेलवे टिकटों के केवल हिन्दी में छापे जाने के बारे में पूछताछ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या पता लगा है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4266/65]**

श्री दी० चं० शर्मा : किन परिस्थितियों में यह टिकट जारी हुआ। इसकी आंध्र प्रदेश तथा भारत के कुछ अन्य राज्यों में क्या प्रतिक्रिया हुई?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में इस में कोई विशेष बात नहीं थी। सिकन्दराबाद स्टेशन को यह टिकट 4 अगस्त, 1962 को दिया गया था। इसके पश्चात् अक्टूबर में टिकटों की एक और श्रणी दी गई थी—ये दोनों श्रेणियां यहां पर हैं—और टिकट विशेष हिन्दी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी छापा गया था। मैं समझ नहीं पाया हूं कि समाचारपत्रों ने कैसे लिखा है कि वह केवल हिन्दी में था। यह टिकट यहां मेरे पास है, आप स्वयं इसे देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या जब यह राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था तो वहां क्या किसी ने इसे देखा नहीं ?

डा० रा सुभग सिंह : हमें खेद है कि हम राज्य सभा में नहीं थे।

श्री दो० चं० शर्मा : क्या त्रिभाषी सूत्र के अनुसार भारत के सभी भागों में टिकट छापे जा रहे हैं या एसी व्यवस्था केवल कुछ राज्यों में ही है।

डा० राम सुभग सिंह : टिकटों के त्रिभाषी सूत्र के अनुसार छापने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे जैसे दक्षिण पूर्वी रेलव, छः राज्यों में चलती है । कई अन्य रेलवे चार राज्यों में चलती हैं। सामान्य रूप से हिदायत की गई है कि टिकट हिन्दी, अंग्रेज़ी तथा प्रादेशिक भाषा में छापे जायें, परन्तु उत्तर-पूर्वी रेलवे में यह यह अंग्रेजी तथा हिन्दी में है क्यों कि वहां हिन्दी प्रादेशिक भाषा भी है।

उत्तर रेलवे में यह पंजाबी, हिन्दी और अंग्रेज़ी में होनी चाहियें । इस बारे कोशिश हो रही है कि टिकटें तीनों भाषाओं में जारी किये जायें। पूर्वी रेलवे में यह हिन्दी, बंगाली तथा अंग्रेज़ी में हैं। हावड़ा-सियालदह में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां की भाषा बंगाली है परन्तु हिन्दी भी प्रयोग की जाती है। अतः वहां अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा बंगाली है। इसी प्रकार असम में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में प्रादेशिक भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेज़ी है। इस प्रकार यह सूत्र लगभग सभी जगहों पर लागू है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक नहीं बल्कि दो या तीन क्षेत्रीय भाषायें हैं। ऐसे स्थानों पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

श्री वें० वेंकटासुब्बया : जिस टिकट का उल्लेख किया गया है वह केन्द्रीय रेलवे के सिकन्दराबाद स्टेशन से जारी किया गया है और वहां की प्रादेशिक भाषा तेलुगू है । मैं जानना चाहता हूं कि उस भाषा में इसे न छापने की यह स्पष्ट भूल कैसे हुई ?

डा० राम सुभग सिंह : 1960 में इस बारे में एक आदेश जारी किया गया था और 1960 में इस का संशोधन किया था ; बाद में 1962 में एक अतिरिक्त संशोधन जारी कर के यह किया गया कि हमें त्रिभाषी सूत्र के अनुसार चलना होगा। 1962 के पश्चात् हम ऐसे ही कर रहे हैं परन्तु जैसा मैं ने कहा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर एक से अधिक प्रादेशिक भाषायें हैं। सिकन्दराबाद में भी मराठी तथा तेलुगू दो भाषायें हैं .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं रेलवे के सिकन्दराबाद ज़ोन की बात कर रहा हूं । आपको बात को समझे बग़ैर "नहीं नहीं", नहीं कहना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य : बहुत अच्छे ।

डा० राम सुभग सिंह : इस ज़ोन में मराठी बोली जाती है और वह अब महाराष्ट्र में है। कुछ और भी कठिनाइयां हैं .

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा० राम सुभग सिंह : मुद्रणालय सिकन्दराबाद से बाईकुल्ला ले जाया गया था पर उस के टाइप ले जाने में कुछ समय लग गया था। क्या यह भी एक और कारण था।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार है। माननीय मंत्री ने कहा है कि त्रिभाषी सूत्र 1962 में आया था। तेलुगू देश की एक मुख्य प्रादेशिक भाषा है और सिकन्दराबाद बहुत समय से मुख्य कार्यालय है तो ऐसी स्थिति में टिकट मराठी में भी क्यों नहीं छापा गया, केवल अंग्रेज़ी और हिन्दी ही क्यों प्रयोग में लाई गई ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरे से जानना चाहते हैं अथवा मंत्री महोदय से ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर भी क्या मंत्री महोदय को देना है ?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मुझे खेद है।

Shri Sheo Narain : I want to know the action being taken by the Government against newspapers which indulged in false propaganda ?

डा० राम सुभग सिंह : उन को ठीक सूचना देनी होगी।

Shri A. P. Sharma : What will be the order in which languages will be used while printing tickets under three-language formula? Will it be Hindi, English and regional language or it will be regional, Hindi and English ?

Dr. Ram Subhag Singh : In Secunderabad tickets under three-language formula are in order of Telugu, Hindi and English.

Shri A.P. Sharma : I am not asking about Secunderabad only ? I want to know the practice under three-language formula, is it in order of Hindi, English and regional language or it is in order of regional language, Hindi and English ?

Dr. Ram Subhag Singh : Actually, tickets are printed in this way for facility of passengers travelling in third class. It is endeavoured to give preference to the language of general people.

श्री सेझियान : विवरण से पता चलता है कि ये टिकट 1962 में छापे गये थे परन्तु संविधान के अनुबन्धों के अनुसार 1962 में अंग्रेज़ी नहीं हटाई जानी चाहिये थी। हिन्दी का प्रयोग हो अथवा नहीं पर अंग्रेज़ी नहीं हटाई जानी चाहिये थी। मैं जानना चाहता हूं कि टिकट पर स्टेशन का नाम अंग्रेज़ी में क्यों नहीं छापा गया जबकि यह संवैधानिक दायित्व था ? यह असंवैधानिक बात क्यों की गई ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मुश्किल यह है कि हम 1962 की बात अब सोच रहे हैं। उस समय वर्तमान जैसी भाषा की समस्या नहीं थी। इस के अलावा माननीय सदस्य राज्यों

और रेलवे खण्डों में संभ्रान्ति उत्पन्न कर रहे हैं । रेलवे तो ज़ोनों के अनुसार कार्य करती हैं। सौभाग्य से हिन्दी तथा मराठी की लिपि एक जैसी है । यदि कोई मुश्किल होती तो विशेष अन्तर नहीं आना था परन्तु हम ने सब ठीक कर लिया है । यह बात जानबूझ कर नहीं की गई है अतः इस की आलोचना नहीं होनी चाहिये ।

श्री सेझियान : मेरा प्रश्न भिन्न था ।

श्री बूटा सिंह : बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की यह एक आम शिकायत है कि जब वे पकड़े जाते हैं तो उन को जुर्माना भुगताने की रसीद अंग्रेज़ी भाषा में दी जाती है । इन यात्रियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री स० का० पाटिल : वे लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि उन को भाषा की चिन्ता नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

उर्वरक तथा रासायनिक उपकरण का निर्माण

\+

*1000. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कनकसबै :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी विदेशी कम्पनियों ने उर्वरक तथा रासायनिक उपकरण बनाने के लिये एक रचना कारखाना खोलने में सरकार को सहयोग देने के लिए अपनी तीव्र इच्छा तथा रुचि व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी कम्पनियां हैं, उन की सहयोग की शर्तें क्या हैं और भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). विदेशों के कुछ प्रसिद्ध निर्माताओं से प्रारम्भिक सम्पर्क स्थापित किया गया है । अभी तक उन में से केवल एक निर्माता के साथ विस्तार से बातचीत करने में कुछ प्रगति हुई है । फिर भी शर्तों तथा अन्य मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मशीनरी आदि आयात करने पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि का अनुमान लगाया है ? यदि हां, तो क्या यह समझौता भारत के हित में होगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि०ना०सिंह): क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रस्तावित कारखाने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ? या वह आयात होने वाले उर्वरक उपकरणों पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा जानना चाहते हैं ?

श्री वें० वेंकटासुब्बया : इस मशीनरी के निर्माण के लिये सहायता समझौता तय होने से पहले सरकार इस समय कितनी विदेशी मुद्रा व्यय कर रही है और क्या इस करार से सरकार को विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिलेगी ?

श्री त्रि०ना० सिंह : अभी हम बातचीत कर रहे हैं और वह प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Heavy Electricals Ltd., Bhopal

\+

S. N.Q. 11 { **Shri Bade** : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether iti s a fact that some labourers of Heavy Electricals Ltd., Bhopal are on hunger strike and are causing great unrest among labourers and heavy loss in production ; and

(b) if so, whether Government have received any memorandum or charter of demands from them and if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : (a) Some persons whose ser vices had been terminated by the management of the Heavy Electricals Ltd. and one 'B' Grade artisan who was on leave, went on relay hunger strike from the 24th March, 1965 to 13th April, 1965.

(b) No, Sir.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, the labourers have given a demand charter to the Government, but the hon. Minister has denied it. Five or six thousand labourers have submitted a signed demand charter to the Government. I want to know whether the decision about reduction of salary and increase of allowances will be reconsidered by the Government ?

Shri T. N. Singh : We have not received any charter of demands from Union. We have received about two ordinary letters. We generally receive such letters.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : About 105 persons have been dismissed and some persons are in jail. If they are leftists, will Government prosecute them and give them an opportunity to defend themselves in a court of law ?

Shri T. N. Singh : They were absent from duty and they did not submit application. They were turned out under the rules.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल के कर्मचारियों की मुख्य मांग यह है कि उन के वेतन, मजूरी तथा भत्ते अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर होने चाहियें ? यदि हां, तो सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ? क्या यह सच है कि इस समय भी 8 कर्मचारी भारत रक्षा नियमों के अधीन जेल में बन्द हैं ? क्या सरकार कर्मचारियों में शान्ति स्थापित करने के लिये उन को रिहा करेगा ?

Shri T. N. Singh : Shall I give answer to all the three questions ?

Mr. Speaker : If you can give to one, it will be sufficient.

श्री स० मो० बनर्जी : ये तीनों सम्बद्ध हैं ।

Shri T. N. Singh : So far the employees are concerned, they have not submitted application and that is why their services were terminated. Regarding pay we have already removed the disparity between their pay scale and pay scales of other Government servants. There is no reason for dissatisfaction.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Do the Government want to prosecute those, who are in jail ? It has not been answered.

Shri A. P. Sharma : Do the Government encourage workers to restore hunger-strike to get their demands met if not, what action Government propose to take against persons on hunger-strike ?

Shri T. N. Singh : We will not be intimidated by the hunger-strike.

Shri Madhu Limaye : Some workers were arrested a few months back under the Defence of India Rules. Later on they were released but they were not taken in service on the pretext that they were absent from duty without application. I want to know whether the hon. Minister is prepared to reconsider their case on humanitarian grounds and for industrial peace ?

Shri T. N. Singh : They did not send their application, which they could do. On account of this, their services were terminated.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, my question was different. Non-submission of application is a formal thing.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि उ होंने अधिकारियों को अपील भी नहीं की । क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि एक मजदूर को फैक्टरी से निकालने से पहले उसे आरोप-पत्र दिया जाना आवश्यक है और केवल तभी उसे सेवा से निकाला जा सकता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्य को ठीक प्रकार से सूचित नहीं किया गया है । उन की अपील का कोई प्रश्न ही नहीं है । उन्होंने तो छुट्टी की अर्जी ही नहीं दी ।

Shri Madhu Limaye: On that account they were dismissed and now they will be made to die of hunger.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I wanted to know whether Government will launch prosecution against those who are in jail ? No answer has been given to this. Why they are not prosecuted ?

Shri T. N. Singh : The State Government has put them in jail. We have not done that.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जापानी इस्पात उत्पाद

*990. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापानी इस्पात उद्योग द्वारा पेश किये गये जापानी इस्पात उत्पादों का भारतीय लौह अयस्क से वस्तु विनिमय करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जापानी इस्पात उद्योग द्वारा किया गया यह प्रस्ताव कि जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क से जो विदेशी मुद्रा अर्जित की जाय उसके एक निर्धारित भाग से जापानी इस्पात खरीदा जाय, अभी तक विचाराधीन है । लौह अयस्क की बिक्री के संविदाओं के बारे में हाल में ही जब खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधि मण्डल जापान जायगा तो जापानी इस्पात उद्योग के साथ विस्तार से बातचीत करेगा ।

घटिया किस्म के कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग

*992. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोबर के स्थान पर ईंधन के रूप में घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग करने की संभावना पर विचार किया है ;

(ख) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श से कोई ऐसी व्यापक योजना तैयार की गई है कि गोबर की बड़ी मात्रा, जो ईंधन के रूप में जलाई जाती है, खाद के रूप में उपयोग करने के लिये मिल सके ; और

(ग) क्या घटिया किस्म के कोयले को उत्पादन संयंत्रों से दूरस्थ स्थानों को भेजने की सुविधा देने के लिये राज सहायता देने से ढुलाई व्यय कम होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ग्रामों में उपलों के स्थान पर कोई अन्य ईंधन, जिसमें साफ्ट कोक शामिल है का प्रयोग निःसन्देह एक वांछनीय उद्देश्य है । उपले, जो उन्हें करीब करीब बिना मूल्य मिलते हैं, तथा साफ्ट कोक के मूल्यों में बड़ी असमता एक महत्वपूर्ण कारण है जो ग्रामीणों द्वारा कोयला प्रयोग में प्रतिकूल होता है । ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर सौफ्ट कोक के प्रयोग की आशा नहीं है

जब तक उत्पादन और यातायात दोनों के मूल्य में साहाय्य नहीं दी जाती और उपलों के मुकाबिले में सौफ्ट कोक को मान-मात्र मूल्य पर उपलब्ध नहीं किया जाता । गोबर को खाद के लिये बचाने के लिये राज्य सरकारों ने शीघ्र उगने वाले पेड़ लगाने तथा गोबर से गैस निर्माणियां लगाने की योजनायें शुरू की हैं ।

Leipzig Fair

*1001. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn, to a news item appearing in the Sunday 'Statesman' dated the 7th March, 1965 to the effect that the objectives of displaying our commercial publicity material at the International Fair being held at Leipzig in East Germany, have been defeated because the whole publicity material was in English; and

(b) if so, whether Government propose to send such directives to our Ambassadors/Consuls and other representatives with aview to avoid such mistakes in future and also to prevent such an avoidable loss to the Exchequer ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) The news item referred to has been seen by Goverr ment. Subject to the limitations of availability of foreign exchange, as much commercial publicity material as was possible was printed and published in German language.

(b) Our embassies in foreign country are not unaware of the need for publicity in local languages. We are re-iterating the instructions on the subject so that they may not be lost sight of in future. We are also taking steps to encourage individual initiative on the part of Indian exporters in bringing our publicity material in foreign languages particularly in regard to Exhibitions.

सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में सूत की मिलें

*1002. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 19 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में सूत की मिलें खोलने के सरकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारतीय सूत मिल संघ (फेडरेशन) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो फेडरेशन ने क्या-क्या मुख्य सुझाव दिये हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). भारत सरकार को भारतीय सूती मिल संघ के उस अभ्यावेदन की एक प्रति मिली है जो उसने योजना आयोग के पास भेजी थी । संघ ने जो मुख्य बात कही है वह यह है कि सरकार के वित्तीय साधनों तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के लिये की जाने वाली भारी मांगों को देखते हुए, सहकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में मिल खोलने का निश्चय

केवल तभी करना चाहिये जब यह सिद्ध हो जाय कि वर्तमान उद्योग काफी उत्पादन नहीं कर रहा है अथवा मशीनों इत्यादि का आवश्यक संभरण किये जाने पर भी उसका आवश्यक आधार पर विस्तार नहीं हो रहा है और इन त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार का इस क्षेत्र में आ जाना आवश्यक है । संघ का विचार है कि इनमें से किसी भी आधार पर यह साबित नहीं हो सकता कि सरकार के क्षीण वित्तीय साधनों और कर्मचारियों को सूती मिल खोलने में लगाना उचित होगा ।

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया संघ को सूचित कर दी गई है । भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की यह नीति रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाय । लगभग 52 सहकारी कताई मिल अब तक या तो खोले जा चुके हैं अथवा खोले जा रहे हैं । इस लिये वर्तमान प्रस्ताव सरकार की स्थापित नीति से भिन्न नहीं है । कपड़ा जनता के लिये एक आवश्यक वस्तु है । इसलिये इतने व्यापक उपभोग की वस्तु के कुछ कारखाने सरकारी क्षेत्र में भी खोले जायं तो ऐसा करना सार्वजनिक नीति की दृष्टि से भी लाभप्रद होगा । योजना का एक लक्ष्य यह है कि कुछ मिल देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए कुछ ऐसे क्षेत्रों में खोले जाने चाहियें जहां निजी उद्यमियों ने मिल खोलने के लिये काफी दिलचस्पी नहीं दिखाई है । एक दूसरा लक्ष्य निर्यात के लिये विभिन्न किस्मों का बढ़िया सूत बनाना है । सूत निर्यात करने की ओर वर्तमान मिलों ने काफी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसका कारण निस्सन्देह यही है कि उनके माल के लिये देश में ही आकर्षक बाजार उपलब्ध है । प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले मिल चौथी तथा पांचवी योजना अवधियों में किये जाने वाले विस्तार कार्यक्रम का एक भाग होंगे । इसलिये इनसे निजी क्षेत्र को कोई भी असुविधा नहीं होगी । निजी क्षेत्र के कारखानों का विस्तार होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, क्योंकि सूत और कपड़ा सम्बन्धी देश की मांग और निर्यात की आवश्यकताएं प्रति वर्ष बढ़ती रहेंगी ।

मशीनी औजार कारखाने

*1003. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री पं० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

*क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में दो अन्य मशीनी औजार कारखाने स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वे कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) (क) जी, हां ।

(ख) इनमें से एक संयंत्र, मध्यम के भारी मशीनी औजार जैसे सेंटर खरादें, टरेट खरादें और आड़ी बोरिंग तथा पिसाई मशीनें 950 संख्या तक या 5000 मीट्रिक-टन प्रति वर्ष के हिसाब से तैयार करेगा । दूसरा संयंत्र विभिन्न किस्मों की सान चढ़ाने की की मशीनें 850 संख्या तक या 3000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तैयार करेगा । एक ग्रे आइरन फाउन्ड्री जिसकी क्षमता 10,000 मीट्रिक टन कास्टिंग प्रति वर्ष है और जो दोनों संयंत्रों के लिये सम्मिलित होगी, मध्यम भारी मशीनी औजार संयंत्र के साथ ही स्थापित की जायेगी । मध्यम भारी मशीनी औजार संयंत्र, ग्राइंडिंग मशीनी औजार संयंत्र तथा ग्रेआइरन फाउन्ड्री में वार्षिक उत्पादन के मूल्य का अनुमान क्रमश: 6.8 करोड़ रु०, 3.8 करोड़ रुपये तथा 2.1 करोड़ रु० लगाया गया है ।

(ग) मध्यम मशीनी औजार संयंत्र और फाउन्ड्री गुजरात के भावनगर में तथा सान रखने का मशीनी औजार संयंत्र राजस्थान के अजमेर में स्थापित किया जायेगा ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

*1004. { **श्री विद्यावरण शुक्ल :**
श्री कनकाबे : }

क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जापान को लोह अयस्क का संभरण करने के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जापान को लौह अयस्क का संभरण करने के सम्बन्ध में सालाना बातचीत करने के लिये मई में धातु तथा खनिज व्यापार निगम का एक शिष्टमण्डल जापान जाने की आशा है । उसी समय किरीबुरू अयस्क का संभरण करने की विस्तृत व्यवस्था भी तय हो जाने की आशा है ।

आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन

*1005. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वरानन्द : }

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन के कार्यचालन की जांच करने के लिए स्थापित अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) सरकार को अपनी आयात नीति उदार बनाना कहां तक इष्टकर प्रतीत हुआ है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि पूंजीगत सामान कच्चे माल व अन्य मूल आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण उद्योगों को हानि न उठानी पड़े ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) . (क) अध्ययन दल के प्रतिवेदन का पहला भाग सरकार को दे दिया गया है । 11 मार्च, 1965 को इस रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखी गई थी ।

(ख) और (ग). अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों वाले प्रस्ताव की एक प्रति भी 5 अप्रैल, 1965 को सदन की मेज़ पर रखी जा चुकी है ।

सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनायें

*1006. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्र की तीनों इस्पात परियोजनायें घाटे पर चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1964–65 में कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या सरकार का विचार हानि होने के कारणों की जांच कराने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ). क्योंकि 1964–65 के हिसाब-किताब को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के इस वर्ष के वैतिक परिणाम के बारे में बताना कठिन है । 1963–64 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 4.79 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई ।

हानि मुख्यतः उत्पादन के निर्धारित क्षमता से कम होने तथा पूंजीगत खर्चों के, जिनमें मूल्यह्रास और ब्याज भी सम्मिलित हैं, कारण हुई है ।

क्योंकि हानि होने के कारण मालूम हैं और स्थिति को सुधारने के लिए पहले ही उचित उपाय किए जा रहे हैं इसलिए जांच करवानी आवश्यक नहीं है ।

टेलीविजन सेटों का आयात

*1007. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने इस वर्ष भारत को टेलीविजन सेटों का निर्यात करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों से तथा किन शर्तों पर ;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष ऐसे सेटों के लिये कोई आयात लाइसेंस दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने सेटों के लिए कितने मूल्य पर तथा किन देशों से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) बहुत थोड़े समय में माल भेज देने की शर्त के साथ 4000 सेट संभरण करने का एक प्रस्ताव हंगरी से प्राप्त हुआ है । भारत–हंगरी अदायगी करार के अनुसार इस का भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में होगा । हालैण्ड तथा रूस से टेलीविज़न सेटों का आयात करने के लिए दो भारतीय पार्टियों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इसके अतिरिक्त सामान्य मुद्रा क्षेत्र से अर्जित अपनी विदेशी मुद्रा से टेलीविज़न सेटों का आयात करके उन्हें यथासम्भव सस्ते से सस्ते मूल्यों पर तथा बिक्री के बाद सन्तोषजनक सर्विस करते रहने की शर्त के साथ भारत को टेलीविजन सेट भेजने का एक प्रस्ताव पूर्वी अफ्रीका स्थित एक मूल भारती पार्टी से प्राप्त हुआ है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 1000 सेट आयात करने तथा किस मूल्य पर ये जनता को बेचे जायं यह प्रश्न विचारारधीन है ।

चाय वित्त तथा प्रत्याभूति निगम

*1008. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय वित्त तथा प्रत्याभूति निगम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का गठन तथा कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) निगम के कृत्य प्रारम्भ में चाय बागानों को व्यापारी बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले ऋणों की गारण्टी करना होगा । निगम की स्थापना सम्बन्धी विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है ।

बिहार में राखा ताम्बा निक्षेप

*1009. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में राखा तांबा निक्षेप से तांबा निकालना प्रारम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस क्षेत्र में कितना तांबा मिलने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारतीय खान ब्यूरो इस समय राखा तांबा निक्षेप सिद्ध करने का विस्तृत कार्य कर रहा है । यदि अन्वेषण कार्य के परिणाम अनुकूल हुए तो खान-परियोजना के प्रस्ताव बनायें जायेंगे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तांबा धातु उत्पादन की सम्भावना के बारे में अभी कुछ संकेत करना समय पूर्व है ।

कारों और स्कूटरों का दिया जाना

*1011. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि जिन सरकारी पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को सरकारी कोटे से गाड़ियां मिल सकती हैं वे गाड़ियां (कार व स्कूटर) खरीद कर और उन्हें तीन गुने, चार गुने अथवा पांच गुने अधिक लाभ पर बेच कर इस सुविधा का मुनाफाखोरी के उद्देश्य से दुरुपयोग करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकारी कोटे से तथा अन्य तरीकों से गाड़ियों के आवंटन सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). सरकारी कोटे से गाड़ियां आवंटित करने की सुविधाओं का दुरुपयोग किये जाने की संभावनाओं के बारे में सरकार को सामान्य रूप से जानकारी है । इस प्रकार के दुरुपयोग को कम करने और आवंटन प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिये सरकार ने समय-समय पर आवंटन प्रणाली और कार्यविधि को कठोर बना दिया है ।

उड़ीसा का भूतत्वीय सर्वेक्षण

2508. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने समूचे उड़ीसा राज्य का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन खनिज संसाधनों का पता लगा और ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन्हें निकालने के लिए क्या योजनायें बनाई गयी हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राज्य का एक भूमीक्षण करीब-करीब पूरा हो गया है और 1:63,360 के पैमाने पर 75,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का मान चित्रण का कार्य भारतीय भौतिकी विभाग ने किया है ।

(ख)	खनिज पदार्थों के नाम	क्षेत्र
1	कच्चा लोहा	. केनझार, कटक, धीनकानल, बोलनगिर, पुरी तथा सुन्दरगढ़ के जिले
2.	मैंगनीज अयस्क	. सुन्दरगढ़, बोलनगिर
3.	क्रोमाइट .	. कटक, धीनकानल
4.	कोयला	. तालचर
5	चूना पत्थर (लाइम स्टोन)	. पुरी तथा गंजम में चिलका झील के पश्चिमी तटों पर
6.	तांबा	. बोलनगिर
7.	ग्रेफाइट	. धीनकानल, कालाहांडी, बोलनगिर
8.	मिट्टी	. कोरापुत तथा पुरी
9.	स्फोटिज	. कोरापुत और कालाहांडी
10.	धाव-सोना (प्लेसर गोल्ड)	. धीनकानल तथा कोरापुत
11.	माश्का . .	कोरापुत तथा सम्बलपुर

(ग) अब तक निम्नलिखित योजनायें बनाई गई हैं :—

1. किरिबुरू कच्चा लोहा परियोजना ।
2. बरसुआ कच्चा लोहा परियोजना ।
3. टोमको-दैतारी कच्चा लोहा परियोजना ।

4 नयागढ़–मालंगटोली कच्चा लोहापरियोजना ।

5 तालचर इन्डस्ट्रीयल काम्प्लैक्स ।

सामान बेचने के ठेके

2509. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर सामान बेचने के ठेके देने की शर्तों में 1 अप्रैल, 1963 से अब तक ठेकेदारों के असन्तोषजनक कार्य अथवा ठेकों की समाप्ति के कारण यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो वह क्या है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1963 से अब तक उत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर किन-किन पुराने फेरी वाले ठेकेदारों के ठेकों का नवीकरण किया गया है । कितने ठेके असंतोषजनक कार्य अथवा अवधि की समाप्ति के कारण रद्द किये गये हैं अथवा उनकी होल्डिंगों में परिवर्तन कर दिया गया है ; और

(ग) नये व्यक्तियों को सामान बेचने के ये ठेके देने की शर्तें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) खान-पान के ठेके देने के नियमों और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान नियमों के अनुसार ठेकेदारों के असन्तोषजनक काम को गम्भीर मामला समझा जाता है और आवश्यकतानुसार उनके खिलाफ जुर्माना करने, ठेके खत्म कर आदि की कार्रवाई की जाती है ।

(ख) 1–4–63 से अब तक जिन खान-पान ठेकेदारों के ठेकों का नवीकरण किया गया है, उनके सम्बन्ध में सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

असन्तोषजनक काम करने के कारण 1–4–1963 से अब तक जिन 13 ठेकेदारों के ठेके समाप्त किए गए हैं, उनका ब्योरा निम्न प्रकार है:–

स्थान का नाम	ठेकेदार का नाम
इलाहाबाद	मेसर्ज मोहन जाटव एण्ड कम्पनी
मोटा	श्री शाह मुहम्मद
भटिण्डा	मेसर्ज़ कृपा राम एण्ड सन्ज़
चंडीगढ़	मेसर्ज़ करम चन्द निहाल चन्द
धनचान साहिब	श्री इन्दर सिंह
पिलूखेडा	श्री रिछपाल सिंह
पटियाला	श्री हेमराज धूसिया
सेफिडान	मेसर्ज़ छिकू बाई आशा नन्द
सरहिन्द	श्री हेम राज
तापा	श्री नन्द सिंह
लुधियाना	श्री गंगा प्रशाद
कोटद्वारा	मेसर्ज़ चुनी लाल छोटे लाल
पठरी	श्री बाबू राम त्यागी

(ग) जैसाकि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, नये ठेकेदारों को ठेके देते समय ठेके की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता ।

Supply of Cement to Madhya Pradesh

2510. **Shri Lakhmu Bhawani :**
Shri Wadiwa :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) the requirement of Madhya Pradesh for cement during 1964-65 and 1965-66.; and

(b) the quantity of cement supplied to Madhya Pradesh during 1964-65 and the quantity likely to be supplied during 1965-66 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Mishra) : (a) and (b). The demand, allotment and despatches of cement to Madhya Pradesh under State quota are indicated below :

Year	Demand	Allotment	Despatches
	(In tonnes)		
1964-65	783,998	297,900	209,403
1965-66 (April-June, 1965) .	217,584	89,100	Despatches in progress

Allotment of cement is made against the indent furnished by the State Government every quarter. Though it is difficult to indicate precisely the despatches that may be effected during the year 1965-66, these are expected to be more than those for the year 1964-65.

Steel Allotment to M.P.

2511. **Shri Lakhmu Bhawani :**
Shri Wadiwa :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the quantity of iron and steel allotted by Government to Madhya Pradesh during 1964-65 ; and

(b) the quantity proposed to be allotted during 1965-66 ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) The quantity of iron and steel allotted to Madhya Pradesh during 1964-65 is as follows :

Steel .	. 7,616 tonnes (**)
Pig Iron .	. 20,465 tonnes (***)
M.S. Billets	. 18,117 tonnes

(**) Represents allotted quota ceilings for controlled categories and their defetives. Indentors can place orders for decontrolled categories of steel without restriction.

(***) Includes 4,065 tonnes of imported pig iron and 5,000 tonnes of Off Grade/Semi-broken ingot moulds released in lieu of pig iron.

(b) The allotment of iron and steel for 1965-66 has not yet been finalised.

किशनगंज स्टेशन यार्ड के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना

2512. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 मार्च, 1965 को 7.40 बजे किशनगंज स्टेशन यार्ड में कटिहार जाने वाली माल गाड़ी के सात डिब्बे उलट गये और चार टुकड़े-टुकड़े हो गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और इसके कारण जान व माल की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). 29-3-1965 को सवेरे के लगभग 7 बजकर 42 मिनट पर जब नं० 702 डाउन मालगाड़ी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के किशनगंज स्टेशन की लाइन नं० 3 पर रुकने को थी, तो उसके 7 खाली माल डिब्बे पटरी से उतर गये, लेकिन उनमें से न तो कोई डिब्बा उलटा और न किसी डिब्बे में टूट-फूट हुई ।

अनुमान है, रेल सम्पत्ति को लगभग 1950 रुपये की हानि हुई। इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

अहमदपुर-कटुआ तथा बर्द्धवान-कटुआ लाइट रेलवे

2513. **डा० सारादीश राय :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **रेलवे** मंत्री 5 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदपुर-कटुआ तथा बर्द्धवान-कटुआ लाइट रेलों के प्रबन्ध को लेने के बारे में कोई निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और यदि किन्हीं शर्तों के अन्तर्गत उन्हें लिया जायेगा तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रबन्ध हाथ में लेने के पश्चात् इन रेलवे लाइनों को नियमित बड़ी लाइनों में बदला जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि 1-4-1966 से बर्द्धवान-कटुआ लाइट रेलवे खरीद ली जाय । कम्पनी के साथ जो करार हुआ है उसके अनुसार इस रेलवे को खरीदने के बारे में कम्पनी को 12 महीने का नोटिस दिया जा चुका है । अहमदपुर-कटुवा रेलवे को खरीदने का अगला विकल्प 1-4-1968 को देना है । अतः इस रेलवे को खरीदने के बारे में तभी विचार किया जायेगा ।

(ग) फिलहाल इन रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Coal Mining in Mysore

2514. **Shri Veerappa :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of coal mined in Mysore State every year ;

(b) the number of coal miners there ; and

(c) the expenditure incurred on their welfare each year ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) There are no coal mines in Mysore State.

(b) and (c). Do not arise.

मुगलसराय-इलाहाबाद-कानपुर सेक्शन का विद्युतीकरण

2515. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के मुगलसराय-इलाहाबाद-कानपुर सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ; और

(ख) उत्तर रेलवे के कानपुर-दिल्ली सेक्शन पर बिजली तथा डीजल से रेलगाड़ियां चलाने की योजनाओं को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) मुगलसराय-इलाहाबाद-कानपुर खण्ड (349 मार्ग कि० मी०) पर बिजली गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में काम जारी है। मुगलसराय-विन्ध्याचल खण्ड पर बिजली गाड़ियां चल रही हैं और आशा है कि विन्ध्याचल से इलाहाबाद तक के खण्ड पर भी अप्रैल, 1965 के अन्त तक बिजली गाड़ियां चलने लगेंगी। इलाहाबाद-कानपुर खण्ड (192 मार्ग कि० मी०) पर बिजली गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में काम मार्च, 1966 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) चौथी योजना में कानपुर-टुण्डला खण्ड पर बिजली गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। टुण्डला-दिल्ली खण्ड पर जिस तरह का यातायात है उसे देखते हुए इस खण्ड पर कुछ सवारी मालगाड़ियों को डीजल-इंजनों से चलाने की संभावना को टाला नहीं जा सकता।

नई दिल्ली तथा बम्बई के बीच विशेष गाड़ियां

2516. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अस्थायी सामयिक उपाय के तौर पर पश्चिम रेलवे पर नई दिल्ली तथा बम्बई मध्य के बीच दोनों दिशाओं में पांच विशेष गाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में चलाई जाने वाली गाड़ियों के समय तथा गाड़ियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विशेष अस्थायी गाड़ियां चलाने के क्या कारण हैं और वे कितनी अवधि के लिए चलाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). स्कूल, कालेज आदि के बन्द होने पर यातायात की भारी भीड़-भाड़ की निकासी के लिए अप्रैल, मई और जन, 1965 में बम्बई सेन्ट्रल और नयी दिल्ली के बीच पर्याप्त संख्या में स्पेशल गाड़ियां चलाने का विचार है। पहली पांच स्पेशल गाड़ियां 17 अप्रैल (चलायी जा चुकी है) , 24 अप्रैल, 1 मई, 6 मई, और 13 मई, 1965 को बम्बई सेंट्रल से तथा 19 अप्रैल (चलायी जा चुकी है), 26 अप्रैल, 3 मई, 8 मई और 15 मई, 1965 को नयी दिल्ली से चलाने का कार्यक्रम बनाया गया है लेकिन शर्त यह है कि यातायात काफी हो। इन पांच स्पेशल गाड़ियों की संक्षिप्त समय-सारणी इस प्रकार है :—

पहले दिन 09. 55 छू० नयी दिल्ली प० 10. 25 दूसरे दिन

दूसरे दिन 12. 10 प० बम्बई सेन्ट्रल छू०।1. 30 पहले दिन

मुरादाबाद में आटा मिल

2517. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मुरादाबाद में आटा मिलों द्वारा आयात की गई मशीनों के कथित दुरुपयोग के बारे में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जो भी दण्ड देना सम्भव है उसके लिये कार्यवाही की जा चुकी है ।

पन्ना हीरों की नीलामी

2518. **श्री रा० गि० दुबे** :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बम्बई में पन्ना हीरों को नीलाम किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने हीरे निलाम किये गये और उन से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय धातु विकास निगम लि० ने 25-1-65 और 9-2-65 के बीच बम्बई में 1570. 74 कैरेट वजन वाले 3,781 हीरों के टुकड़े, सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय के लिये प्रस्तुत किए ।

(ख) 1299. 49 कैरेट वजन के 2386 हीरे, 4. 41 लाख रु० में नीलाम में बिके ।

रासायनिक पदार्थों का आयात

2519. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 में रासायनिक पदार्थों का आयात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : 1964-65 में रासायनिक पदार्थों का आयात घटाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। आयात को क्रमशः घटा देना सरकार की नीति है।

ब्रेक वैन से सामान की चोरी

2520. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जनवरी, 1965 को एक बक्स से, जो बलारपुर से देहरादून तक ब्रेक वैन में ले जाने के लिए रेलवे प्राधिकारियों के पास जमा किया गया था, लगभग 3,000 रु० के मूल्य का सामान चोरी हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, यह बक्स देहरादून के लिए हावड़ा से बुक किया गया था, न कि बलारपुर से। चोरी गये सामान का अनुमानित मूल्य 2,000 रुपये है न कि 3,000 रुपये।

(ख) अब तक 6 व्यक्ति पकड़े गये हैं जिनमें 3 रेल कर्मचारी और 3 बाहरी व्यक्ति हैं।

बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना

2521. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने नंगल में बिजली के भारी उपकरण बनाने का कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां। पंजाब के उद्योग निदेशक ने बिजली के निम्नलिखित उपकरण बनाने के लिये नंगल (पंजाब) में एक नया औद्योगिक कारखाना स्थापित करने के बारे में लाईसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिया है :—

वस्तुओं के नाम	वार्षिक क्षमता
(1) 11 के० वी० और उससे अधिक तथा 220 के०वी० तक के ट्रान्सफार्मर . . .	30 लाख के०वी०ए०
(2) करेंट और पोटेंशियल ट्रान्सफार्मर . .	जितनी भी आवश्यकता हो
(3) स्टेटिक केपेसिटर	50,000 के०वी० ए०
(4) आयल एण्ड एयर ब्लास्ट ए० सी० सर्किट ब्रेकर 11 के० वी० और उससे अधिक तथा 220 के० वी० तक के स्विचगियर	5 करोड़ रु०

(ख) लाईसेंस के लिये प्राप्त आवेदन पत्र पर पंजाब सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

2522. **श्री दलजीत सिंह** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये पंजाब को 1964-65 और 1965-66 में (अब तक) ऋण के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) विभिन्न उद्योगों के अनुसार इन ऋणों का वर्गीकरण क्या है; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में कितना व्यय किया गया है या करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 1964-65—32.31 लाख रु० जिनका समायोजन किया जा सकता है ।

1965-66—लघु उद्योगों के बारे में 1965-66 के लिये केन्द्रीय सहायता के संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । लघु उद्योगों के कार्यकारी दल ने 1965-66 की वार्षिक योजना के लिये ऋण के रूप में 52 लाख रु० का अस्थायी रूप से अनुमान तैयार किया गया है ।

(ख) और (ग). छोटे पेमाने के उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रत्येक वर्ष ऋण तथा अनुदानों के रूप में इकट्ठी दी जाती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि का आवंटन योजना के अनुसार नहीं किया जाता और राज्य सरकारों को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आयोजन संबंधी योजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने की स्वतन्त्रता होती है ।

रेलवे सुरक्षा बल

2523. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल को जांच पड़ताल करने तथा अभियोग चलाने का अधिकार देने का विचार है ताकि वे रेलवे सम्पत्ति और सामान की चोरियों को प्रभावी ढंग से रोक थाम कर सके;

(ख) यदि हां, तो इसको कार्य रूप देने में क्या रुकावटें हैं; और

(ग) इन को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । सरकार अभी इस सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

2524. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हैवी इलैक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड, भोपाल क वाम-पंथी चीन-समर्थक कर्मचारियों की किसी राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेजर ब्लेडों का उत्पादन

2525. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेज़र ब्लेडों के उत्पादन की नवीनतम स्थिति क्या है और क्या वह देश की मांग के अनुसार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 1964 में बड़े क्षेत्र के कारखानों में कुल 8,921 लाख 20 हज़ार ब्लेडों का उत्पादन किया गया। छोटे क्षेत्र में भी इस के कुछ कारखाने हैं और उनके उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । देश की मांग पूरी करने के लिये देश में जितना उत्पादन होता है वह पर्याप्त है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

2526. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस की राज्य पुनर्निर्माण समिति के उपसभापति मि० एम० ए० गोल्डिन के नेतृत्व में एक रूसी विशेषज्ञ दल जनवरी, 1965 में रांची की हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन देखने आया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके आने का उद्देश्य क्या था और उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां । यह दल सोवियत सहायता से स्थापित किये जा रहे भारी मशीनें बनाने के संयंत्र की प्रगति के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिये 22 जनवरी, 1965 को रांची के हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को देखने गया था ।

राज्यों के लिये कोयले के कोटे

2527. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक राज्यों के कोयले के कोटे में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1965-66 में अनेक राज्यों को कितना कोटा नियत किया गया और यह 1964-65 के कोटे से कम है या अधिक ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). 1 जुलाई, 1964 से नान-कोकिंग कोयले की श्रेणी II व श्रेणी III, सिंगरेनी क्षेत्र के अश्रेणित कोयले सहित, तथा साफ्ट-कोक पर वितरण कंट्रोल शिथिल कर दिए जाने से उपभोक्ताओं को छुट होगी कि रेल यातायात के वैज्ञानिकन नियमों के अधीन वे इन किस्मों के कोयले तथा साफ्ट कोक की अपनी आवश्यकताओं की अपनी पसन्द की खानों से किसी भी मात्रा में सीधे मंगा कर पुरा करलें किन्तु पर यह रेल-यातायात के वैज्ञानिकन के नियमों के आधीन हैं। एक विवरण जिसमें विभिन्न राज्यों के मासिक आवंटन जुलाई 1964 तक सब श्रेणियों के लिये, तथा 1 जुलाई, 1964 के आगे महीनों के नियंत्रित श्रेणी के कोयले के लिए दिये गये हैं, सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4267/65]

सुमेलन इस्पात की कमी

2528. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग के लिये सुमेलन इस्पात की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) और (ख). देश में सुमेलन इस्पात की कमी है । उस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार ने इस्पात-अनुभागों के परिक्षेत्र के वैज्ञानिकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने वैज्ञानिकित अनुभागों की पहले ही एक सूची निकाली है । यदि इंजीनियरी उद्योग और इंजीनियरी फर्मों को ढांचों के लिए आर्डर देने वाले उपभोक्ता भविष्य में अपनी मांगों को वैज्ञानिकित अनुभागों तक ही सिमित रखें तो सुमेलन इस्पात की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी ।

जहां तक सम्भव होता है संरचनात्मक इंजीनियरी फर्मों को सुमेलन इस्पात का आयात करने के लिए आयात-लाईसेंस दिये जाते हैं । 1963-64 में सुमेलन इस्पात का आयात करने के लिए 20 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा का विशेष आवंटन किया गया है ।

घटिया किस्म के कोयले की बिक्री

2529. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या इस्पात और खान मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपने घटिया किस्म के कोयले की बिक्री के लिये जोरदार आन्दोलन आरम्भ किया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में निगम को क्या फल प्राप्ति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रयत्न अब भी जारी है, और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को आशा है कि फलस्वरूप वह चालू वर्ष में पर्याप्त उत्पादन बढ़ा सकेगी ।

Katihar Jute Mill

2530. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 102 on the 19th February, 1965 and state :

(a) whether the Bihar Government have made any suggestion to the Central Government in regard to the running of the Katihar Jute Mills (P) Ltd. Katihar ; and

(b) if so, the nature of the suggestions made and the decision taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) No, Sir. Bihar Government's comments on the recommendations of the Enquiy Committee are awaited.

(b) Does not arise.

रेशम का आयात

2531. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में कुल कितना और कितने मुल्य के रेशम का आयात किया गया ; और

(ख) इस अवधि में इससे कितना आयात शुल्क प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

2532. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों को लघु उद्योग सेवा संस्था ने क्या सहायता दी; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन कटक की लघु उद्योग सेवा संस्था तथा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विस्तार केन्द्रों के जरिये उड़ीसा राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और उनका विकास करने के लिये सभी सम्भव सहायता कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

1. आधुनिक तथा उपयुक्त तकनीकी तरीकों के इस्तैमाल के बारे में तकनीकी सलाह देना।
2. नमूने की योजनायें डिज़ाइन, रेखाचित्र तथा तकनीकी बुलेटिन तैयार करना।
3. आर्थिक जांच-पड़ताल करना, जिसमें विभिन्न लघु उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं का सुझाव दिया गया है।
4. प्रबन्ध सम्बन्धी पाठ्यक्रम चलाना तथा उत्पादन प्रबन्ध, वित्तीय लेखा-विधि, लागत नियन्त्रण तथा विपणन प्रबन्ध जैसे विषयों पर भी विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाना।
5. विभिन्न तिकनीकी व्यवसायों जैसे मशीन शाप प्रैक्टिस, टूल रूम प्रैक्टिस, फिटिंग, लुहारी, बढ़ईगीरी तथा सांचे और औजार बनाने इत्यादि के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।
6. जिन उत्पादनों की अधिक बिक्री होने की सम्भावना है उनके लिये आर्थिक सूचना सेवा की व्यवस्था करना।
7. अन्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का समन्वय करना।
8. राज्य वित्तीय निगम की उन लघु उद्योगों के बारे में तकनीकी सम्भावना रिपोर्ट तैयार करके सहायता करना जो निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं।
9. सरकारी माल खरीदने का कार्यक्रम।
10. निर्यात संवर्द्धन।
11. ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिये सहायता।

लघु उद्योग सेवा संस्था, कटक तथा इसके विस्तार केन्द्रों द्वारा जो औद्योगिक विस्तार सेवा की जाती है उसमें गैर सरकारी व्यक्तियों तथा सरकारी विभागों को निम्नलिखित मामलों के बारे में पूछताछ का उत्तर भी दिया जाता है।

1. उपयुक्त कच्चे मालों की उपलब्धता और उनका इस्तैमाल।
2. विभिन्न तकनीकी तरीकों पर छपी हुई योजनायें और परियोजना रिपोर्टें देना; और

3. इस प्रकार के तरीकों और कार्यों के लिये सम्मिलित सुविधा सेवायें प्रदान करना जो मामूली खर्च पर वर्कशापों और विस्तार केन्द्रों के जरिये लघु एककों को नहीं मिल पाती हैं ।

(ख) की गई सहायता का ब्यौरा और उनके द्वारा किया गया कार्य नीचे दिया जाता है :—

1. 1964–65 (फरवरी, 1965 तक) में की गई तकनीकी सहायता

(1) पार्टियों की संख्या जिनसे सम्पर्क किया गया इसमें संस्था के अधिकारियों द्वारा सलाह देने के लिए स्थान पर जाना भी शामिल है	2350
(2) पार्टियों की संख्या जिनको शुद्ध तकनीकी सलाह दी गई .	655
(3) पार्टियों की संख्या जिन्हें नये उद्योग शुरू करने के लिये जानकारी दी गई	567
(4) पार्टियों की संख्या जिन्हें दूसरी सहायता दी गई . .	895

2. चलती वर्कशापें (1964–65 फरवरी, 1965 तक)

(1) चलाई गई गाड़ियों की संख्या . . .	2
(2) जिन केन्द्रों में गये उनकी संख्या	74
(3) किये गये प्रदर्शनों की संख्या . . .	187

3. प्रशिक्षण

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, राज्य सरकार के अधिकारियों को मिला कर (1-4-64 से 30-9-64 तक)	58
(2) अन्य तकनीकी व्यवसायों जैसे वेल्डिंग, मशीनें चलाने, बढ़ईगीरी, फिटिंग तथा लुहारी में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (1-4-64 से 30-9-64 तक)	20
(3) (चलती वर्कशापों के जरिये) प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या (1-4-64 से 28-2-65 तक) . . .	197

4. राज्य सरकारों तथा अन्य विभागों (1–4–64 से 28–2–65 तक) की गई तकनीकी सहायता

(1) छानबीन की गई योजनाओं की संख्या . .	12
(2) उन मामलों की संख्या जिनमें अन्य प्रकार की सहायता की गई	24

5. आर्थिक सूचना सेवा (1–4–64 से 30–9–64 तक)

(1) पूछताछ की संख्या	322
	4153

6. नमूने की योजनायें, डिजाइनें, रेखाचित्र तथा तकनीकी बुलेटिन (1964-65 से फरवरी, 1965 तक) तैयार करना

(1) तैयार की गई नमूने की योजनाओं की संख्या . . 5

(2) तैयार किये गये डिजाइनों और रेखा-चित्रों की संख्या . 32

7. इन्स्टीट्यूट वर्कशाप तथा विस्तार केन्द्रों द्वारा (1964-65 से 28-2-65 तक) भुगतान लेकर किया गया कार्य

(1) पार्टियों की संख्या जो भुगतान देकर काम कराने के लिये इन्स्टीट्यूट वर्कशाप तथा विस्तार केन्द्र आये . . 228

(2) पार्टियों की संख्या जिनकी भुगतान लेकर काम करने में वास्तविक सहायता की गई 225

8. अन्य विभागीय कार्यक्रम के साथ समन्वय

(क) संस्था के अधिकारी ऋण मंजूर करने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मांगी गई तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में 8 एकक देखने गये। संस्था के अधिकारियों ने लघु एककों के वित्तीय पहलुओं की पुनरीक्षा करने के लिये स्थानीय समन्वय समिति तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया के स्थानीय कार्यकारी दल की छः बैठकों में भी भाग लिया।

(ख) संस्था के अधिकारियों ने कटक उत्पादिता परिषद के शासी निकाय द्वारा आयोजित छः बैठकों में भाग लिया।

(ग) संस्था के अधिकारी पंचायत उद्योगों के विभिन्न एककों को देखने गये और उड़ीसा लघु उद्योग निगम की प्रार्थना पर उनको सभी संभव सहायता की। उड़ीसा लघु उद्योग निगम के 58 अधिकारियों को जिन पर पंचायत समिति उद्योगों का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व है, संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

(घ) संस्था के निदेशक ने राज्य सरकार के उद्योग बोर्ड के सदस्य की हैसियत से तीन बैठकों में भाग लिया और उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन ऋण मंजूर कराने में बोर्ड की सहायता की।

9. राज्य वित्तीय निगम को सहायता

राज्य वित्त निगम से प्राप्त 11 योजनाओं की जांच पड़ताल की गई और उस पर समालोचना मांगी गई। सम्बन्धित पार्टियों के कहने पर कई मामलों में इन योजनाओं में रूपभेद किया गया।

10. सरकारी माल खरीदने का कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सरकारी माल खरीदने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिये 9 एककों का नाम दर्ज किया गया। समीक्षाधीन अवधि में तीन एककों को संभरण तथा निपटान के महानिदेशालय से नये आर्डर प्राप्त हुए।

11. निर्यात संवर्द्धन

निर्यात सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एकको ने अपने द्वारा निर्मित पदार्थों के निर्यात में रुचि दिखाई और समय-समय पर उनकी सहायता की गई। संस्था ने राज्य के लघु एककों के लाभ के लिये राज्य प्रशिक्षण निगम से सम्पर्क बनाये रखा।

12. ग्रामीण उद्योग विकास के लिये सहायता

उड़ीसा के बारपाली तथा जाजपुर स्थित दो ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं का विकास करने के लिये निरन्तर वहां का दौरा किया गया और उनकी सहायता की गई। परियोजना में काम करने वालों को प्रशिक्षण देने के लिये इन क्षत्रों में चलती प्रदर्शन गाड़ियां भेजी गईं।

रूरकेला और भिलाई इस्पात कारखाने

2533. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तैयार माल को भेजने के लिये पर्याप्त संख्या में मालडिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण रूरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखानों में उत्पादन में रुकावट पैदा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

2534. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए 1964–65 में कोई ऋण मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रत्येक वर्ष ऋण तथा अनुदानों के रूप में इकट्ठी दी जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि का आवंटन योजना के अनुसार नहीं किया जाता और राज्य सरकारों को अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार आयोजन सम्बन्धी योजनाओं के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है।

उड़ीसा सरकार को इस कार्य के लिये 1964–65 में 85 लाख रु० की कुल केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

आसाम को लोहे की जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का संभरण

2535. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 से आसाम में लोहे की जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का संभरण बहुत ही कम मात्रा में है;

(ख) यदि हां, तो 1962 से 1964 तक गत तीन वर्षों में उस राज्य में ऐसी चादरों की कितनी मांग थी और उसे कहां तक पूरा किया गया; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि यह कमी उस राज्य में विकास की साधारण गति में बाधक न बने ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). आसाम राज्य से नालीदार जस्ती चादरों की प्राप्त हुई मांग और उस राज्य को पिछले तीन वर्षों में किये गये प्रेषण इस प्रकार हैं :—

(टन)

अवधि	मांग	प्रेषण
1962–63	41,820	6,243
1963–64	61,122	13,188
1964–65	27,691 (अप्रैल से सितम्बर 1964 तक)	7,112 (अप्रैल से दिसम्बर 1964 तक)

मुख्य उत्पादकों के पास बहुत से आर्डर शेष होने के कारण, 1 अप्रैल, 1962 से लेकर किसी भी राज्य को नालीदार जस्ती चादरों का नया आवंटन नहीं किया गया है । फिर भी विभिन्न राज्यों को उनके पुराने आर्डरों पर यथासम्भव मात्रा में माल दिया जाता है । इस उद्देश्य से नालीदार जस्ती चादरों के प्रेषणों की एक मासिक अनुसूची बनाई गई है । राज्यों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे इन चादरों को किसी भी काम में जिसे वे आवश्यक समझें ला सकते हैं ।

सामान को चढ़ाने तथा उतारने के ठेकों के टेंडर

2536. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1964 में कलकत्ता में सियालदह तथा चितपुर स्टेशनों पर सामान चढ़ाने तथा उतारने के ठेकों के लिये तीन वर्ष की अवधि के लिये टेंडर मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सबसे कम मूल्य का टडर स्वीकार किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य टडर स्वीकार करने के विशेष कारण क्या थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) माल चढ़ाने-उतारने का ठेका देने के लिए कई स्टेशनों का एक समूह बनाया गया था जिसमें सियालदह और चितपुर शामिल थे इस ठेके के लिए अप्रैल, 1964 में टेंडर मंगाये गये थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जिस व्यक्ति ने सबसे कम का टेंडर दिया था उसने न तो अपने आय-कर का शोधन-प्रमाण पत्र दिया और न बयाना जमा किया। चूंकि टेंडर देने के लिए बनाये गये नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया गया, इसलिए उसका टेंडर मंजूर नहीं हुआ।

उड़ीसा में लोह-अयस्क की खानें

2537. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लोह-अयस्क की खानों के प्रत्याशित यंत्रीकरण तथा कार्यचालन में केन्द्रीय सरकार व उड़ीसा राज्य ने 1963–64 और 1964–65 में कुल कितना धन लगाया ;

(ख) उड़ीसा में लोह-अयस्क की खानों के कार्य-चालन से 1963–64 और 1964–65 में कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा उपार्जित की गई ;

(ग) उड़ीसा में लोह-अयस्क खनन उद्योग को 1963–64 और 1964–65 में कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी ; और

(घ) उड़ीसा में लोह-अयस्क खनन उद्योग को 1965–66 में और कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) लागत :

	केन्द्रीय सरकार उपक्रमों द्वारा	उड़ीसा सरकार उपक्रम द्वारा
	(रु० लाखों में)	
1963–64 .	270.51	50.00
1964–65 .	218.20	70.00

(ख) कच्चे लोहे के राज्य-वार निर्यात के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं :

	केन्द्रीय सरकार उपक्रमें	उड़ीसा राज्य उपक्रम	बोलानी ओर लि० कम्पनी जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधिकांश हिस्से हैं।
	(रु० लाखों में)		
1963–64	13.73	155.00	20.00
1964–65	81.54	(दोनों वर्षों के लिये)	(दोनों वर्षों के लिये)

(घ) विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं 1965–66 में :

केन्द्रीय सरकार उपक्रमें	उड़ीसा राज्य उपक्रम	बोलानी ओर लि०
(रु० लाखों में)		
184.70	29.60	10.00

पिछड़े क्षेत्रों में कपड़ा मिलें

2538. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पिछड़े हुए क्षेत्रों में कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिये कुछ उद्योगपतियों को सुविधायें प्रदान करने की एक योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और 1965-66 में कितनी राशि नियत की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) इस समय सरकार ऐसी किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कटिहार जाने वाली मालगाड़ी का पटरी से उतरना

2539. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 फरवरी, 1965 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सिलीगुड़ी-कटिहार सेक्शन पर तयबपुर स्टेशन पर कटिहार जाने वाली मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उत्तर गये और उसके कारण यातायात रुक गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) इसके कारण रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 23-2-65 की रात को लगभग 2 बजकर 55 मिनट पर गाड़ी नं० 902 पार्सल एक्सप्रेस का एक माल डिब्बा तयबपुर स्टेशन के सम्मुख कांटों (facing points) पर पटरी से उतर गया और उस स्टेशन के अनुमुख कांटों (trailing points) से गुजरने के बाद फिर से अपने-आप पटरी पर आ गया । गाड़ी रोक दी गयी और उस माल डिब्बे को गाड़ी से अलग कर दिया गया । लगभग साढ़े तीन घंटे के बाद गाड़ियों का आना-जाना फिर शुरू हो गया ।

(ख) यह दुर्घटना यांत्रिक उपस्कर में खराबी आने के कारण हुई ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 2840 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

काफी का निर्यात

2540. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1067 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के तकनीकी मिशन के दौरे के परिणाम-

स्वरूप भारतीय काफी के निर्यात पर अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार 1962 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध कहां तक हटाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के तकनीकी मिशन के दौरे के परिणामस्वरूप भारतीय काफी के निर्यात पर अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार 1962 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों में हाल में कोई ढील नहीं की गई है । अगस्त, 1965 में लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् का जो विशेष अधिवेशन होगा उसमें मिशन की रिपोर्ट पर विचार होने की आशा है ।

जूते और चप्पलों का निर्यात

2541. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका को जूतों और चप्पलों का निर्यात बढ़ाने की संभावना का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो 1964-65 में क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) 1964–65 के पहले 9 महीनों में पश्चिमी यूरोप को हुए हमारे सब प्रकार के जूते, चप्पलों के निर्यात का योग लगभग 13 लाख जोड़े रहा जिसका मूल्य 41 लाख रु० था । इसी अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका को 4.5 लाख जोड़े भेजे गये जिनका मूल्य 16 लाख रु० से अधिक था । निर्यात किये गये जूतों में अधिकतर चमड़े के जूते, रबड़ के तले वाले चमड़े के जूते, किरमिच के जूते और स्लीपर थे ।

राज्य व्यापार निगम भी इस समय ब्रिटेन और सं० रा० अमेरिका के साथ विभिन्न प्रकार के जूते बेचने के लिये बातचीत कर रहा है ।

तेल-मिल उद्योग

2542. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल-मिल उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुघेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). सरकार ने देशी तेल-मिल उद्योग के तकनीकी-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने तथा आधुनिक आधार पर इस उद्योग को संगठित करने के लिये किये जाने वाले उपायों की सिफारिश करने के बारे में अभी

एक समिति बनाई है। इस समिति के सदस्य केवल भारत सरकार के अधिकारियों तक ही सीमित हैं। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. डा० जी० पी० काणे, उप महानिदेशक (रसायन) तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली . .	अध्यक्ष
2. डा० एस० एम० सिक्का, कृषि आयुक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विभाग, नई दिल्ली . . .	सदस्य
3. श्री एन० चिदम्बरम, उप सचिव, उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय (उद्योग विभाग), नई दिल्ली . . .	सदस्य
4. श्री के० श्रीनिवासन, उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली .	सदस्य
5. श्री एम० सत्यपाल, निदेशक (रसायन) योजना आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
6. डा० एच० जी० आर० रेड्डी, विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली . . .	सदस्य-सचिव

कोयना में एल्यूमीनियम संयंत्र

2543. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में कोयना में एक एल्यूमीनियम संयंत्र स्थापित करने के लिये पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ अन्तिम रूप से करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। तकनीकी परामर्श करने के लिये एक समझौते पर बातचीत चल रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दुगदा (गढ़वाल) के निकट रेलगाड़ी तथा ट्रक की टक्कर

2544. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 मार्च, 1965 को उत्तर रेलवे पर दुगदा (गढ़वाल) से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर कोटद्वार के निकट बिना चौकीदार के एक रेलवे फाटक पर कोटद्वार-नजीबाबाद यात्री गाड़ी से एक ट्रक के टकरा जाने के कारण ट्रक के ड्राइवर तथा क्लीनर को गम्भीर चोटें आयीं ;

(ख) क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) ट्रक के ड्राइवर, क्लीनर और ट्रक में बैठे हुए एक व्यक्ति को केवल मामूली चोटें पहुंचीं।

(ख) और (ग). रेलवे अफसरों की एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की थी। समिति के अनुसार दुर्घटना का कारण यह था कि ट्रक का ड्राइवर उस समय समपार को पार करने की कोशिश कर रहा था जबकि सामने से गाड़ी आ रही थी।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम का उल्लंघन

2545. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 और 1964 में दिल्ली पुलिस के पास अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ख) 1963 और 1964 में कितने मामलों में कार्यवाही नहीं की गई और कितने मामले न्यायालयों को सौंपे गये ; और

(ग) 1963 और 1964 के कितने मामलों की अभी भी जांच हो रही है और उनके कब तक न्यायालय को सौंपे जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये दिल्ली पुलिस में 1963 और 1964 में क्रमशः 72 और 851 मामले दर्ज किये गये।

(ख) 1963 और 1964 में जिन मामलों पर कार्यवाही नहीं की गई उनकी संख्या क्रमशः 10 और 24 थी। न्यायालयों को क्रमशः 63 और 773 मामले सौंपे गये। 1963 में न्यायालयों को भेजे गये 63 मामलों में से एक को वापस ले लिया गया।

(ग) 1964 के केवल 54 मामलों की अब भी जांच हो रही है और उनके शीघ्र ही न्यायालय को सौंपे जाने की संभावना है।

ढले हुए लोहे के स्लीपर

2546. **श्री अल्वारेस :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड अपनी आवश्यकता के ढले हुए लोहे के स्लीपर इण्डियन फाउन्डरी एसोशियेशन, कलकत्ता से खरीदता है ;

(ख) यदि हां, तो 1962-63 और 1963-64 में कुल कितने-कितने स्लीपर खरीदे गये ; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने इण्डियन फाउन्डरी एसोशियेशन के सदस्यों द्वारा पृथक्-पृथक् टेन्डर दिये जाने पर जोर दिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। ढले लोहे के स्लीपरों के लिए हर साल खुले टेण्डर मंगाये गये और सभी फर्म अपना टेण्डर भेज सकती थीं, चाहे वे इण्डियन फाउण्डरी एसोसियेशन की सदस्य रही हों या नहीं।

Retrenchment of N.C.D.C. employees

2547. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that orders have been issued for the retrenchment of about 22,000 employees in the National Coal Development Corporation ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) It is not a fact that orders have been issued for retrenchment of about 22,000 employees.

(b) Does not arise.

Demurrage charges paid by N.C.D.C. Mines

2548. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Coal Development Corporation had to pay Rs. 15 lakhs as demurrage charges to the Railways during 1963-64 for detaining wagons for loading coal ; and

(b) if so, the reasons for detention of the railway wagons ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) The National Coal Development Corporation Ltd. paid a sum of Rs. 13,25,574 as demurrage and wharfage during 1963-64.

(b) The matter is under examination by a Technical Committee appointed by the Board of Directors of the National Coal Development Corporation.

Losses in Giridih Collieries

2549. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether is a fact that the Giridih coal mines under the National Coal Development Corporation anticipate a loss of Rs. 58 lakhs during 1964-65 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) and (b). The annual Accounts of the National Coal Development Corporation for the year 1964-65 are not yet ready. It is, however, anticipated that during the year the losses in respect of the Giridih mines may be of the order of Rs. 58 lakhs. The main factors responsible for this loss are lower output, higher dewatering expenses and large payments towards retrenchment compensation.

Porters of Kiul Railway Junction

2550. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the licensed porters at Kiul railway junction on the Eastern Railway have set up a cooperative society ;

(b) whether any order were issued by the Railway Administration to the effect that while giving a contract for any railway work involving labour, preference would be given to labour cooperative societies ; and

(c) if so, the reasons for which the goods handling contact has been given to a private person instead of the said co-operative society ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Daes not arise.

Railway Hospital at Kiul Junction

2551. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the son of Shri N. Samiuddin T.C. at Kiul Junction of Eastern Railway died on the 3rd October, 1964 in the railway hospital due to the alleged negligence of the doctor ;

(b) whether it is also a fact that the said T. C. sent a representation against the doctor to the authorities concerned ; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Yes.

(c) An enquiry was held by Divisional Medical Officer, Dinapore into the allegations made by Shri M. Samiuddin, T.C. and his lawyer Shri S.P. Sinha against Assistant Surgeon, Kiul. No negligence on the part of the doctor has been proved.

वसन्तोत्सव

2552. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1965 में रेलवे अधिकारियों की पत्नियों की उत्तर रेलवे महिला समिति ने बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में वसन्तोत्सव का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उत्सव की मुख्य बातें क्या थीं ;

(ग) उत्सव पर क्या व्यय हुआ तथा इसमें कितने रेलवे कर्मचारियों ने कार्य किया ; और

(घ) वर्तमान आपातकाल में सरकार ने इस उत्सव पर धन, सामान तथा जनशक्ति का उपयोग करके अपव्यय क्यों किया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उत्सव की मुख्य बातें इस प्रकार थीं : —

(1) 42 दुकानें खोली गई थीं जिनमें फूल, चूड़ियां, मिठाइयां, रूमाल, घरेलू उपयोग की आम चीजें, लिनन आदि बेचने और प्रदर्शन के लिए रखी गयी थीं ।

(2) 12 दुकानों पर खाने की चीजें, आइसक्रीम और कोका कोला बेचे गये ।

(3) 6 दुकानों पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब की खास चीजें बेचने के लिए रखी गयीं ।

(4) दो चिकित्सा सम्बन्धी दुकानें थीं, जिनमें से एक परिवार नियोजन का प्रचार करने और दूसरी अलग-अलग कोटि के खून के लिए थी ।

(5) ऊपर बताई गई दुकानों के अलावा कुछ दुकानें दर्शकों के मनोरंजन के लिए लगाई गई थीं, जिनमें आम तौर पर दिमागी खेलों का प्रदर्शन किया गया था । एक दूसरी दुकान पर बच्चों के लिए 'लक्की डिप' की व्यवस्था की गयी थी ।

(6) बच्चों के मनोरंजन के लिए एक मनोरंजन गाड़ी की व्यवस्था की गयी थी ।

(7) पुस्तिका और प्रवेश टिकटों पर लाटरी के जरिये इनाम देने की व्यवस्था थी ।

(ग) इस उत्सव का आयोजन महिला समिति ने किया था । 31-3-65 तक समिति ने इस पर 9,000 रुपये ख़र्च किये । यह उत्सव 13 और 14 फरवरी, 1965 को किया गया, जबकि कार्यालयों में छुट्टी थी । कर्मचारियों ने स्वेच्छा से महिला समिति की सहायता की थी और इसके लिए उन्हें किसी तरह बाध्य नहीं किया गया था । वास्तव में काम करने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उन की सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सका ।

(घ) भाग (ग) में जो स्थिति बतायी गयी है उसे देखते हुए सरकार द्वारा धन, सामान या जन-शक्ति के अपव्यय करने का सवाल नहीं उठता ।

Contract on Siliguri Railway Station

2553. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Bade:
Shri Buta Singh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that contracts for canteens, stalls and trollies at Siliguri Junction Railway Station, have been given to a single firm *viz.*, Messrs S. R. Marwari & Co. ;

(b) if so, the number of persons who submitted tenders for these contracts; and

(c) whether certain complaints have also been received in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No,

(b) Does not arise.

(c) A representation to the effect that M/s. S.R. Marwari & Co., have financial interest in the holdings of 3 other contractors working at Siliguri Junction has been received. This is being looked into and if the allegation is established, suitable action will be taken.

गोवा में औद्योगिक विकास निगम

2554. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 19 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में औद्योगिक विकास निगम स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में अब अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ; और

(ग) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). गोवा, दमन और ड्यू सरकार ने उक्त राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित एक विधेयक को केन्द्रीय सरकार के विचार के लिये भेजा है । इस विधेयक पर, जिस में अन्य बातों के साथ-साथ एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने की व्यवस्था है, भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

खतरे की जंजीरें

2555. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 19 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैजाबाद–लखनऊ यात्री गाड़ियों में खतरे की जंजीर की पुन: व्यवस्था करने के प्रश्न पर अब विचार कर लिया है और उसे अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह व्यवस्था पुन: कब से लागू कर दी जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). जी हां । फैजाबाद-लखनऊ सवारी गाड़ियों में खतरे की जंजीर को फिर से चालू करने के सवाल पर गौर की गई है और

इन गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम रखने की अवधि 1-4-1965 से 30-9-1965 तक (6 महीनों) के लिए और बढ़ा दी गयी है ।

दिल्ली में पत्थरों का बाटों के रूप में प्रयोग

2556. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में अनेक फेरी वाले तथा दुकानदार अब भी पत्थरों का बाटों के रूप में प्रयोग करते हैं ;

(ख) यदि हां, अब तक कितने पत्थर जब्त किये गये हैं ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय मेंउपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, हां । कुछ फ़ेरी वाले पत्थरों के बाटों का प्रयोग करते हुए पाये गये हैं, किन्तु नियमित दुकानदार केवल मीट्रिक बाटों का ही प्रयोग करते हैं ।

(ख) 2627 ।

(ग) यकायक छापे मारे गये हैं और दोषियों पर चलते-फिरते न्यायालयों में अभियोग चलाये गये हैं । प्राय: 600 व्यक्तियों को सजायें दी गई हैं और 6000 रु० से अधिक के जुर्माने भी हुए हैं ।

Controller of Stores of Railways

2557. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the posts of Controllers of Stores on the Railways are filled in by officers other than those of Stores Department;

(b) if so, the period of their tenure, and

(c) the number of Controller of Stores at present working on the Indian Railways whose tenure has exceeded three years?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Officers from the Stores Department are normally appointed to fill the posts of Controller of Stores. Officers from other Departments are also appointed to fill these posts.

(b) For officers from Departments other than the Stores Department, the tenure is three years, which can be extended further in the public interest.

(c) Two.

Demonstration by Families of Railway Employees

2558. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 23rd March, 1965, the wives and children of Railway employees of Shakurbasti, New Delhi staged a demonstration at Baroda House;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reaction of Government to the demands of the demonstrators?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

तेल कोल्हू उद्योग

2559. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री सेझियान :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल कोल्हू उद्योग को, विशेषत: मद्रास में, ऋण के रूप में कोई सहायता नहीं दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि निर्यात तथा अनाज के उत्पादन की दृष्टि से तेल तथा खली अत्यावश्यक उत्पाद है ; और

(घ) इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चूंकि प्रमुख तेलहनों जैसे रेंडी, अलसी, राई/सरसों, तिल और मूंगफली पेरने के लिये पहले से ही अतिरिक्त क्षमता मौजूद है, इसलिये सरकार और अधिक क्षमता के लिये लाइसेंस नहीं दे रही है । जहां तक बिनौले पेरने का सम्बन्ध है, सरकार अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिये आवश्यक संयंत्र और मशीनों का आयात करने की सुविधायें देकर, उत्पादन शुल्क में रियायत देकर तथा बिनौले की खली के बदले निर्यात को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करके प्रोत्साहित कर रही है । सरकार ने तेल निकालने के उद्योग के तकनीकी-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिये किये जाने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिये एक समिति भी बना दी है ।

Appointments and Promotions on Northern Railway.

2560. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether appointments and promotions to the posts carrying a pay scale of Rs. 250—380 are made on the same basis, namely that of seniority in every Division of the Northern Railway;

(b) whether the power to appoint and promote Enquiry-*cum*-Reservation Clerks vests in the Headquarters of the Zonal Railway; and

(c) whether it is a fact that the seniority list of Enquiry-*cum*-Reservation Clerks is faulty and the employees working in Enquiry Offices for the last 25 years are still considered junior to those who joined service in Enquiry-*Cum*-Reservation Offices only about 10 years back?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) Posts in scale of pay of Rs. 150-240 (AS) are filled by respective Divisions and higher grade posts are controlled by the Headquarters Office.

(c) No.

Optical and Meteorological Instruments

2561. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 561 on the 27th November, 1964 and state:

(a) whether agreement has since been concluded with an East German firm to set up a factory at Lucknow for manufacturing optical and meteorological instruments;

(b) if so, the estimated production capacity of the factory; and

(c) the total expenditure to be involved on the factory?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) No, Sir.

(b) This will be known only after the agreement is concluded.

(c) The U. P. Government have estimated the investment on the project at 1 crore approximately.

न्यूयार्क विश्व मेले में रत्न-जड़ित गलीचे का प्रदर्शन

2562. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 21 अप्रैल, 1965 को पुन: खुलने वाले न्यूयार्क विश्व मेले में आगरे का रत्न-जड़ित गलीचा प्रदर्शित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गलीचे की अनुमानित लागत क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) रत्न-जड़ित गलीचे के मालिक ने कहा है कि रत्न-जड़ित गलीचा कला की वस्तु है और उसका कोई मूल्य नहीं रखा जा सकता ।

रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

2563. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर–टाटानगर सेक्शन पर लोगों ने रेलवे स्टेशनों की चारदीवारी के अन्दर दुकानें तथा छप्पर बनाने के लिए रेलवे की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेक्शन में विभिन्न स्टेशनों पर लोगों ने भूमि पर कब से अनधिकृत कब्जा कर रखा है ;

(ग) क्या उन से कोई किराया लिया जाता है और यदि हां, तो उस से कितनी आय होती है ; और

(घ) अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । खड़गपुर––टाटानगर खण्ड के चकुलिया, झारग्राम और गिडनी स्टेशनों पर रेलवे की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने के कुछ मामले हुए हैं ।

(ख) इधर कुछ वर्षों से इस तरह के नाजायज कब्जे होते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि जमीन पर इस तरह का अनधिकृत कब्जा किस तारीख को किया गया ।

(ग) चूंकि रेलवे की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है इसलिए कब्जा करने वालों से किराया वसूल करने का सवाल नहीं उठता । हां बेदखली के समय उनसे हर्जाना देने को कहा जा सकता है ।

(घ) जिन्होंने गैर-कानूनी ढंग से जमीन पर कब्जा कर लिया है, उनसे जमीन बेदखल कराने के लिए सार्वजनिक बेदखली अधिनियम के अधीन कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में जारी किये गये पत्र

2564. **श्री सेझियान :**
श्री कन्डप्पन :
श्री शिव शंकरन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नांकित पत्र जारी किये हैं :

(एक) पत्र संख्या हिन्दी/54/2, दिनांक 30 सितम्बर, 1955 तथा/9 अक्टूबर, 1956 ।

(दो) पत्र संख्या ई० (जी० आर०) 57 ई० एक्स० 1–4, दिनांक 7 जून, 1960।

(तीन) पत्र संख्या हिन्दी/60/22/1, दिनांक 17 जून, 1961।

(चार) पत्र संख्या ई० (ए ० जी०)/58–टी०आर०/83 पी० टी०, दिनांक 18/20 नवम्बर, 1961।

(पांच) पत्र संख्या हिन्दी/62/8/5, दिनांक 30 मई, 1962;

(ख) क्या सरकार ने बाद में इन पत्रों के संशोधन जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (क) में जिन परिपत्रों का हवाला दिया गया है, उनमें दो गयी हिदायतों का आधार है केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति और गृह मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त आदेश। भाषायी नीति के सम्बन्ध में जब सरकार द्वारा कोई निर्णय किया जायेगा तो आवश्यकतानुसार इन हिदायतों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Over-Bridges

2565. Shri Yudhvir Singh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that with a view to prevent traffic blockade on the roads, the Railway Board have framed some rules for the construction of over-bridges in the country; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) and (b). The policy regarding provision of road over/under-bridges at the existing busy level crossings (provided and maintained by the Railways) consequent on the increase in road as well as rail traffic, is well defined. The Railways will construct and pay for the bridge proper for a minimum width of 24ft. (or more when the existing level crossing width is more), plus two footpaths in areas close to the cities and towns. The State Government/Road Authority concerned construct and pay for the sloping approaches to the bridge and additional width of the bridge if required. In arriving at this formula, the Railway has in fact liberalised its share towards the cost, in that even where the existing level crossings are less than 24 ft., the Railways will be bearing the cost for a 24 ft. wide bridge.

The Railways are prepared to build over /under-bridges at any of the busy level crossings, provided the schemes are sponsored by the State Governments and State Governments or Road Authorities agree to bear their share of the cost.

इण्डोनेशिया में भारतीय फिल्मों का बहिष्कार

2566. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डोनेशिया ने भारतीय फिल्मों का बहिष्कार करने की धमकी दी है जिसके परिणामस्वरूप इस समय प्रति वर्ष प्रदर्शन के लिये वहां निर्यात की जाने वाली 60 भारतीय फिल्मों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). भारतीय फिल्मों का बहिष्कार करने के लिये कोई भी सरकारी कार्रवाई नहीं हो रही है और न उनके इण्डोनेशिया में आयात किये जाने पर कोई रोक है। जकार्ता के सिनेमाघरों के एसोसियेशन ने जिसमें इण्डोनेशियन फिल्म आयातक एसोसियेशन के कुछ सदस्य शामिल हैं, बहिष्कार करने की धमकी दी है । इण्डोनेशिया सरकार ने इस एसोसियेशन को लगभग उन 20 फिल्मों में से कोई फिल्म नहीं दी है जिनके इस वर्ष भारत से इण्डोनेशिया को भेजे जाने की सम्भावना है । अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि एसोसियेशन ने जो धमकी दी है उसका भारतीय फिल्मों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा । इण्डोनेशिया सरकार की सलाह से सरकार स्थिति पर ध्यान दिये है । इण्डोनेशिया सरकार इस मामले में अत्यन्त सहायक रही है ।

लोकोमोटिव कारखानों के लिए अमरीकी ऋण

2567. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 मार्च, 1965 को वाशिंगटन में, वाराणसी में डीज़ल लोकोमोटिव कारखाने की वित्त व्यवस्था के लिए सहायता देने के लिए 170 लाख अमरीकी डालर के ऋण के करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) इस ऋण पर बैंक की वर्तमान मानक दर, अर्थात् $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष, पर ब्याज लगेगा और इसे जुलाई, 1979 तक चुकाना है । ऋण का भुगतान उसकी मंजूरी के तीन वर्ष बाद, अर्थात् जनवरी, 1968 से शुरू होगा और 12 वर्ष में पूरा किया जायेगा । ऋण की रकम को वाराणसी कारखाने में 80 डीज़ल रेल इंजन बनाने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका से रेल इंजनों के पुर्जे और दूसरे सामान तथा सम्बद्ध सेवाएं प्राप्त करने तथा उन्हें जहाज द्वारा भारत भेजने में होने वाले डालर खर्च को पूरा करने के काम में लाया जायेगा ।

लहेरियासराय स्टेशन का पुनर्निर्माण

2568. **श्री श्रीनारायण दास**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर–नरकटियागंज सेक्शन पर लहेरियासराय स्टेशन के पुनर्निर्माण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि आज कल काम बन्द पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). लहेरियासराय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन से सम्बन्धित अधिकांश काम पूरा हो चुका है। ढांचे में परिवर्तन के काम में स्टेशन की नयी इमारत बनाने का काम भी शामिल है। यह काम अभी शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए रेल प्रशासन को जमीन अभी 30 अक्टूबर, 1964 को दी गयी। इस काम के लिए टेंडरों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है और आशा है काम जल्दी ही शुरू हो जायेगा।

बिजली के भारी सामान का निर्माण

2569. **श्री रेणुका बड़कटकी**: क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार बिजली के भारी सामान के निर्माण के लिये अमरीका के सहयोग से एक नया एकक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र): (क) और (ख). अगले दशक और उससे अधिक समय में विद्युत विकास संबंधी कार्यक्रमों के प्रस्तावित विस्तार के कारण बिजली के भारी सामान की मांग उस क्षमता से भी अधिक बढ़ जाने की संभावना है जिसके लिये इस प्रकार का सामान देश में ही बनाने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है। अनुमानित मांग और देश में उपलब्ध सामान के बीच की संभावित कमी को पूरा करने के लिये यह महसूस किया गया है कि बिजली उत्पन्न करने वाले उपकरण बनाने की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना आवश्यक होगा। इस मामले में कोई निर्णय किये जाने से पहले एक सम्भाव्यता अध्ययन कर लेना अनिवार्य समझा गया था। इस प्रयोजन के लिये अमरीका की मेसर्स इन्टरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी से जून, 1964 में एक करार किया गया था। उनकी रिपोर्ट मिल गई है और उसकी जांच की जा रही है।

संयुक्त राज्य अमरीका को बन्दरों का निर्यात

2570. **श्री लक्ष्मू भगनी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों को बन्दरों का निर्यात करने से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) उसी अवधि में बन्दरों को पकड़ने, पैक करने तथा निर्यात करने पर कुल कितना खर्च हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1962-63, 1963-64 और 1964-65 (दिसम्बर, 1965 तक) में गन्तव्य देशों के अनुसार हुए बन्दरों के निर्यात का मूल्य प्रकट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 268/65]**

(ख) बन्दरों का निर्यात निजी व्यापारी करते हैं। इस लिये बन्दरों को पकड़ने, पैक करने और निर्यात करने पर होने वाले खर्च की जानकारी सरकार के पास नहीं है।

भिलाई इस्पात परियोजना

2571. श्री लखमू भवानी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1965 को भिलाई इस्पात परियोजना, भिलाई में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : 31 मार्च, 1965 को भिलाई इस्पात कारखाने में नियमित रूप से काम करने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 थी।

Patel Nagar Railway Station

2572. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Shinkre:
Shri D. C. Sharma:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri S. C. Samanta:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Daji:
Shri Hem Barua:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1632 on the 26th March, 1965 and state:

(a) the reasons for which the Patel Nagar Station in Delhi on a request made by Delhi Administration, is being shifted to Prem Nagar Colony and not towards D.T.U. Colony;

(b) whether it is a fact that due to construction of railway station at Prem Nagar the persons already settled in that area would be uprooted and if so, their number; and

(c) the compensation proposed to be given to them by Government?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The proposed site was considered most suitable and selected in a joint meeting held between the representatives of Railway administration, Delhi Municipal Corporation, Delhi Administration, Delhi Development Authority, Traffic Police and Town Planners.

(b) and (c). The land is being acquired by the Delhi Development Authority for the Railways at the initiative of the Delhi Municipal Corporation. Details of the persons being uprooted and the compensation proposed to be given are not available with the Railway.

Steel Allocation to Mysore

2573. Shri Veerappa : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the quantity of iron and steel allotted to Mysore State during 1964-65; and

(b) the quantity proposed to be allotted to this State during 1965-66?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) The quantity of iron and steel allotted to Mysore State during 1964-65 is as follows:—

	(Tonnes)
Steel	3,823(*)
Pig iron	35,490(**)
M. S. Billets	3,905

(*) Represents allotted quota ceilings for controlled categories and their defectives. Indentors can place orders for decontrolled categories of steel without restriction.

(**) Includes 9,970 tonnes of imported pig iron and 5,000 tonnes of off grade/semi-broken ingot moulds released in lieu of pig iron.

(b) The allotment of iron and steel for 1965-66 has not yet been finalised.

Heavy Industries in Mysore

2574. Shri Veerappa: Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to set up Heavy Industries in Mysore State; and

(b) if so, the nature of industries proposed to be set up there?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Increase in Tyre Prices

2575. { Shri Kapur Singh: / Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of motor and cycle tyres have increased by 6 per cent in Bombay and Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any proposal to control the price is under Government's consideration?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) and (b). Following a rise in the cost of raw materials, the automobile tyre and tube companies have raised prices of motor tyres for replacement purposes by 6% with effect from 1st April, 1965. Although the basic price of cyle tyres and tubes has also been increased by cycle tyre manufacturers, the net price to the consumer is still lower than the previous selling price due to removal of excise duty on cycle tyres.

(c) No, Sir.

डीजल के शंटर इंजन

2576. **श्री कपूर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीज़ल के शंटर इंजनों तथा अन्य रेलवे सामान को खरीदने के लिए पश्चिम जर्मनी की सरकार से हाल ही में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) भारत के डीज़ल शंटिंग रेल इंजनों, जिनके लिए जर्मनी से "पावर पैक" मंगाने का विचार है, को बनाने और कुछ दूसरी ऐसी रेल प्रायोजनाओं, जिनका ख़र्च पश्चिम जर्मनी से मिलने वाली वित्तीय सहायता से पूरा करना था, के सम्बन्ध में फरवरी/मार्च, 1965 में पश्चिम जर्मनी के क्रडिटेंस्टाल्ट फ़र वीडरापवाउ बैंक द्वारा भारत में भेजे गये दल के साथ बातचीत की गयी थी । पश्चिम जर्मनी का यह बैंक विदेशों को दी जाने वाली सहायता-कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेवार है ।

(ख) अभी बातचीत को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

Halt Stations between Rewari and Bhiwani

2577. **Shri Chuni Lal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of halt stations proposed to be constructed between Rewari and Bhiwani on the Northern Railway;

(b) whether the work for any halt station has not been started so far even after the approval for it was given;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the further time likely to be taken in its completion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) One train halt between Kosli and Jatusana stations.

(b) to (d). As representations from rival groups of villagers were received demanding location of the halt at different sites, the matter was referred to the Civil authorities and their final recommendation in the matter is awaited. Further action will be taken on receipt of reply from the Civil authorities.

Theft in Railway Marshalling Yard

2578. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 70 tons of coal was stolen from the Railway Marshalling yard at Gaya during the period from 6th December, 1964 to 6th February, 1965;

(b) whether it is also a fact that from the same yard about 500 bags of wheat which were despatched from Madras were also stolen on the 7th February, 1965, and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) and (c) The correct position is that on 7-3-65 theft of wheat bags from a goods train ex-Madras Harbour to Gaya, containing 7800 bags of wheat, was reported at Gaya. On receipt of this information, the Sub-Inspector, Railway Protection Force immediately rushed to the spot where he noticed a criminal carrying away one bag. The Sub-Inspector along with a Rakshak chased him right into the town where he was arrested. The Sub-Inspector and the Rakshak were badly assaulated by the criminal with the help of his associates. They snatched away the service revolver of the Sub-Inspector. The matter was reported to the Govt. Railway Police Gaya who registered a case U/s 379/411/332 IPC. The Govt. Railway Police made searches of the houses of the criminals and recovered a few articles from their possession and arrested one accused. Subsequently, the revolver of the SI/RPF was also recovered by the RPF. Four other suspected persons in the case are absconding. Further investigation by the police is in progress.

Robbery in the Buxar-Patna Shuttle train

2579. **Shri Jagdev Singh Siddhanti:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Narenda Singh Mahida:
Shri Yashpal Singh:
Shri Kapur Singh:
Shri Vishwanath Pandey:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the night of 29th March, 1965 a merchant travelling in the Buxar-Patna shuttle train was stabbed and robbed of his belongings worth about Rs. 20,000/- by bandits near Neora Railway Station on the Eastern Railway;

(b) whether it is also a fact that the police has not been able to arrest any of the culprits so far; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, but Rs. 18,000/:- were stolen.'

(b) No. One person has since been arrested and warrant of arrest has also been issued against another person.

(c) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी अथवा बेची गई कारें

2581. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्य व्यापार निगम ने आयात की हुई कितनी कारें खरीदीं हैं ;

(ख) कितनी कारें खुले टेंडरों के आधार पर बेची गई हैं और कितनी प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों के इन्डेंटकर्ताओं को बेची गई हैं ;

(ग) किन-किन श्रेणियों के व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के हकदार हैं ; और

(घ) इंडेंटकर्ताओं को बेची गई कार का विक्रय मूल्य खुले टेंडरों के आधार पर बेची गई कार के विक्रय मूल्य की तुलना में कैसा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) 1044.

(ख) खुले टेण्डरों के आधार पर और प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों के इण्डेंटकर्ताओं को बेची गई कारों की संख्या क्रमश: 462 और 484 है ।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत प्राथमिकतापूर्ण श्रेणियां इस प्रकार हैं :—

(1) पर्यटन संवर्द्धन ।

(2) राष्ट्रपति भवन ।

(3) राज भवनों को ।

(4) रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं ।

(5) केन्द्रीय/राज्य सरकारें ।

(6) सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान ।

जो कारें प्राथमिकतापूर्ण श्रेणियों के हाथ नहीं बेची जातीं वे टेण्डरों द्वारा जनता के हाथ बेच दी जाती हैं ।

(घ) ण्डरों द्वारा प्राप्त मूल्य से प्राथमिकतापूर्ण श्रेणियों के इन्डेंटरों से प्राप्त विक्रय मूल्य की तुलना करना कठिन है । प्राथमिकतापूर्ण श्रेणियों को राज्य व्यापार निगम को उसके क्रय मूल्य, उस पर लिये गये सीमा शुल्क और एक विशिष्ठ गुट के अनुसार लिये जाने वाली सेवा उजरत देनी पड़ती है ।

डीजल कार सेवा

2582. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे ने लखनऊ तथा कानपुर के बीच डीज़ल कार रेलवे सेवा चालू की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). 1-4-1965 से लखनऊ और कानपुर सेन्ट्रल/कानपुर अनवरगंज के बीच दोनों ओर से दो-दो डीज़ल कार एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयी हैं। इन गाड़ियों के आने-जाने का वर्तमान समय इस प्रकार है :—

डी सी 11	डी सी 9				डी सी 12	डी सी 10
20—25	—	प०	कानपुर अनवरगंज	छू०	—	06—10
20—15	—	छू०	कानपुर सेन्ट्रल	प०	—	06—20
20—10	10—10	प०	कानपुर सेन्ट्रल	छू०	15—10	06—25
18—05	08—25	छू०	लखनऊ	प०	17—05	08—10

प्रत्येक गाड़ी में दो कारें होती हैं जिनमें 150 यात्रियों के लिए जगह होती है।

चैकोस्लावाकिया से लारियों का आयात

2583. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री राम हरख यादव :
श्री कनकसबै :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चैकोस्लावाकिया के विदेशी व्यापार निगम के साथ हुए करार के अन्तर्गत चैकोस्लावाकिया से लारियों का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया को कपड़े का निर्यात

2584. श्री मलाईछामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री 9 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 826 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया में कपड़ा बाजार की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा बनाई गई प्रादेशिक उप-समिति ने आस्ट्रेलिया से हमारा निर्यात व्यापार बढ़ाने के उपायों के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). उप-समिति इस प्रश्न पर अब भी विचार कर रही है और लगभग एक मास में प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना है।

काफी का उत्पादन

2585. श्री मलाईछामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री 9 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2117 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964–65 में काफी की खेती कितने एकड़ भूमि में की गई;

(ख) 1964-65 में कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी वर्षों में काफी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क)

1963–64	12942 हेक्टेयर
1964–65	अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) मुख्यतः समय पर और काफी वर्षा न होने के कारण।

(ग) (1) काफी के उन्नत किस्म के बीजों का वितरण जिनसे अधिक पैदावार होती है जिस पर रोग का प्रभाव कम होता है।

(2) सम्पर्क अधिकारियों की मार्फत काफी के कीटाणुओं और रोगों का नियंत्रण करने के बारे में सलाहें दिया जाना।

(3) काफी उगाने की वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रदर्शन।

(4) सघन खेती के लिये काफी बागानों को ऋणों (फसल निर्धारण ऋणों सहित) की स्वीकृति, कीट नाशक औषधियां छिड़कने के लिये मशीनों का संभरण, किराया खरीद आधार पर सिंचाइ के कृत्रिम साधन उपलब्ध करना इत्यादि।

गुड्स शेड रोड, हुबली में उर्दू स्कूल

2586. **श्री मोहसिन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे गुड्स शेड रोड, हुबली के उर्दू स्कूल को काफी वर्षों से मासिक अनुदान देती रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे ने गत तीन वर्षों से इस स्कूल को ऐसे अनुदान देना बन्द कर दिया है;

(ग) पिछले वर्षों में कितना अनुदान दिया गया;

(घ) क्या यह भी सच है कि बाद के वर्षों में अनुदान की राशि कम कर दी गई थी; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1947 के बाद दक्षिण रेलवे पर हुबली अथवा अन्य किन्हीं स्थानों पर गर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलाई जाने वाली किन-किन शिक्षा संस्थाओं को अनुदान अथवा कोई अन्य सहायता दी जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पिछली बार इस स्कूल को जो अनुदान दिया गया था वह जुलाई, 1962 की अवधि के लिए था। अनुदान देना इस वजह से बन्द करना पड़ा क्योंकि स्कूल के प्राधिकारियों से कुछ ब्यौरे मांगे गये थे जो उन्होंने नहीं दिये। अब कुछ ब्यौरे मिल गये हैं और अगस्त, 1964 तक के अनुदानों को देने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(ग) शुरू में भूतपूर्व एम० एस० एम० रेलवे के कर्मचारी हित निधि से इस स्कूल को प्रति मास 50 रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था और तब से यह अनुदान रेलवे राजस्व से दिया जाता रहा है।

(घ) जी नहीं। प्रति मास 50 रुपये का जो अनुदान दिया जाता रहा है उसमें कमी नहीं की गयी है।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4269/65]**

डीजल इंजन

2587. **श्री मोहसिन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के कुछ भागों में डीज़ल इंजनों का प्रयोग आरम्भ किये जाने के कारण बहुत से ड्राइवरों, फायरमैनों तथा अन्य कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का खतरा बना हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी नौकरी बनाये रखने के लिए क्या उपाय विचाराधीन हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में

RE: DEARNESS ALLOWANCE TO GOVERNMENT EMPLOYEES

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रश्न संख्या 744 के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में एक सप्ताह में निर्णय कर लिया जायेगा। परन्तु आज के पत्रों में इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी हुई है। सरकार को इस सदन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये थी। यदि यह निर्णय कल लिया गया था तो समाचारपत्रों

को इसकी जानकारी देने से पहले सभा में इस बारे में घोषणा की जानी चाहिये थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री अब सभा में महंगाई भत्ते में वृद्धि के बारे में घोषणा करने जा रहे हैं। क्या वे सब से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, जिनमें सब से अधिक असंतोष फैला हुआ है, केवल पांच रुपये की वृद्धि देने की फिर से गलती करने जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जब कल मैंने यह कहा था कि एक सप्ताह में सरकार के निश्चय की घोषणा कर दी जायेगी तो उसका यह अर्थ नहीं था कि सरकार ने उस पर विचार ही नहीं किया था। इस बारे में एक महीने से अधिक से फाइलें इधर उधर घूमती रही हैं और सब को पता है कि कुछ होने जा रहा है। मुझे अपने सहयोगियों से अनुमति प्राप्त करनी थी और इसलिये मैंने कल उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे थे। अन्तिम रूप अभी तैयार किया जाना है और सोमवार को इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। सभा-पटल पर रखे जाने के बाद ही इसे जारी किया जायेगा। मैं इस बारे में और अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। परन्तु इस मामले में कोई अनुमान लगाना कठिन नहीं है क्योंकि मोटी बात सब को मालूम है, वह दी हुई है। उसमें कुछ हेर फेर किया जाता है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं जो भी निश्चय करूंगा उसकी पहले इस सभा में घोषणा की जायेगी और बाद में किसी और को जानकारी दी जायेगी। सोमवार को अवश्य ही एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि भत्ते में वृद्धि के बारे में समाचारपत्रों में दिया गया विवरण सही है तो क्या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को केवल पांच रुपये की वृद्धि देना जले पर नमक छिड़कने वाली बात नहीं होगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वे माननीय सदस्य की यह बात पहले ही सुन चुके हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत में पांचवें इस्पात संयंत्र के बारे में करार

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं भारत में प्रस्तावित पांचवें इस्पात सन्यन्त्र के बारे में भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश अमरीकन स्टील वर्क्स के बीच भारत कन्सार्टियम (बेसिक) के लिए हुआ करार जिस पर 27 जनवरी, 1965 को हस्ताक्षर किये गये थे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4247/65]**

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले विवरण

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं मन्त्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों के दौरान दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) विवरण संख्या 1 ग्यारहवां सत्र 1965 (तीसरी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 4 दसवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 6, नवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 11 सातवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 13 छठा सत्र, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 14 पांचवां सत्र, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 17 चौथा सत्र, 1963 (तीसरी लोक-सभा)

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या 11 सोलहवां सत्र, 1962 (दूसरी लोक--सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 4248/65 से एल० टी० 4255/65]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एक ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में प्रतिरक्षा मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि ई० एम० ई० वर्कशापों के फालतू घोषित किए गये 2,400 स्थायी कर्मचारियों को अन्य नौकरियां दिलाने की कोशिश की जायेगी । परन्तु खेद है कि किसी को भी अन्य नौकरी नहीं दिलाई गई है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह मामला इस समय नहीं उठाया जा सकता ।

नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4256/65]

सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 6 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 722 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4257/65]**

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 20 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 445 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4258/65]।**

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1963–64 के लेखों का परीक्षा प्रतिवदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 4259/65]

(चार) रबड़ बोर्ड का वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4260/65]

(पांच) कहवा (काफी) बोर्ड का वर्ष 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4261/65]

सदस्य द्वारा स्पष्टीकरण
CLARIFICATION BY MEMBER
(श्री मधु लिमये)

Shri Madhu Limaye (Monghyr): On the 8th April, 1965 I had termed the policy followed by the Government of India in regard to Chinese military as well as propaganda offensive as impotent. I had not addressed any individual Member or Minister with this epithet. In spite of three repeated requests made by Congress Members to expunge this word from the proceedings the hon. Speaker did not allow its expunction from the proceedings on the ground of its being unparliamentary. I had asked Shri Khadilkar to sit down and not to interrupt the proceedings, as I wanted to hear the reply. While withdrawing from the House, I did not make any insinuations against the Lok Sabha or the Speaker. While leaving the Chamber, I said : Go on following this impotent policy with greater and greater Vigour. And addressed it to the majority party.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): Will not Shri Satya Narain Sinha say anything on this ? He had moved a motion in this House on a wrong basis.

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री मरारका (झुंझनू) : मैं केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे, 1962–63—लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), 1964 के अध्याय 1 के बारे में लोक लेखा समिति का छत्तीसवां प्रतिवदन पेश करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
छठा और सातवां प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूं :—

(एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बारे में छठा प्रतिवेदन; और

(दो) नेशनल कोल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, के बारे में प्राक्कलन समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सातवां प्रतिवेदन ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1962-63

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1962-63

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं 1962-63 के आयव्ययक (रेलवे) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण पेश करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्रीमन्, श्री पटनायक के प्रश्न के बारे में आपकी क्या राय है ? उन्होंने कहा है कि सदस्य को सभा से निलम्बित करने का प्रस्ताव इस धारणा पर पास हुआ था कि गलत शब्द को प्रयोग आपके तथा सभा के प्रति किया गया था परन्तु जब कार्यवाही में यह चीज आ गई है कि उस शब्द का प्रयोग आपके अथवा सभा के प्रति नहीं किया गया था, तो क्या यह उचित नहीं है कि संसद्-कार्य मन्त्री सभा में इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दें ?

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): Shri Satya Narain Sinha should apologise to the House.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब इस मामले को फिर से नहीं उठाया जा सकता ।

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 26 अप्रैल, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) गृह मन्त्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान ।

(2) निम्न मन्त्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—

खाद्य तथा कृषि ।
इस्पात और खान ।
पैट्रोलियम और रसायन ।
वित्त ।
निर्माण और आवास ।
विधि ।

(3) शेष अनुदानों की मांगों का शनिवार, 1 मई, 1965 को 5 बजे मतदान के लिये रखा जाना ।

(4) वित्त विधेयक, 1965 पर विचार तथा पास करना ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): The Minister of Parliamentary Affairs had promised last week to bring forward a Quorum Bill. May I know when this Bill is likely to be introduced ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : केन्द्रीय सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन अभी तक सभा में पेश नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इसे पेश करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है विशेषकर जबकि हम गृह मन्त्रालय की मांगों पर तत्काल ही चर्चा करने जा रहे हैं

मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि अगले सप्ताह शनिवार को शेष सभी मांगों को 17-00 बजे मतदान के लिए रख दिया जायेगा मुझे डर है कि कुछ मांगों पर सभा में चर्चा ही नहीं हो सकेगी आपने आपने कार्य मंत्रा समिति में आश्वासन दिया था कि जिन जिन मांगों को बिना चर्चा के पास किया जायेगा उनसे संबंधित मंत्रालयों के बारे में बाद में, विशेष कर सत्र के अन्तिक सप्ताह में, चर्चा की जायेगी। परन्तु सभा के कार्य के बारे में की गई घोषणा से ऐसा किया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता। मुझे आशा है कि आप अपना आश्वासन पूरा कर सकेंगे ।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि लोक-सभा की मांगों के साथ साथ राज्य सभा की मांगें भी इस प्रयोजन के लिये गठित की गई समिति के समक्ष रखी जानी चाहिये। उसके द्वारा उन मांगों की जांच किये जाने के पश्चात् ही उन्हें इस सभा द्वारा पास किया जाना चाहिये जैसा कि लोक-सभा की मांगों के बारे में किया जाता है। एक सप्ताह में सभी मांगों पर मतदान समाप्त हो जायेगा इसलिये ऐसा शीघ्र ही किया जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रतिरक्षा कारखानों में छंटनी के बारे में चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कुछ व्यक्तियों की छंटनी कर दी गई है और कुछ की छंटनी की जा रही है। देश को सभी ओर से बने खतरे को दृष्टि में रखते हुए प्रतिरक्षा मन्त्री को इस विषय पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिये ।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेनगोड) : भाषा समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है। लोगों द्वारा चलाए गये आन्दोलन को आश्वासन देकर दबाया गया था। सरकार ने अभी तक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन को कानूनी रूप देने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Seeing the trend of the discussion, it is difficult to find time for discussion of the demands of the Petroleum Ministry. Therefore it would be better if some time is fixed before the expiry of this session for discussion on my motion regarding prices of kerosene oil which you have been pleased to admit, and the judgement given by the Supreme Court and also for discussion on the retrenchment referred to by my hon. friend just now.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : What about the Bonus Bill?

Shri Satya Narain Sinha : So far as the Bonus Bill is concerned, the position has been clarified more than once. I cannot go any further. The hon. Minister has promised and he is making sincere efforts. We should not loose hope.

The question of quorum has also been raised. But the majority in the Business Advisory Committee did not favour such a move. They did not favour any changes being made in the present arrangement. It was urged that both Congress as well as opposition Members should try to cooperate and ask their partymen to remain seated in the House so as to avoid any occasion when there may be less than fifty Members in the House. It does not sound good when after every two or four minutes the quorum bell is rung. I hope that all the parties will lend their cooperation so that such a situation may not arise at all.

Mention has been of the two or three no-day yet-named motions by the hon. Members. I cannot say anything about them unless I have consulted the concerned Ministers.

An Hon. Member : What about the Language Bill?

श्री सत्य नारायण सिंह : पहले भी दो बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है । जैसे ही कोई निर्णय कर लिया जायेगा, इस बारे में संशोधन सभा में पेश कर दिया जायेगा । जहां तक मैं समझता हूं, इस सत्र में इसके पेश किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

Shri Hari Vishnu Kamath : What about the report of the Vigilance Commission?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सतर्कता आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में गृह मन्त्रालय को जो कुछ भी सूचना संसद् को देनी थी वह मन्त्रालय के प्रतिवेदनों में सम्मिलित कर दी गई है । यदि आयोग कुछ और बात कहना चाहता है, तो उसे संसद् को उसकी सूचना देने का अधिकार प्राप्त है और इसलिये वह ऐसा करने के लिये स्वतन्त्र है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक राज्य सभा के लेखे जोखे का समिति द्वारा जांच किये जाने का प्रश्न है, मुझे राज्य सभा के सभापति से परामर्श करना है । मैं उनसे एक बार मिला था और वे इस बारे में कुछ समय चाहते थे । मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं और कोई फैसला होने पर सभा को सूचित कर दिया जायेगा ?

श्री हरि विष्णु कामत : जिन मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकेगी उनकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बाद की बात है । इस समय इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

शिक्षा मंत्रालय—जारी

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : शिक्षा मन्त्री को अपनी तथा अपने मन्त्रालय की गलतियों का ही स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता अपितु राज्यों की गलतियों का भी । प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में व्याप्त दोषों का भी उन्हें उत्तर देना पड़ता है जबकि संविधान में दी हुई व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री इनमें से किसी भी विषय के लिये उत्तरदायी नहीं हैं । फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संसद् को शिक्षा के मामले में बहुत रुचि है और उसकी राय में शिक्षा का संचालन केन्द्रीय सरकार करे ।

शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को व्यय न समझ कर विनियोजन समझा जाना चाहिये जिसके बाद में बहुत अच्छे परिणाम होंगे । शिक्षा मानव के गौरव को बढ़ाती है । शिक्षा लोगों के अन्ध विश्वास दूर करने तथा आधुनिक समाज का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होनी चाहिये । शिक्षा का उद्देश्य पुरानी संस्कृति को जीवित रखना भी है । शिक्षा से जानकारी के नए क्षेत्रों का विकास होता है ।

हमारे देश में सबसे बड़ी आवश्यकता उत्पादन की है । इसलिये शिक्षा को उत्पादन पर विशेष जोर देना चाहिए ।

शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे लोगों को आभास हो कि कानून की नजरों में सब एक हैं तथा सब मानव चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म से सम्बन्ध रखते हों समान हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में भी शिक्षा बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा से योग्य छात्रों को खोज निकाला जा सकता है, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगे चल कर देश का नेतृत्व कर सकते हैं।

यह आपत्ति की गई है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गरीब लोगों को ऐसी शिक्षा नहीं मिलती जो अमीर लोगों को उपलब्ध है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य यह है कि गरीब लोगों को उसी प्रकार की अच्छी शिक्षा दी जाये जो अमीर लोगों को मिलती है। गरीब लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है और शिक्षा में इस प्रतिभा को ही हम बढ़ावा देना चाहते हैं।

भारत में पब्लिक स्कूलों का उद्देश्य दम्भी व्यक्तियों को जन्म देना नहीं है अपितु नवयुवकों को अच्छी शिक्षा देना है। समाज के सभी भागों के प्रतिभाशाली युवकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करके इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का वसर दिया जाता है। भारत में 22,000 माध्यमिक स्कूलों में से केवल 200 पब्लिक स्कूल हैं। केवल यही योजना नहीं है। कुछ अच्छे रिहायशी स्कल भी हैं और स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से हम उन्हें सहायता दे रहे हैं ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके। केन्द्रीय सरकार को लगातार बदलते रहने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिये इस समय देश में 54 केन्द्रीय स्कूल खुले हुए हैं और अगले वर्ष ऐसे 35 स्कूल और खोले जायेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में एक आदर्श माध्यमिक स्कूल खोलने की कोशिश की जायेगी।

इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि अध्यापक शिक्षा ढांचे का आधार स्तम्भ होना चाहिये। अच्छी शिक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक योग्य हों, समाज में उसका अच्छा सम्मान हो और उसे अच्छा वेतन मिलता हो। इस समय उन्हें योग्यता के अनुसार तथा मंहगाई को ध्यान में रखकर वेतन नहीं दिया जाता है। कुछ राज्यों में तो उनकी सेवा की शर्तें बहुत ही शोचनीय है। हमें उनसे पूरी सहानुभूति है।

वर्तमान परिस्थितियों में समूचे देश के लिये समान वेतनक्रम लागू करना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न स्थिति है और इसीलिये शिक्षकों के वेतन क्रम भी भिन्न भिन्न हैं। परन्तु हम महसूस करते हैं कि एक न्यूनतम सीमा होनी चाहिये और उससे कम वेतन किसी अध्यापक को नहीं मिलना चाहिये। हमारा यह भी विचार है कि अध्यापक का साधारण वेतन योजना व्यय का भाग नहीं होना चाहिये क्योंकि योजना विकास कार्यों के लिए बनाई जाती है। अध्यापकों का वेतन भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तरह राज्य के सामान्य प्रशासन व्यय का भाग समझा जाना चाहिये। अध्यापकों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों में इस प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिये। जबकि राज्य के उत्थान में अध्यापकों का योगदान उनसे कहीं अधिक है। राज्यों को वित्त आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखना चाहिये कि अध्यापकों का वेतन राज्य के प्रशासनिक व्यय का ही एक भाग समझा जाये। हां, हम इस बात के लिये तैयार हैं कि राज्य विकास योजनाओं में उन अध्यापकों अतिरिक्त भत्ता देने की व्यवस्था हो जो अतिरिक्त योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसे अतिरिक्त वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हैं। क्योंकि वह सामान्य व्यय के अन्तर्गत नहीं आता है अपितु उसे एक प्रकार से विकास संबंधी व्यय ही कहा जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार ने अध्यापकों के कल्याण के लिये कई कदम उठाए हैं । अध्यापकों के कल्याण के लिये एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है । इस समय हमने 75 लाख रुपया इकट्ठा किया है और हमारा लक्ष्य 5 करोड़ रू० का है । 1964 से इस निधि में से जरूरत मन्द अध्यापकों को सहायता दी जा रही है । पिछले छः महीनों से मुझे एक अध्यापक से इस निधि के लिये 45 रू० मास प्राप्त हो रहे हैं । उस अध्यापक का वेतन 90 रु० प्रति मास है । उस अध्यापक ने अपना नाम नहीं बताया है ।

प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से चुने गये अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं ।

सभा यह भी जानती है कि अध्यापकों की उपलब्धियों में बुद्धि के लिये हम 50 प्रतिशत अंश-दान देते हैं । देश में इस समय लगभग 4 लाख अप्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापक हैं । पत्र-व्यवहार द्वारा उनको प्रशिक्षण देने का विचार है । 1965-66 में इसके लिये आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मैसूर में अग्रिम योजना चलाने का विचार है । तीन या चार विश्वविद्यालयों में पत्र-व्यवहार द्वारा माध्यमिक स्कूलों के एक लाख अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देने का विचार है । इस प्रयोजन के लिये दिल्ली, मैसूर और बड़ोदा को चुना गया है । विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये पंजाब और बम्बई विश्वविद्यालयों के गणित केन्द्रों ने सम्बद्ध कालिजों के अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की है । फिर तकनीकी अध्यापकों के प्रशिक्षण की योजनाएं भी हमारे पास हैं । 9 चुने हुए संस्थान इस समय इंजीनियरिंग कालिजों के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाएं देते हैं । फिर हमारे पास ग्रीष्म संस्थानों की भी योजना है जिसमें हमें काफी सफलता मिली है । विश्वविद्यालय अणुदान आयोग भी गोष्ठियां सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिये विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देता रहा है । 1964 में सैंकड़ों गोष्ठियां आयोजित की गई थीं । इस वर्ष 180 गोष्ठियां आयोजित करने का विचार है । इस वर्ष माध्यमिक स्कूलों के 625 अध्यापकों को ग्रीष्म संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया । 1964 में इन संस्थानों की संख्या 32 थी जिसे अब बढ़ा कर 74 किया जा रहा है । जहां तक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रश्न है हम इसके लिये बहुत प्रयत्नशील हैं और चतुर्थ योजना के अन्त तक इन 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये इसका प्रबन्ध कर पायेंगे ।

हमारे मार्ग में कुछ कठिनाईयां हैं जैसे कि अप्रिशिक्षित अध्यापकों की बड़ी संख्या, स्कूलों के लिये इमारतों की कमी ।

प्राथमिक शिक्षा का एक और कठिन पहलू है । बड़ी संख्या में विद्यार्थी तीसरी या पांचवीं कक्षाओं में ही स्कूल छोड़ देते हैं और जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है उसे वे भूल जाते हैं । इसलिये हमने पुस्तकालय आदि खोलने का फैसला किया है जिससे कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसे भूलने न पावें ।

हमें उनमें पढ़ने की आदत डालनी है और पढ़ने के लिये सामग्री देनी है । दिल्ली में दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । उसके पास चलती फिरती गाड़ी है जिसमें से शहर के 23 मील बाहर गांवों में पुस्तकें ले जायी जाती हैं । देश में लगभग 20 करोड़ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं । यह बहुत शर्म की बात है और देश के नाम पर धब्बा है । इस दिशा में भी बहुत काम किया जा रहा है । परन्तु एक प्रौढ़ को शिक्षित बनाने के पश्चात् ऐसा हो सकता है कि जो कुछ उसने पढ़ा है उसे भूल जाये । इसलिये यहां पर भी इस प्रकार का कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है जिससे कि उसने जो कुछ पढ़ा है उसे वह भूलने न पाये ।

मेरे माननीय मित्र श्री बैरो ने कहा कि संविधान में संशोधन क्यों नहीं करते ताकि अध्यापकों और प्रथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र अपने हाथ में ले सके । आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन करना बड़ा कठिन है और इसके लिये राज्यों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है । शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने के लिये अभी तक केवल पंजाब सरकार राजी हुई है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): क्या आधे से ज्यादा राज्यों ने इसका विरोध किया है ?

श्री मु० क० चागला : केवल पजाब ने सहमति प्रकट की है । जिन राज्यों ने उत्तर दिया है उनमें से प्रत्येक ने इससे इन्कार किया है । अन्य राज्यों ने उत्तर नहीं दिया है ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपूर) : महाराष्ट्र की ओर से मैं आश्वासन देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के आश्वासन देने से कुछ नहीं बनता । जब तक राज्यों से आश्वासन नहीं आयेगा मंत्री महोदय संतुष्ट नहीं होंगे ।

श्री मु० क० चागला : महा राष्ट्र से मुझ एक सरकारी विज्ञप्ति प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि वे शिक्षा को संमवर्ती विषय बनाने के विरुद्ध हैं ।

अब मैं बुनियादी शिक्षा को लेता हूं । गांधी जी ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था । बुनियादी शिक्षा का अर्थ मैं तो यह निकालता हूं कि शिक्षा इस ढंग से दी जाये कि विद्यार्थी को अपनी सर्जनात्मक मन शक्तियों को प्रकट करने का अवसर मिले । वह कोई ऐसी वस्तु बना सकें जो लोगों के लिये उपयोगी हो और स्कूल छोड़ने के बाद वह उसके द्वारा कुछ पैसा कमा सकें । यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्कूल में चर्खे चलाये जायें । कहां पर क्या काम सिखाया जाये यह इस पर निर्भर करता है कि स्कूल किस स्थान पर स्थित है ।

श्रीमती गायत्री देवी ने ग्रामीण स्कूलों के बारे में कहा । बड़ी संख्या में छोटे कृषि स्कूल खोलने की हमारी एक परियोजना है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि गांवों के लड़के और लड़कियों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये जो किसानों के लिये लाभप्रद हों । इसलिये उन्हें बीज बोने, फसल काटने, आदि के बारे में सीखना चाहिये ।

बुनियादी शिक्षा के बारे में सरकार की यह नीति है कि यह शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिये । हमारी शिक्षा–उत्पादन अभिमुख होनी चाहिये । अंग्रेजों के समय की शिक्षा नहीं होनी चाहिये ।

समूचे शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । यदि यह कमजोर होती है तो उच्चतर शिक्षा भी होगी। कमजोर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अधिकांश विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में जाना चाहते हैं । परिणाम यह होता है कि विश्वविद्यालयों और कालिजों में बहुत भीड़ हो जाती है । यही कारण है कि उच्चतर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । इसलिये हम चाहते हैं कि माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाये ।

अगले कुछ वर्षों में हम माध्यमिक स्कूलों और यदि आवश्यक हुआ तो प्राथमिक स्कूलों से भी विज्ञान को लाना चाहते हैं। विज्ञान के सहारे ही रूस ने इतने थोड़े समय में इतनी अधिक प्रगति की है। वहां पर प्राथमिक कक्षाओं में ही विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। अपने स्कलों में हम विज्ञान की प्रयोगशालाओं को मजबूत बना रहे हैं। विज्ञान के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये भी हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

विज्ञान के साहित्य को पैदा करने के लिये भी हम बहुत कछ कर रहे हैं। इस काम के लिये वैज्ञानिक और उद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस काम में हमें अपना सहयोग दे रहे हैं। महारानी गायत्री देवी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि गावों में स्कूलों को विज्ञान की शिक्षा देने के लिये चलती फिरती गाड़ियां

[श्री मु० क० चागला]

भेजी जायें। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। मैं समझता हूं कि इस प्रयोजना के लिये एक अग्रिम परियोजना चला सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : पहले से अग्रिम परियोजना आरंभ क्यों नही की गई है?

श्री मु० क० चागला : मैंने यह सुझाव पहली बार कल ही सुना है। हम इस पर विचार करेंगे। विज्ञान बुद्धि वैभव छात्रवृत्ति के लिये हमारी एक योजना है। आरम्भ की कक्षाओं में जिन विद्यार्थियों का विज्ञान में अधिक रुझान पाया जाता है उनको स्नातकोत्तर अवस्था तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

श्री हरि विष्णु कामत : आप बुद्धि वैभव का किस प्रकार पता लगाते हैं?

श्री मु० क० चागला : परीक्षाओं द्वारा।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 85 प्रतिशत विद्यार्थी कालिजों में हैं और हमारे कालिजों का स्तर बहुत गिरा हुआ है। हाल ही में मेरे कहने पर विश्यविद्यालय अनुदान अयोग ने कालिजों के अध्यापकों के वेतनक्रमो में परिवर्तन किया है। कालिजों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। उच्चतर शिक्षा की सब से महत्वपूर्ण बात स्नातकोत्तर विभागों को मजबूत करने की है। यदि आपका स्नातकोत्तर विभाग शक्तिशाली है तो आपको अच्छे अच्छे अध्यापक और वैज्ञानिक मिल सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातकोत्तर विभागों के महत्व को मान्यता दी है और इसलिये उसने उच्च अध्ययनों के लिये केन्द्रों की योजना चलाई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में आपको एक विशिष्ट विभाग मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस विशिष्ट विभाग को सभी प्रकार की सहायता देता है जिससे कि वह विभाग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त कर ले।

उच्चतर शिक्षा के लिये पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम भी हैं। जैसा कि आप जानते है दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अग्रिम परियोजना चालू की है और उसमें बड़ी सफलता मिली है। हम इसका विस्तार करना चाहते हैं।

अब नई दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवारलाल नेहरु के नाम पर रखा जा रहा है। विधेयक पहले से ही पुरःस्थापित किया जा चुका है और मुझे आशा है कि इसे शीघ्र ही पारित कर दिया जायेगा। यह विश्वविद्यालय बिल्कुल नये नमूने का होगा। जो व्यक्ति आधुनिक धाराओं का अध्यन कर रहे हैं वे जानते हैं कि इंगलैंड ने नये विश्वविद्यालय नई विचारधाराओं को ले कर चालू किये हैं।

शिमला में हम उच्च अध्ययन की संस्था चालू कर रहे हैं और मुझे आशा है कि सितम्बर में उसका उद्घाटन किया जायेगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपति ने शिमला में राष्ट्रपति निवास को इस संस्था के उपयोग के लिये दे दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : शिलान्यास रखा जायेगा अथवा उद्घाटन किया जायेगा?

श्री मु० क० चागला : सौभाग्य से इमारत तो हमारे पास है ही । विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है और हमें पूरी आशा है कि सितम्बर तक यह संस्था काम करने लगेगी ।

हम रूसी अध्ययनों की संस्था को भी खोलना चाहते हैं । इसका कारण यह है कि हमारे विद्यार्थी जो रूस में अध्ययन करने के लिए जाते हैं उन्हें पहले वहां पर 10-12 महीने तक रूसी भाषा सीखनी पड़ती है । इस प्रकार वहां पर उनका समय बच जायेगा । सस्ती पाठ्य पुस्तकों की भी हमारी एक योजना है । एक अंग्रेजी योजना है, एक अमरीकी योजना है और अब हमारे पास एक रूसी योजना भी है । इन योजनाओं के अनुसार विद्यार्थियों को एक तिहाई कीमत पर पाठ्य पुस्तकें दी जायेंगी ।

अब खेल कूद और शारीरिक शिक्षा की दशा हमारे स्कूलों में बहुत खराब है । हमारी तीन योजनाएं हैं : सहायक सैन्य-छात्र, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और शारीरिक शिक्षा, और विद्यार्थियों और अध्यापकों को पता नहीं होता है कि वे कहां पर हैं । हमने इनका एकीकरण कर दिया है और इस वर्ष जुलाई से हम इसको क्रियान्वित करना चाहते हैं । विज्ञान बुद्धि वैभव की भांति खेल कूद बुद्धि वैभव की भी हमारी एक परियोजना है । खेल कूद में अत्यधिक रुचि रखने वाले और प्रवीण छात्रों को आरम्भ से ही प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

अब मैं हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रश्न को लेता हूं । हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण कालिज खोलने पर जोर दिया जायेगा । अहिन्दी भाषी राज्यों में अतिरिक्त हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिये 1 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है ।

फिर, जैसा कि आप जानते हैं एक हिन्दी निदेशालय है और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि के लिये आयोग भी है । इन दोनों के पुनर्गठन के लिये मैंने हाल ही में फैसला किया है ।

मैट्रिक के बाद हिन्दी सीखने के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों के लिये हमारी एक छात्रवृत्ति योजना है । हमने छात्रवृत्तियों की संख्या 220 से बढ़ा कर 1500 करने का निर्णय किया है ।

जहां तक संस्कृत का संबंध है संस्कृत को प्रोत्साहन देने की अब तक जो विभिन्न योजनाएं चल रही थी उनको जारी रखा जायेगा । तृतीय योजना में संस्कृत के लिये 75 लाख रु० का उपबन्ध किया गया था ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : What is the position of Sanskrit in the Three Languages Formula?

Shri M.C. Chagla : I am coming to that.

चतुर्थ योजना में हमने 245 लाख रु० की मांग की है ।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र को पता है कि त्रैभाषाई सूत्र मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद और सभी शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया था । वह इस प्रकार है कि दक्षिण में विद्यार्थियों को हिन्दी, अंग्रेजी और अपनी मातृ

[श्री मु० क० चागला]

भाषा सीखनी होगी। उत्तर में हिन्दी भाषी राज्यों को यह फायदा है कि हिन्दी उनकी मातृभाषा है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा सीखनी होगी। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। और यदि विद्यार्थी इसको सीखना चाहें तो इन तीन भाषाओं के साथ साथ इसको सीख सकते हैं। हमने राज्यों को एक संयुक्त पाठ्यक्रम की सिफारिश की है जिसमें संस्कृत को भी स्थान मिल सकता है।

डा० गोविन्द दास ने कहा कि मैं हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं और अंग्रेजी के लिये लड़ रहा हूं। श्रीमन्, मैंने अब तक जो कुछ कहा है मैं उसी को दोहराता हूं और वह यह कि हमारी भाषाओं के विकास के लिये यह आवश्यक है कि प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। परन्तु मैंने यह भी कहा है कि प्रादेशिक भाषाओं को अंग्रेजी का स्थान देने में हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये। क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि हमारे शिक्षा के स्तरों को कोई हानि पहुंचे। मैंने यह भी कहा है कि प्रादेशिक भाषाओं के विकास से हिन्दी का अपना विकास भी होगा। मैंने यह भी कहा है कि हमें अपनी सम्पर्क भाषा अथवा भाषाओं को कमजोर नहीं होने देना चाहिये। आज हिन्दी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सहभाषा है। और जब समय आजाये केवल हिन्दी के ही रहने का तब भी हमें अंग्रेजी को विज्ञान तथा टेक्नोलोजी की भाषा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा के रूप में जारी रखना चाहिये। डा० गोविन्द दास ने डा० राधाकृष्णन के प्रतिवेदन का जिक्र किया, और यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उस प्रतिवेदन की इन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख नहीं किया।

जब तक कि राज्य परिवर्तन के लिये तैयार न हों, अंग्रेजी सरकारी कारोबार के माध्यम के रूप में जारी रहेगी...अंग्रेजी का अध्ययन किया जाना जारी रहना चाहिये...यदि यह भाषा नहीं रखी गई तो हमारा शिक्षा का स्तर काफी गिर जायेगा और हमें विश्व की नई नई बातों का पता नहीं लगेगा। हम संसार से अलग थलग हो जायेंगे और ऐसा करना हमारे लिये बड़ी बेवकूफी होगी।

राजभाषा आयोग ने अपने 1954–55 के प्रतिवेदन में कहा है:

"यह निश्चित सा जान पड़ता है कि भारतीय भाषाएं सामान्य माध्यम के रूप में निकट भविष्य में अंग्रेजी का स्थान ले लेंगी। परन्तु इस परिवर्तन को हमें सावधानी से लाना है। कहीं हमारे शिक्षा के स्तरों पर इसका बुरा असर न पड़ जाये।"

राजभाषा सम्बन्धी संसद् समिति ने 1959 में कहा था :

"सरकारी काम काज में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को लाने का यह अर्थ नहीं है कि हम अंग्रेजी से सम्बन्ध तोड़ देंगे।"

1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कहा गया था :

"यद्यपि प्रादेशिक भाषाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम बनाना वांछनीय है, जब तक कि अखिल भारतीय भाषा के रूप में कोई सम्पर्क न होगा ये विश्वविद्यालय शेष भारत से पिछड़ जायेंगे ।"

मैं समझ नहीं सकता हूं कि अंग्रेजी के अध्ययन से हिन्दी को नुकसान कैसे पहुंच सकता है मिस्र में प्राथमिक शिक्षाओं में ही अंग्रेजी को लागू किया गया है, रूस में अंग्रेजी सीखी जा रही है ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अंग्रेजी का अध्ययन नहीं, परन्तु माध्यम के रूप में अंग्रेजी :

श्री मु० क० चागला : मैं ने ऐसा नहीं कहा है । मैं ने कहा है कि माध्यम प्रादेशिक भाषाएं ही होंगी ।

श्री किशन पटनायक : वहां पर अंग्रेजी माध्यम नहीं है ।

श्री मु० क० चागला : दक्षिण में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी को हमेशा के लिये रखना चाहते हैं, हिन्दी को कमी भी नहीं। उत्तर भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिन्दी को हमेशा के लिये रखना चाहते हैं और अंग्रेजी को बिल्कुल नहीं । ये दोनों मत हमारे लोगों की भावनाओं और आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के विरुद्ध हैं ।

श्री मौर्य : क्या अंग्रेजी के लिये भारतीय संविधान में कोई स्थान हैं ?

श्री मु० क० चागला: जी हां, है । हमारा संविधान कहता है कि हमें एक उच्च शिक्षित और उच्च वैज्ञानिक राष्ट्र बनना चाहिये । हमारा संविधान यह नहीं कहता कि हमें अंगेजी, फ्रेंच अथवा जर्मन भाषा का अध्ययन नहीं करना चाहिये । हमारा संविधान केवल यही कहता है कि हमारी राजभाषा हिन्दी होगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : English will not continue after Shri Chagla's life.

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं चाहता कि भारत अनेक भाषाई राज्यों में टुकड़े-टुकड़े हो जायें, सबसे मुख्य प्रश्न देश की अखण्डता का है ।

Shri Prakash Vir Shastri : English has no future in India. It will continue only so long as you are Education Minister.

Shri M. C. Chagla : I care for the country and not for you.

Shri Prakash Vir Shastri : English cannot bring about unity of the country.

Shri Maurya (Aligarh) **:** There was no English in the time of Ashoka but India was much stronger than what it is now.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjur) **:** There are only two per cent English-knowing people in this country.

Shri M. C. Chagla : Ultimately Hindi is to foster unity in India, but unless the non-Hindi speaking States agree to this Hindi and English will gotogether.

मेरे मित्र श्री शास्त्री ने कहा कि जब तक मैं शिक्षा मंत्री हूं तब तक ही अंग्रेजी रह सकती है यदि मेरे मंत्री पद पर रहने से भारत की एकता में रुकावट पैदा होती है तो मैं कल इससे इस्तीफा देने

[Shri M. C. Chagla]

के लिये तैयार हूं । मुझे इस पद की लालसा नहीं है । परन्तु, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अपनी बुद्धि के अनुसार भारत की एकता के लिये कर रहा हुं ।

समय कम है। अब मैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को लेता हूं। अनुसन्धान कार्यक्रमों में देश की विकास योजनाओं और प्रतिरक्षा की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जा रहा है । छोटी आय के वैज्ञानिकों को अग्रिम वेतन बृद्धियां देकर और योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिये भी प्रोत्साहन दिया जाता है ।

श्री किशन पटनायक ने जीवन रसायन तथा परीक्षणात्मक औषध संस्थान को कलकत्ता से कल्याणी ले जाने पर आपत्ति उठाई है । जो कुछ किया गया है वह यह है कि शासी निकाय की स्वीकृति से कल्याणी में भूमि अर्जित कर ली गई है क्योंकि जादवपुर में इस संस्थान लिये जगह बहुत कम है और कर्मचारियों की रिहायश के लिये भी जगह पर्याप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त काम भी इस प्रकार का वहां होता है कि उसे भीड़-भाड़ वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता। शासी निकाय ने यह निर्णय वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के पश्चात् किया था ।

श्री किशन पटनायक ने आरोप लगाया कि मैंने महानिर्देशक के कार्यालय में मेज-कुर्सी पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में गलत ब्यान दिया है । इस सम्बन्ध में सभा पटल पर एक विवरण रखा गया था जिसमें बताया गया था कि मेज-कुर्सी आदि पर केवल 12,105 रु० व्यय किये गये थे । शेष पैसा सिविल कार्यों, बिजली लगाने और वातानुकूलन आदि पर किया गया था । यह गलत ब्यान कैसे है ?

Shri Kishen Pattnayak : All this expenditure was incurred in respect of his room.

Shri M. C. Chagla : The question was that one lakh rupees had been spent on furniture.

Shri Kishen Pattnayak : I did not say only about furniture I had said about all the decoration and remodelling.

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र को मनाना असंभव है ।

फिर, निदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु का प्रश्न उठाया गया था । जिन निदेशकों के नामों का उल्लेख किया गया था वे 65 वर्ष की आयु सीमा संबंधी आदेशों के लागू होने से पूर्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में नियोजित थे। ये आदेश परिषद् के प्रधान की स्वीकृति से 1963 में पारित किये गये थे। 1963 के बाद 65 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी निदेशक नहीं रहा है ।

जहां तक डा० जे० सी० राय के एमरिटस वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किये जाने का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है । डा० राय इससे पहले जीव रसायन और परीक्षणात्मक औषध संस्थान, कलकत्ता के निदेशक थे । उनको पेशकश की गई थी और कहा गया था कि उस संस्थान को छोड़ कर जिसके वह पहले निदेशक रह चुके हैं वह कहीं भी काम कर सकते हैं। उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था । नीति के अनुसार सेवा निवृत्त निदेशकों को उसी प्रयोगशाला में काम नहीं करने दिया जाता है । कारण यह है कि यदि आप पहले प्रयोगशाला के प्रमुख रह चुके हों और आपको उससे नीचे के पद पर काम करने दिया जाये तो इससे क्षेत्राधिकार के झगड़े होंगे अथवा अनुशासन भंग होगा। इसमें कोई नयी बात नहीं थी ।

भारतीय भू-परिमाप विभाग (सर्वे आफ इंडिया) के बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि द्वितीय वेतन-आयोग ने भारतीय भू-परिमाप के कर्मचारियों के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण करने के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की थीं । क्योंकि इस विभाग ने आयोग के सामने अपना मामला पेश नहीं किया था । फिर भी हमने वेतन आयोग द्वारा ऐसे अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों के आधार पर 1960 में इस विभाग के कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण किया था । चूंकि हमको ऐसे प्रवीण कर्मचारियों को भर्ती करने तथा उन्हें सेवा में बनाये रखने में कठिनाई हो रही है, अतः उनको वेतनक्रमों के पुनः पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इस विभाग में कर्मचारियों के 230 प्रवर्ग हैं अतः हमें इस मामले को अन्तिम रूप देने में कुछ समय अवश्य लग जायेगा । यह विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । मैं श्री बनर्जी से सहमत हूं । कि इस संगठन के कर्मचारियों ने चीनी आक्रमण के दौरान अपना जीवन जोखिम में डाल कर भी बहुत अच्छा काय किया था ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं आपको यह बता दूं कि इस विभाग के उस समय के मंत्री श्री हुमायून् कबिर ने इस बात को स्वीकार किया था कि वेतन-आयोग ने इस विभाग के कर्मचारियों से न्याय नहीं किया है और उन्होंने इन कर्मचारियों के वेतनक्रमों को पुनरीक्षित करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के लिये कहा था । मेरा निवेदन केवल यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं अतः मंत्री महोदय को चाहिये कि इनके वेतनक्रमों पर पुनः विचार करें और देखें. . . .

श्री मु० क० चागला : मैंने इस मामले को पहले ही हाथ में ले लिया है और अब यह मामला वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है । मैं आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले को यथा-संभव शीघ्र निपटाने का प्रयत्न करूंगा ।

पुरातत्व संबंधी विभाग के बारे में पुनर्विलोकन समिति के सभापति, सर मोर्टिमेर वीलर ने, जो कि एक विदेशी हैं, कहा है कि यह विभाग अपना कार्य अत्यधिक कार्यकुशलता से कर रहा है । इस सराहना के आधार पर हमें इस विभाग पर गर्व होना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या मंत्री महोदय इससे अवगत है कि न्यूयार्क में हुए विश्व मेले में पाकिस्तानी मण्डप में मोहनजोदारों की सभ्यता को 3,000 वर्ष पुरानी पाकिस्तानी सभ्यता बताया था ?

श्री मु० क० चागला : 1947 से पूर्व सारी भारतीय सभ्यता थी ।

हम ग्रामीण शिक्षा संस्थाओं की समस्त प्रणाली का पुनर्गठन करने जा रहे हैं ।

जब तक हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकेगा । अतः मैं महिलाओं को शिक्षित करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रहा हूं । ग्रामों में महिला अध्यापकों के लिये क्वार्टर बनाने के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि पुरुष तो कहीं भी जा कर रह सकते हैं, परन्तु महिलाओं के बारे में ऐसी बात नहीं है । उनके लिये निवासस्थान की व्यवस्था अत्यधिक आवश्यक है । राजस्थान में बनस्थली शिक्षा संस्था को, जो कि बहुत अच्छी संस्थाओं में से एक है, हर प्रकार की सहायता दी जायेगी । इसे विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

हम ने रूस के साथ सांस्कृतिक समझौता किया है । पूर्व यूरोपीय देशों तथा फ्रांस के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड़ने के लिये बातचीत की जा रही है ।

[श्री मु० क० चागला]

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले वर्ष भारत-अरब परिसंवाद (सिंपोज़ियम) हुआ। इस वर्ष हमारा विचार दक्षिण-पूर्व एशियाई परिसंवाद करने का है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश हमारी सुरक्षा के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः हमारे उनसे जो सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं उनमें वृद्धि होनी चाहिये।

नोबल प्राईज़ की तरह नेहरू अवार्ड जारी करने की भी योजना है। यह इनाम प्रत्येक वर्ष ऐसे व्यक्ति को दिया जाया करेगा, जो अन्तर्राष्ट्रीय सूझ बूझ बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान देगा। उसे एक लाख रुपये दिये जाया करेंगे।

मैंने सभी अकादमियों तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के तीन प्राध्यापक ट्रीनीडाड, ब्रिटिश ग्याना तथा सुरीनम में हिन्दी सिखाने और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर भाषण देने का बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। परिषद् इटली में रोम विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक को अब भी सहायता दे रही है। यह सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो यह परिषद् कर रही है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Is the hon. Minister aware of the audit report submitted by the Auditor-General in respect of this Council? Is it a fact that Dr. Deshmukh resigned from this Council because there was mis-appropriation of accounts?

Shri M. C. Chagla : No. It is quite wrong. There has been no mis-appropriation at all. Dr. Deshmukh resigned from the Chairmanship of the Council on grounds of health.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it not correct that there has been some misappropriation of accounts and some books have also been stolen?

Shri M. C. Chagla : If the hon. Member would give me some concrete cases I would definitely look into them. I cannot do anything about such vague allegations.

Shri Prakash Vir Shastri : There are 12 audit objections in regard to purchase of furniture without inviting tenders, installation of a lift in a two-storeyed building in contravention of the Government rules etc. All these audit objections can be seen in the audit report.

Shri M.C. Chagla : All these allegations had been examined by the Finance Committee of which Dr. Deshmukh was the Vice-Chairman and they have reported that there is nothing in these allegations.

Shri Prakash Vir Shastri : This Council should not be entrusted with the work of teaching Hindi, because it cannot do this work. Lakhs of rupees are being given to this Council but it could only spend an amount of Rs. 323 approximately in a year and Rs. 1,368 in another year. It had appointed only one teacher and who is also coming back after taking leave.

Shri M.C. Chagla : Three Hindi lecturers have been sent at three different places and we propose to send more lecturers.

Shri Prakash Vir Shastri : This work should be done by the Government itself.

श्री मु० क० चागला : शिक्षा आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसकी सारे विश्व ने सराहना की है । यह एक ही देश है जिसने शिक्षा आयोग की स्थापना की है । सारा संसार इस आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा है ।

राष्ट्रीय एकीकरण के लिये अखिल भारतीय संस्थायें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं । इनमें विद्यार्थी और प्राध्यापक सारे भारत से आते हैं और वह इस राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत सहायता कर रहे हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत अन्य विश्वविद्यालयों से अध्यापकों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में भाषण देने के लिये आमंत्रित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त उन विद्यार्थियों को, जो भारत के एक भाग से दूसरे भाग में जा कर शिक्षा प्राप्त करेंगे, विशेष छात्रवृत्तियां दी जायेंगी । इस प्रकार भारत के सभी भागों में आपसी सम्बन्धों को बढ़ावा मिलेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Those students who go to *Gurukulas* should also be given scholarships.

Shri M. C. Chagla : Certainly, I would bear this in mind.

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : क्या भारतीय शिक्षा सेवा के कुछ व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिये भी भेजा जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : वर्तमान योजना यह है कि इस के दो विभाग होंगे—प्रशासनिक तथा तकनीकी । मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम इस सेवा के अन्तर्गत अध्यापन-कार्य के लिये भी पद रखेंगे । इस मामले को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और इस बात को गृह मंत्री तक भी पहुंचा दूंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Certain circulars were issued by the Ministries of Information and Broadcasting and Food in regard to the use of Hindi after January, 1965 in accordance with the policy laid down by the Ministry of Home Affairs. What necessitated the Minister of Education to issue a circular to the effect that no new decision should be taken in regard to Hindi without his specific consent, when his Ministry had not issued any such circular ?

Shri M. C. Chagla : You know that there have been disturbances in the South consequent upon the issue of these circulars and the circulars had to be withdrawn later on. In view of this I issued the orders that no such circular should be issued without my consent.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिये रखा जाना है ?

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मांग संख्या 16 तथा 17 के सम्बन्ध में मेरे कटौती प्रस्ताव ।

उपाध्यक्ष महोदय : इनके अतिरिक्त कोई अन्य कटौती प्रस्ताव भी अलग से रखा जाना है ?

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव संख्या 83 ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 28 से 32 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut motions Nos. 28 to 32 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव संख्या 37 ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 37 और 83 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut motions Nos. 37 and 83 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी अन्य कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of the Ministry of Education were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
15	शिक्षा मंत्रालय	76,05,000
16	शिक्षा	37,25,87,000
17	पुरातत्व .	1,01,63,000
18	भारतीय सर्वेक्षण	3,58,82,000
19	वनस्पति सर्वेक्षण .	27,54,000
20	जन्तु सर्वेक्षण .	24,19,000
21	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,97,49,000
118	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	5,04,62,000

गृह-कार्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी ।

वर्ष 1965-66 के लिए गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
51	गृह-काय मंत्रालय .	4,04,34,000
52	मंत्रिमण्डल	44,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
53	क्षेत्रीय परिषदें	1,10,000
54	न्याय प्रशासन	2,69,000
55	पुलिस	15,00,14,000
56	जनगणना	1,15,03,000
57	अंक-संकलन	2,20,35,000
58	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	86,000
59	दिल्ली	19,78,44,000
60	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,12,42,000
61	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	21,19,000
62	लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह	48,22,000
63	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,92,69,000
132	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	72,73,000

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्रालय, श्री नन्दा व उनके सहायक श्री हाथी व श्री मिश्रा तथा अन्य सुयोग्य व्यक्तियों के अधीन है । मैं समीक्षाधीन वर्ष में मंत्रालय द्वारा किये गये बहुत बढ़िया काम की प्रशंसा करता हूं । इस अवधि में अनेक जटिल समस्यायें आईं जैसे काश्मीर में मुहम्मद साहिब के पवित्र बाल का गुम हो जाना, कलकत्ता, रूरकेला, जमशेदपुर व रांची में हिंसात्मक साम्प्रदायिक दंगे, भाषा सम्बन्धी दंगे, आदि । श्री नन्दा ने इन सब में बहुत दृढ़ता से काम लिया । लेकिन उन पर छोटा सा धब्बा यह है कि वे गलत दल के सदस्य हैं ।

महाभारत में एक सूक्ति है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्य राजनिष्ठा का अधिकारी है । सार्वजनिक व्यवस्था से अभिप्राय न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था से है । लोक सेवाओं में नौकरियों के लिये व्यक्तियों को रखना केवल एक साधन है जिसके द्वारा राज्य अपने मूल कार्य का पालन करता है और इसलिये यह प्राथमिक कार्य न होकर सहायक कार्य है । उचित सार्वजनिक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चार समस्याएं हैं जिनको सुलझाना है । ये हैं, सिख समस्या, काश्मीर का मामला, नागालैंड की गड़बड़ तथा भाषा का प्रश्न । यह इस मंत्रालय और सरकार की प्रमुख कमज़ोरी है कि वे इन समस्याओं को ठीक तरह से समझने तथा उनको सुलझाने में असफल रहे हैं । मैं इन चारों समस्याओं के बारे में चन्द शब्द कहूंगा ।

सिख समस्या को संक्षेप तथा स्पष्ट शब्दों में रखने के लिये मैं सरदार गुरनाम सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'दी सिख अनरेस्ट' के 27 से 35 पृष्ठों से कुछ महत्वपूर्ण वाक्य उद्धृत करूंगा ।

"सिख जाति ने 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का देशभक्ति की इतनी भावना तथा दृढ़ साहस से सामना किया कि एशिया में इसका उदाहरण

[श्री कपूर सिंह]

नहीं मिलता। वे भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे अन्त में मिले। वे प्रथम विश्व युद्ध तक मातृभूमि की स्वतंत्रता का स्वप्न देखते रहे और 1947 तक स्वतंत्रता के लिये बराबर लड़ते रहे तथा अपना जीवन और धन सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया।

"यद्यपि सारे भारत में सिख अल्पसंख्यक हैं लेकिन सत्ता के हस्तांतरण के समय उन्हें हिन्दुओं और मुसलमानों के अतिरिक्त तीसरी बड़ी राजनीतिक शक्ति माना गया। सिखों के सच्ची विकासवादी हिन्दू परम्परा से आध्यात्मिक साम्य तथा अद्वितीय देशभक्ति को ध्यान में रख कर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्ता के हस्तांतरण के समय भारत के लोगों की ओर से यह सत्यनिष्ठ आश्वासन दिया था कि सत्ता के हस्तांतरण के पश्चात् हिन्दू, जो लोकतंत्रात्मक मताधिकार के राजनीतिक सिद्धान्त के परिणामस्वरूप इसके वास्तविक उत्तराधिकारी होंगे ऐसा कोई संविधान नहीं बनायेंगे जो सिखों को स्वतंत्र रूप से तथा स्वेच्छा से मान्य न हो और इस प्रकार प्राप्त राजनीतिक प्रभुसत्ता सामूहिक रूप में भारत की जनता के हितों के लिये ही प्रयोग की जायेगी। 1947 के आरम्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर भारत में एक ऐसा क्षेत्र नियत करने में उन्हें कोई अनुचित बात नहीं मालूम देती, जहां वे आज़ादी से स्वतंत्रता की दीप्ति अनुभव कर सकें।

"लेकिन सितम्बर, 1947 में पंजाब के राज्यपाल (गवर्नर) ने पंजाब के प्रशासनिक अधिकारियों को नीति संबंधी एक गुप्त परिपत्र जारी किया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं की अवहेलना कर वहां सिखों को आतंकित किया जाये तथा उनकी प्रतिष्ठा भंग की जाये। स्वतंत्र भारत की सरकार ने इस राज्यपाल के साथ खुलेआम तरफदारी की तथा उसको प्रतिष्ठा प्रदान की और जब एक छोटे सिख सरकारी अधिकारी ने निष्ठुरता से इस नीति का पालन करने में आगा-पीछा किया तो उसका इतनी कठोरता से दमन किया गया कि यह अन्य लोगों के लिये चेतावनी हो।

"1950 में जब संविधान बना तो संविधान सभा में सिखों के प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद सिखों को दिये गये सत्यनिष्ठ आश्वासन एकदम और बिना सोचे समझे ताक पर रख दिये गये। बढ़े-चढ़े आधुनिक लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों और सारहीन उक्तियों के आधार पर एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसके बारे में यह मालूम था कि यह सिखों के राजनीतिक अस्तित्व और संस्कृति को धीरे धीरे मिटाने में तथा भारत के अन्य अल्पसंख्यकों के महत्व को कम करने में सहायक होगा। भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब उनकी घोषणा याद दिलाई गई तो उन्होंने छोटा सा उत्तर दे दिया कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। भोले-भाले सिख भी इतना समझ सकते थे कि परिस्थितियों में यदि कोई परिवर्तन हुआ था तो वह यह था कि हिन्दुओं को अब विवादहीन शक्ति प्राप्त हो गई थी और सिख असहाय तथा अपने अधिकारों की मांग करने की शक्ति से वंचित कर दिये गये थे। पंजाब में दिन प्रतिदिन के प्रशासन और कानूनों व नियमों की क्रियान्विति में प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सिखों को दूसरी श्रेणी के नागरिकों की स्थिति में पहुंचा देना तथा सिख जाति को धक्का पहुंचाना रहा। 1953 के अन्त में राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाबी सूबा बनाना इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि पंजाबी क्षेत्र के हिन्दू ऐसा नहीं चाहते थे और पंजाबी को अपनी मातृ-भाषा नहीं मानते। इन विचारों को मान्यता देते हुए 1956 में पुनः पंजाबी सूबे की मांग को ठुकरा दिया और भारत का एकमात्र बहुसंख्यक सिख राज्य पेप्सू को पंजाब में मिला दिया।

"1956 में दिल्ली में बातचीत के दौरान सिखों को भारत सरकार के नेताओं के निराधार एवं अपमानजनक सन्देहों का पता चला कि कहीं सिख पश्चिमी पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा की अपनी स्थिति तथा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय करारों से लाभ न उठा लें। इन सन्देहों को दूर करने के लिये सिखों ने प्रादेशिक फार्मूला स्वीकार कर लिया कि पंजाब एक अकेली इकाई रहेगा जिसमें बहुमत और स्वभावत: वास्तव में हिन्दुओं की बात चलेगी जबकि कुछ निचल व स्थानीय प्रशासनिक स्तरों पर सिख लोग प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे जहां तक वर्तमान पंजाब के पंजाबी क्षेत्र का सम्बन्ध है।

"इस निर्बल राजनैतिक व्यवस्था के विरुद्ध पंजाब के शहरी हिन्दुओं ने, जिसमें आर्य समाज अग्रणी था, तथा कथित हिन्दी आन्दोलन आरम्भ कर दिया जो वास्तव में योजनाबद्ध तरीके से सिखों को सताने व आतंकित करने में बदल गया। सिखों के पवित्र स्थानों की मर्यादा खुले आम और क्रमबद्ध तरीके से भंग की गई तथा उनके धर्म व आत्मसम्मान को बेधड़क और लगातार चोट पहुंचाई गई। लेकिन पंजाब के सारे प्रशासन तथा भारत सरकार ने इसको रोकने के लिये आंख उठाकर भी नहीं देखा। सिख लोग गर्वीले और आत्म-गौरवयुक्त व्यक्ति हैं और उन्हें अपने देश से प्रेम व अनुराग है तथा उनकी परम्परायें व मान्यतायें उस ध्यय प्राप्ति के लिये, जिसमें उनका विश्वास है, त्याग करने की भावना से ओत प्रोत हैं। एसे लोगों पर सन्देह करना आपत्तिजनक बात है।"

यह समस्या अभी भी बनी हुई। यह गलत धारणा है कि सिखों के सम्बन्ध में सबसे अच्छी नीति उनका दमन है। सरकार की इस नीति से अधिक और क्या राष्ट्र के हितों के विरुद्ध बात हो सकती है ? हाल ही की बात है कि पंजाब सरकार के बड़े मंत्री ने धमकी दी है कि यदि सिखों ने कोई राजनीतिक मांग की तो उन्हें कुचल दिया जायेगा। ऐसी बात करने वाला व्यक्ति भारत और राष्ट्रीय एकता का शत्रु है।

विचाराधीन प्रतिवेदन में काश्मीर समस्या का निचोड़ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिये जम्मू तथा काश्मीर संविधान में भारतीय संविधान का समावेश और उसका समय बताया गया है। मेरे विचार में हमारा सच्चा ध्येय उस राज्य की जनता के शेष भारत से सम्बन्धों के लिये एच्छिक मतैक्य और स्वीकृति प्राप्त करना होना चाहिए। नागा समस्या हमारी घरेलू समस्या है जिसके बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अपेक्षा गृह-कार्य मंत्रालय को बातचीत करनी चाहिए। हमारा सबसे अच्छा ध्यय यह होगा, जैसा श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा, कि भारत में स्वेच्छा से विलय के लिये नागा लोगों को सहमत कराने का प्रयास करना चाहिये। भाषा-विवाद के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में तीन बातों पर ध्यान देना चाहिये, अ-हिन्दी भाषी लोगों द्वारा सांस्कृतिक आधार पर भावात्मक प्रतिरोध, अन्य समृद्ध और विकसित हिन्दुस्तानी भाषाओं जैसे पंजाबी और उर्दू के महत्व को कम करने के लिये हिन्दी की विशिष्ट स्थिति का प्रयोग करने की निश्चित प्रवृत्ति तथा स्वतन्त्र भारत की अहिन्दी-भाषी पीढ़ी द्वारा हिन्दी को निश्चित रूप से अस्वीकार करना।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर विचार कर रहे हैं। इसके अधीन अनेक विषय हैं जैसे विधि और व्यवस्था, देश की गुप्त सूचना, न्यायाधीशों

[श्री जे० भ० कृपलानी]

की नियुक्ति, प्रशासन आदि । यदि किसी राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो यह मंत्रालय उसका भार संभालता है । इसलिये यह स्थिति के अनुकूल ही था कि सरदार पटेल जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ और शौह इच्छा व्यक्ति व स्वतन्त्र विचारों के व्यक्ति हमारे प्रथम गृह-मंत्री थे । इसके बाद इस पद पर गोविन्द वल्लभ पन्त जैसी महान विभूति आसीन थी और अब श्री नन्दा इस पद पर हैं । जिनका साधुओं के समान चरित्र सर्वविदित है । वे मेरी तरह दुबले पतले और भूखे दिखाई देते हैं लेकिन इससे उनकी नैतिक प्रतिष्ठा कम नहीं होती।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 17 वर्षों तक देश में भ्रष्टाचार बैरोक-टोक चलता रहा है । हमें बहुत प्रसन्नता है कि वर्तमान गृह-मंत्री ने भ्रष्टाचार समाप्त करने का बीड़ा उठाया है । उन्होंने यह भी कहा है कि यदि वे कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर पाये तो अपना पद छोड़ देंगे । लेकिन मैं समझता हूँ कि उनमें एक कमजोरी है, जिसे वे लाभ समझते हैं, कि जो कुछ भी वे करना चाहते हैं उसके लिये एक संस्था बना देते हैं । उन्होंने जिस भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ की स्थापना की थी वह अब सरकार भी निर्भर करती है ।

इसी तरह उन्होंने 1952 में भारत सेवक समाज की स्थापना की । इसकी स्थापना के कारणों के बारे में एक पुस्तिका निकाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इसका उद्देश्य देश में विद्यमान निराशा को दूर करना है । हमें देखना यह है कि क्या भारत सेवक समाज ने यह उद्देश्य पूरा किया है । यदि इसके हिसाब-किताब देखे जायें तो पता चलेगा कि कितने अजीब तरीके से उसे नदी घाटी परियोजनाओं में ठेके दिलाने के लिये प्रयत्न किया गया है । इसे सड़क और मकान बनाने आदि के ठेके देने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया । सरकार का यह कर्त्तव्य था कि गांधीजी द्वारा स्वतन्त्रता से पहले सभी रचनात्मक क्षेत्रों में तथा इन सभी क्षेत्रों में, जिनका उन्होंने उल्लेख किया, देश की सेवा के लिये स्थापित संस्थाओं को सुदृढ़ करती, जो बहुत अच्छा काम कर रही थीं । वे मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कहूं कि उन्होंने ऐसा कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के लिये किया लेकिन इससे कांग्रेस की बदनामी ही हुई है ।

फिर उन्होंने भारत साधु समाज स्थापित किया । साधु तो कुटिया में रहते हैं जबकि उन्होंने उन्हें विशाल भवन दिलाये हैं, जमूना के किनारे पर नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे रमणीक स्थान चाणक्यपुरी में । हमारे सन्यासी अल्पाहार करते थे तथा सदा त्याग का जीवन बिताते थे लेकिन अब उन्हें डीलक्स गाड़ी में भारत-दर्शन के लिये ले जाया गया । जो सच्चा साधु होगा वह आज भी पैदल तीर्थ यात्रा करेगा । शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य सभी ने इस प्रकार पद-यात्रा की । ये सब नन्दा जी का प्रभाव है जिससे ये सुख-सुविधायें उन्हें मिलती हैं फिर उन्होंने एक सदाचार समिति बनाई । मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस समिति के कुछ सदस्यों का नाम लेने से कांग्रसियों के चेहरे पर भी मुस्कराहट दौड़ जाती है । मैंने इस सभा में इस समिति के बारे में कहा था कि जब कोई चोर चोरी करता है तो चोर-चोर का शोर होने पर वह सबसे उनमें मिलकर चोर-चोर चिल्लाता है ।

नन्दा जी से मेरा निवेदन है कि यदि वे अपना मान बनाये रखना चाहते हैं और देश में भ्रष्टाचार व रिश्वत को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें मेरी बात पर ध्यान देना चाहिये । परसों उन्होंने जो कुछ किया उससे उनकी मान-वृद्धि नहीं होती । यदि उन्होंने

स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया होता कि उन्होंने उत्तेजना में एक गलत काम किया जिसके लिये उन्हें खद है तो इससे उनके साथ मंत्रालय और समूचे मंत्रीमंडल की प्रतिष्ठा बढ़ती और हमें भी चुप कर देते। इसके विपरीत उन्होंने बात को घुमा-फिरा दिया और अध्यक्ष-महोदय द्वारा हमारे विरुद्ध निर्णय करने पर मुस्करा दिये। क्या वे समझते हैं कि ये हमारी हार थी ? यह तो उनकी सबसे बड़ी पराजय थी।

वह सत्यनिष्ठ एवं साधुवृत्ति के पुरुष हैं, वह गांधी जी द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं, किन्तु ऐसे अनुगामी संदिग्ध नैतिक चरित्र वालों के साथ उलझन में फंस जाते हैं और वे लोगों को उचित रूप से परख नहीं पाते हैं। इसलिए गृह-कार्य मंत्री को इन सब संस्थाओं से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना चाहिए नहीं तो लोग उन पर उसी प्रकार आरोप लगायेंगे जिस प्रकार मैं लगा रहा हूं और जो अच्छा कार्य वह कर रहे हैं, वह सब मिट्टी में मिल जायेगा।

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम्) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में गृह-कार्य मंत्री महोदय को देश में उत्पन्न हुई परिस्थिति के कारण व्यस्त रहना पड़ रहा है। आज देश के सामने विभिन्न समस्यायें हैं जिन्हें हमें सुलझाना है। विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न देश की सुरक्षा का प्रश्न बन गया है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लम्बी सीमा पर कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है; भाषा सम्बन्धी नीति और हिन्दी आन्दोलन से भी समस्या बनी हुई है। गोवा विलय तथा गोवा विलय-विरोधी आन्दोलन भी चले हुए हैं। इसलिए गृह-कार्य मंत्री को इन समस्याओं को सुलझाने अथवा हल करने के कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है।

मैंने आचार्य कृपालानी जैसे विशिष्ठ सदस्य को साधु समाज तथा गृह-कार्य मंत्री का उससे स्थापित सम्बन्ध, के बारे में कहते सुना। किन्तु मुझे इस बात की जानकारी है कि उनका गृह-कार्य मंत्री के रूप में साधु-समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है। राजकोष से साधु समाज को एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। उन्हें जो कुछ भी धन मिलता है वह केवल मठों तथा मठाधिपतियों आदि स्रोतों से प्राप्त होता है। मैं नहीं समझ पाता कि इस मामले को इस सभा के समक्ष क्यों लाया गया है।

भारत सेवक समाज की गतिविधियों के बारे में इस सभा की एक विशिष्ठ समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के महत्व को मानने से मैं इन्कार नहीं करता किन्तु भारत सेवक समाज ही एकमात्र ऐसी संस्था नहीं है जिसके विरुद्ध लोक-लेखा समिति तथा सभा की अन्य समितियों ने टिप्पणी की हो। भारत सेवक समाज के केरल के प्रान्तीय शाखा के अध्यक्ष ने केरल सरकार तथा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उस शाखा के लेखों की लेखापरीक्षा की जाय और उक्त शाखा की गतिविधियों में यदि कोई अनियमितता पाई जाय तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अतः यह उचित नहीं है कि गृह-कार्य मंत्री को भारत सेवक समाज के कारण हंसी का पात्र बनाया जाय।

सीमा-समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। गृह-कार्य मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करने के उपाय करे कि जो कठिनाइयां दिन-प्रतिदिन उत्पन्न होती हैं वे उत्पन्न न हों। भारत-पाकिस्तान के बीच 2,500 मील सीमा है जिस में सभी स्थानों पर सीमाचिन्ह निर्धारित नहीं किये गये हैं अतः यह आवश्यक है कि यथाशीघ्र सीमा निर्धारण का कार्य

[श्री प० गो० मेनन]

किया जाय । सीमान्त क्षेत्रों में संचार-साधनों में सुधार करने तथा वहां पर सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए धन के व्यय में कमी नहीं की जानी चाहिए ।

यह एक आश्चर्यजनक बात है कि भाषा आन्दोलन से उत्पन्न समस्या के लिए वास्तव में कौन मंत्रालय जवाबदेह है, इसका ही पता नहीं चल पाता। मैं समझता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय इस मामले पर कार्यवाही कर रहा है । भाषा के मामले को ऐसे ही चलते नहीं रहने देना चाहिये। यह अहिन्दी भाषी लोगों तथा हिन्दी भाषी लोगों के भावना-संघर्ष का प्रश्न है । लोग बहुत बुरा रवैया अपना रहे हैं। केवल विवेक और दूरदर्शिता से ही यह समस्या हल हो सकती है । अहिन्दी भाषी लोगों को यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि अंग्रेजी हमेशा के लिए राज भाषा बनी रहनी चाहिए क्योंकि ऐसा रुख अपनाना एक राष्ट्र विरोधी धारणा होगी । हिन्दी क्षेत्रों के कुछ लोगों ने भी हिन्दी को राज भाषा के रूप में लाने के लिए कट्टर रवैया अपनाया है जो कि देश के हित में ठीक नहीं होगा । ऐसी आशा है कि हम इस समस्या का उचित हल निकालेंगे ताकि देश की अखण्डता और एकता को खतरा न पहुंच सके ।

भारतीय साम्यवादी दल दो दलों में विभक्त हो गया है । अब इन दो दलों का मेल होना असम्भव प्रतीत होता है। चीनी आक्रमण के संदर्भ में इस दल में फूट पड़ी, केरल-निर्वाचन से पहले, इस वर्ष 4 मार्च को तथा कथित वामपंक्षी और दक्षिणपक्षी साम्यवादियों के बीच एक संयुक्त मोर्चे के निर्माण के लिये विस्तृत्त रूप से बातचीत हुई, किन्तु यह वार्ता इसलिए असफल हो गई कि वामपक्षी दल चीन के प्रति उनके रवैये को अपने चुनाव घोषणापत्र में समाविष्ट करने के लिए मंजूर नहीं हुआ । चीनी आक्रमण के संदर्भ में इस दल में फूट पड़ी और वह दो दलों में विभक्त हो गया--यह फूट आगे बढ़ कर इस सीमा तक पहुंची कि केरल चुनावों में ये दोनों दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े । भारतीय साम्यवादी के सदस्य गृह-कार्य मंत्री को वामपंक्षी साम्यवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का दोषी ठहराते हैं। यदि भारतीय साम्यवादी दल सत्तारूढ़ होता, तो वामपक्षी साम्यवादियों के प्रति उनकी कार्यवाही और भी अधिक कड़ी होती ।

केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने पर गृह-कार्य मंत्री की आलोचना की गई है । वर्ष 1959 में भी अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था क्योंकि राज्य विधान मंडल का गठन इस प्रकार हो गया था कि वहां कोई स्थायी मंत्रिमंडल बनना सम्भव नहीं था। श्री राजगोपालाचारी ने राष्ट्रपति का शासन पंजाब में लागू किया था और डा० काटजू ने दो-तीन राज्यों में लागू किया था और स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पन्त ने केरल में किया। भारतीय संविधान की यह एक प्रथा है कि जहां विधान मंडल का गठन इस प्रकार हुआ हो जिससे कि स्थायी मंत्रिमंडल का बनना संभव न हो, तो अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। यदि यह प्रथा बुरी है तो इसे प्रसन्नता से बदला जा सकता है। किन्तु एक मान्य तथा स्वीकृत प्रथा को लागू करने के लिए गृह-कार्य मंत्री की निन्दा करना अनुचित है ।

अब केरल में राष्ट्रपति का शासन है, इस मामले में राष्ट्रपति की ओर से गह-कार्य मंत्री शासन चलायेंगे । इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये जाने चाहिए कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत सम्भाले गये प्रशासन को गृह-कार्य मंत्री द्वारा किस प्रकार चलाया जाये ।

चौथी योजना के लिए धनराशि नियत की जाने वाली है। चौथी योजना तैयार करते समय, केरल की आवश्यकताओं का मामला योजना आयोग के समक्ष राज्यपाल श्री अ० प्र० जैन द्वारा नहीं अपितु गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा द्वारा पेश किया जाना चाहिए क्योंकि केरल का प्रशासन उनके हाथ में है।

केरल की उपेक्षा की गई है। यह उपेक्षा जानबूझकर नहीं अपितु दूरी के कारण हुई है। मुझे आशा है कि कम से कम इस अवसर पर केरल के प्रति न्याय किया जायेगा। जिससे केरल निवासियों को यह आभास हो जायेगा कि वहां संवैधानिक व्यवस्था का न किया जाना सफल सिद्ध हुआ है तथा उनके लिये लाभदायक रहा है।

मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	7	श्री यशपाल सिंह	न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को कम करने की आवश्यकता।	100 रुपये
51	8	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	केन्द्रीय सचिवालय के कुछ अनुभाग अधिकारियों को, जिन्हें उनके गोपनीय रिपोर्टों में "अच्छा" की श्रेणी में रखा गया है, शामिल करने के लिये उन्हें दो अतिरिक्त बढ़ोतरियां देने से सम्बंधित आदेश लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
51	9	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	देश में बढ़ती हुई विधिहीनता को रोकने की आवश्यकता	100 रुपये
51	10	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
51	11	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	प्रशासन में बढ़ती हुई अकार्य-कुशलता को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
51	12	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	प्रशासनिक सेवाओं में भरती करने की पद्धति में सुधार करने और सभी स्तरों पर प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
51	13	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की भरती के लिए एक अलग आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	14	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	भ्रष्टाचार दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
51	15	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	राज भाषा के विकास के सम्बन्ध में निश्चित और दृढ़ नीति का अभाव ।	100 रुपये
51	16	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, हिन्दी सलाहकार समिति के सुझावों को कार्यान्विति न करना ।	100 रुपये
51	17	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में कोटा-पद्धति न चालू करना ।	100 रुपये
51	18	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	जम्मू और काश्मीर राज्य में अस्थिरता जिसके कारण उस राज्य में और भारत के अतिरिक्त विदेशों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है ।	100 रुपये
51	19	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	दिल्ली में अपराधों की बढ़ती हुई संख्या रोकने में असफलता ।	100 रुपये
51	20	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	मद्रास में भाषा सम्बन्धी उपद्रवों के प्रभाव से संविधान और राज भाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में ढिलाई ।	100 रुपये
51	21	श्री यशपाल सिंह	उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त न करना ।	100 रुपये
51	22	श्री यशपाल सिंह	लालफीताशाही कम करने के उद्देश्य से प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	23	श्री यशपाल सिंह	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये एक के बाद दूसरे शनिवार के दिनों की छुट्टी के दिन घोषित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	24	श्री यशपाल सिंह	सरकारी कर्मचारियों को उसी प्रकार से पी० टी० ओ० देने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को दिये जाते हैं।	100 रुपये
55	32	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग में सुधार करने और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
55	33	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	सीमावर्ती क्षेत्रों में योग्य व्यक्तियों को हथियार के लाइसेंस उदारता से देने की आवश्यकता	100 रुपये
55	34	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
51	46	श्री कोया	देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	48	श्री कोया	हिन्दी लागू करने में जल्दबाजी के कारण गैर-हिन्दी भाषी राज्यों की जनता की आशंकाएं दूर करने की आवश्यकता।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	49	श्री कोया	मद्रास तथा अन्य गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन के कारणों की जांच न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	50	श्री कोया	केरल में भूतपूर्व मंत्रिमंडल पर लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त न करना ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	51	श्री कोया	कलकत्ता, रूड़केला और जमशदपुर में उजड़े हुए मुसलमानों को बसाने में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	52	श्री कोया	शिक्षा और उद्योग के विषय में मलाबार के पिछड़े हुए क्षेत्र को केरल के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए अबिलम्बनीय कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	60	श्री मनोहरन	भारत रक्षा कानून के अधीन बिना कारण निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा करने की आवश्यकता।	100 रुपये
51	61	श्री मनोहरन	प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार और उन्नति के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	62	श्री मनोहरन	भाषा के प्रश्न का पुनर्विलोकन करने और एक सर्वसम्मत हल ढूंढ निकालने के लिए प्रमुख विधिवेत्ताओं, शिक्षाशास्त्रियों, उपकुलपतियों, संसद्-सदस्यों, विश्वविद्यालय छात्र संघ नेताओं और प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	63	श्री मनोहरन	अण्डमान, निकोबार और लक्षदीवी द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्रों में वयस्क मताधिकार से संसद् सदस्य निर्वाचित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	64	श्री मनोहरन	अण्डमान द्वीपसमूह के स्कूलों में तामिल माध्यम चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	65	श्री मनोहरन	अण्डमान द्वीपसमूह के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वित्तीय अर्जनों की जांच करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	66	श्री मनोहरन	अण्डमान द्वीपसमूह में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	67	श्री मनोहरन	अण्डमान, निकोबार और लक्षदीवी द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	68	श्री मनोहरन	अण्डमान, निकोबार और लक्षदीवी द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्रों में सभी श्रम कानून लागू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	69	श्री मनोहरन	अण्डमान द्वीपसमूह में एक पुलिस इन्सपेक्टर जनरल नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	70	श्री मनोहरन	अण्डमान द्वीपसमूह में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	71	श्री मनोहरन	अण्डमान द्वीपसमूह में उचित विधान द्वारा भूमि और इमारतों के अर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
52	72	श्री कोया	केरल में लोकप्रिय मंत्रिमण्डल के बनाये जाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा रुकावट डालना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	77	डा० मा० श्री० अणे	नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण ।	100 रुपये
	78	डा० मा० श्री० अणे	पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नये नियम ।	100 रुपये
	79	डा० मा० श्री० अणे	नये पदों के निर्माण तथा उनके कार्यकाल बढ़ाने पर रोक ।	100 रुपये
56	80	डा० मा० श्री० अणे	जनगणना सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब ।	100 रुपये
51	81	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	अखिल भारतीय सेवाओं और वर्ग 1 और वर्ग 2 की केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षा सहित विभिन्न विषयों में अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को और अन्तिम स्थान दर्शित करने वाली सूचियां प्रकाशित न करना।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	92	श्री हरि विष्णु कामत	देश में विकेन्द्रीकरण तथा विभाजनकारी शक्तियों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला न करना	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	93	श्री हरि विष्णु कामत	चीन और पाकिस्तान के एजेंटों को बढ़ती हुई जासूसी और विध्वंसात्मक कार्यों को समाप्त करने में असफलता ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	94	श्री हरि विष्णु कामत	देश में तेजी से बढ़ती हुई भ्रष्टाचार की बीमारी को गम्भीरतापूर्वक दूर न करना ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	95	श्री हरि विष्णु कामत	जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 217 (3) द्वारा अपेक्षित था, मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की उम्र की जांच न करवाना ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	96	श्री हरि विष्णु कामत	15 मार्च, 1965 को अविश्वास-प्रस्ताव पर बोलते हुये अपने भाषण के दौरान शिक्षा मंत्री ने कुछ "गुप्त दस्तावेजों" की जिस "चोरी" के संबंध में उल्लेख किया था, उसकी जांच न करना ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये
51	111	श्री कोया	केरल राज्य में पुलिस की ज्यादती ।	100 रुपये
51	112	श्री मनोहरन	अण्डमान द्वीप समूह में डी० एम० के नेताओं की भारत रक्षा कानून के अधीन गिरफ्तारी ।	100 रुपये
51	113	श्री मनोहरन	भ्रष्टाचार दूर करने में असफलता ।	100 रुपये ।
51	114	डा० मा० श्री० अणे	भारत संघ के वर्तमान राज्य क्षेत्र में विलय अथवा उससे अलग होने के लिए सिद्धान्त निर्धारित करने के हेतु एक आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	117	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश में संकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी राज्यों में और केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	118	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य मंत्रि-मंडल के विरुद्ध विधान-सभा के कांग्रेसी सदस्यों और विरोधी दल के सभी सदस्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई आरोपों की सूची ।	100 रुपये
51	119	श्री शिवमूर्ति स्वामी	प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार रोकने में सतर्कता आयोग की असफलता ।	100 रुपये
51	120	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश की राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी का विकास करने में मंत्रालय की असफलता ।	100 रुपये
51	121	श्री शिवमूर्ति स्वामी	भारत के पुनर्गठित राज्यों के सीमा विषयक विवादों का निर्णय करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	82	श्री वारियर	लोक सेवा में नियुक्तियों के लिए राजनैतिक आधार पर पुलिस की जांच संबंधी नीति ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
51	83	श्री वारियर	विशेषकर ऊंचे स्तरों पर भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रभावशाली कदम न उठाना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
51	84	श्री वारियर	बिना मुकदमा चलाये राजनैतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनका निरोध ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
51	85	श्री वारियर	विभिन्न स्तरों पर जनता के प्रतिनिधियों का निरोध और इस प्रकार उन्हें जनता के मूल अधिकारों से वंचित रखना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	86	श्री वारियर	संकटकालीन स्थिति को समाप्त न करना ।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
51	87	श्री वारियर	प्रादेशिक भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन देने में असफलता और पूरी तैयारी के बगैर सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करने का प्रयास ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
51	88	श्री वारियर	प्रशासनिक कार्य प्रणाली में जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार न करना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
51	89	श्री वारियर	दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लोकप्रिय सरकार स्थापित न करना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दो जाये ।
51	90	श्री वारियर	केरल राज्य में हाल के चुनावों में साम्प्रदायिक और जातीय शक्तियों को दिया गया प्रोत्साहन ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
51	99	श्री वारियर	पुलिस जांच की रिपोर्टों के आधार पर निकाले गये सभी सरकारी कर्मचारियों को फिर नौकरी में रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	100	श्री वारियर	सन्थानम समिति की रिपोर्ट की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	101	श्री वारियर	त्रिपुरा में सरकार द्वारा की गई अलोकतन्त्रीय तथा दमनकारी कार्यवाहियों को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	102	श्री वारियर	भ्रष्टाचार दूर करने में सदाचार समितिय की उपयोगिता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	103	श्री वारियर	उड़ीसा के नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में केन्द्रीय गुप्तवार्ता कार्यालय और मंत्रिमंडल उपसमिति की रिपोर्टों को प्रकाशित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	104	श्री वारियर	दिल्ली राजधानी में दाण्डिक अपराधों में वृद्धि रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	105	श्री वारियर	भारत रक्षा कानून के अधीन नजरबन्द किये गये राजनैतिक कार्यकर्ताओं के परिवारों को पारिवारिक भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	106	श्री वारियर	उन राजनैतिक बन्दियों को जिन्होंने पैरोल के लिए आवेदन किया है, उन्हें पैरोल देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	107	श्री वारियर	महिला राजनैतिक बन्दियों को अन्य बन्दियों से मिलने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	108	श्री वारियर	राजनैतिक बन्दियों के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति के बगैर दर्शकों से मिलने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
51	109	श्री वारियर	राजनैतिक बन्दियों और उनके संबंधियों और वकीलों के बीच शीघ्र पत्र व्यवहार की गारंटी देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

नाम संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	110	श्री वारियर	बन्दी संसद् सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को संसद् और विधान सभाओं में उस समय उपस्थित रहने की जबकि वहां उनके विरुद्ध आरोपों पर चर्चा हो रही हो अनुमति देने की आवश्यकता।	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

Shri Bishanchander Seth (Etah): Although it would have been very difficult to form a stable Government under the present circumstances yet an opportunity should have been given for the formation of a Ministry there.

Representative Government is functioning in Goa. An assurance has been given by the ruling party to the people that that territory would be merged with Maharashtra. Since the same Government is still ruling there, there is no reason for delaying the matter.

It is really deplorable that there is a feeling in the country that our Government is not capable of defending our borders. Everyday Pakistan intrude in our territory and take away cattles etc. The Government should act in a determined manner to prevent the activities of Pakistani intruders. The country should be defended strongly. The increasing number of attacks on our borders are producing very bad effects on the morale of the people. Had we met Pakistani attacks boldly in the beginning such a situation would not have arisen. Special attention should be paid to the security of our borders with Pakistan.

It is not a happy thing that our borders are inhabited by Muslims, who are mixing up with Muslims on the other side of the border. Therefore, I submit that in those areas Muslims should be replaced by Hindus who should be well armed.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

चौसठवां प्रतिवेदन

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौसठवें प्रतिवेदन से, जो 21 अप्रैल, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चौंसठवें प्रतिवेदन से, जो 21 अप्रैल, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

जनता की शिकायतों के निवारण के लिये संस्था के बारे में संकल्प--जारी

RESOLUTION RE: INSTITUTION FOR REDRESS OF PUBLIC GRIEVANCES—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के निम्नलिखित संकल्प पर, जो उन्होंने 9 अप्रैल, 1965 को प्रस्तुत किया था, आगे विचार करेगी :

"इस सभा की राय है कि जनता की शिकायतों की छानबीन करने और उनका निवारण करने के हेतु एक उपयुक्त व्यवस्था की स्थापना की सम्भावना और उसके स्वरूप पर विचार करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिये जो स्केंडिनेविया के देशों तथा न्यूजीलैंड में विद्यमान "ओम्बुड्समैन" से मिलती जुलती संस्था की स्थापना की सम्भावना पर भी विचार करे ।"

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक संस्था की स्थापना के बारे में मैंने पहले भी सरकार से अनुरोध किया था । स्वर्गीय प्रधान मंत्री भी इसकी स्थापना के सम्बन्ध में पूर्णत: सहमत थे । गृह-कार्य मंत्री ने 16 दिसम्बर, 1963 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के समय सभा पटल पर रखे गये अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट रूप से माना था कि जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में सन्तानम समिति ने भी अपनी शिफारिशों में काफी जोर दिया था । सरकार कई बार इस प्रकार की संस्था बनाने का आश्वासन भी दे चुकी है । किन्तु यह खेद की बात है कि सरकार ने इस संस्था की आवश्यकता को देखते हुए भी दिये गए आश्वासनों को अभी तक कार्य रूप नहीं दिया । ऐसा लगता है कि सरकार इस सम्बन्ध में सच्चे हृदय से कार्य नहीं कर रही है । मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जब हमें अपना लक्ष्य ही मालूम नहीं है तो हवा में बात करना बेकार है । अर्थात्, जब भ्रष्टाचार के बारे में इतना कुछ कहा जाता है तो यह आवश्यक है कि जनता की शिकायतों को दूर करने के एक संस्था बनाना भी आवश्यक है ।

सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता का दृष्टिकोण अपनाकर समस्या हल नहीं हो सकती । सरकार को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का राजनीतिक भय नहीं होना चाहिये । सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशिष्ट रूप से क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ।

शिकायतों को दूर करने के लिए ओम्बुड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने की ओर ब्रिटेन का का ध्यान भी गया है । वहां की सरकार ने जनता को आश्वासन दिया है कि वह इस प्रकार की संस्था स्थापित करने के लिए शीघ्र ही विधान बनायेगी ।

यह स्पष्ट है कि साधारण नागरिक के लिए अपनी शिकायतों की सुनवाई करवाने के लिए उपयुक्त तथा उपलब्ध साधन पर्याप्त नहीं हैं। साधारण नागरिक के लिए उचित न्याय की व्यवस्था करने तथा लोक जीवन में सुधार करने के लिए ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिए। लोक जीवन और प्रशासन में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की संस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है। न्यायालयों में प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकता समाप्त करने के लिए भी इस प्रकार की संस्था का होना आवश्यक है।

मैं इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार में न जाकर केवल यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की संस्था के महत्व को देखते हुए स्केण्डिनेविया के देशों तथा न्यूजीलैंड में इसकी स्थापना की गई है और ब्रिटेन में शीघ्र ही इस प्रकार की स्थापित की जायेगी। अतः मैं फिर अनुरोध करता हूं कि भारत में भी ऐसी संस्था अविलम्ब स्थापित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा संशोधन सभा के सामने है। चूंकि इस पर अधिक संख्या में सदस्य बोलना चाहते हैं अतः प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट बोलने का अवसर मिलेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह एक महत्व पूर्ण मामला है। अतः समय बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की सहमति से मैं एक घंटा समय बढ़ाता हूं।

श्री वारियर (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रायः सभी सदस्य, विशेष रूप से विरोधी दल के सदस्य, इस संकल्प के समर्थक हैं। सरकार यदि थोड़ा ध्यान पूर्वक विचार करे तो वह भी इसकी वांछनीयता से पूर्णतः सहमत हो जायेगी। सरकार को पहले इस संकल्प की भावना को स्वीकार करना चाहिए। यदि इसकी भावना को स्वीकार कर लिया जाये तो बाद में धीरे-धीरे उसे कार्य रूप देने के उपाय किये जा सकते हैं।

प्रारंभ में इस संस्था का कार्य क्षेत्र सीमित ही रखा जाना चाहिए। बाद में अनुभव के साथ-साथ इस का क्षेत्र भी बढ़ाया जा सकता है।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए
Shri Khadilkar *in the Chair*]

यह ठीक है कि देश के कुछ लोग इस प्रकार की संस्था की स्थापना के विरुद्ध हैं किन्तु हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यह संस्था मुख्य रूप से जनसाधारण के हितों की रक्षा करने के लिए है जो अधिक व्यय न कर सकने के कारण न्यायालयों में अपनी शिकायतें नहीं ले जा सकते हैं। अतः इस संस्था की स्थापना करना अत्यन्त आवश्यक है।

यह संस्था संसद् के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। इस संस्था को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए और इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। जब तक संस्था को व्यापक अधिकार तथा स्वायत्तता नहीं दी जायेगी तब तक यह कतई कार्य नहीं कर सकती है।

[श्री वारियर]

आज देश में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार की ओर से लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं किन्तु जब तक ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना न की जाये तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। इस समय भ्रष्टाचार अधिकांशतः ऊंचे स्तर पर अधिक व्याप्त है। यह संस्था सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच कर सकेगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): यह सराहनीय बात है कि सभा में तथा सभा से बाहर 'ओम्बुड्समैन' जैसी संस्था स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इससे हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस प्रकार की संस्था अवश्य स्थापित की जानी चाहिए। न केवल स्वीडन, नार्वे अथवा न्यूजीलैंड में ही इस प्रकार की संस्था कार्य कर रही है अपितु साम्यवादी विचारधारा तथा अन्य देशों ने भी इस प्रकार संस्था बनाने की आवश्यकता अनुभव की है ।

ओम्बुड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी में सभी प्रजातंत्रीय देशों में जीवन की स्वेच्छाकारिता पद्धति का त्याग करके सरकार जन जीवन को नियमित करने के लिए अपने हाथ में शक्तियां ले रही है। अतः सरकार की शक्तियों तथा जन जीवन में स्वतंत्रता तथा सम्मान में संतुलन बनाये रखने के लिए ऐसी संस्था बनाने की आवश्यकता है ।

मेरे विचार से देश में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था अवश्य होनी चाहिये। मैं अपने ही मामले को लेती हूं। यदि ऐसी संस्था यहां होती तो मुझे इतनी कठिनाई का सामना न करना पड़ता जितना अब करना पड़ा। मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूं। मैं तो इस लिये कह रही हूं कि ऐसी बात किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिये यहां ऐसी संस्था बनाने की बहुत आवश्यकता है ।

कुछ समय पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई थी। मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी है। उस बैठक में एक मंत्री महोदय ने सुझाव दिया था कि शिकायतें संसत्सदस्यों द्वारा गुजरनी चाहियें। यह ठीक है कि हम लोगों का प्रतिनिधान करते हैं और ऐसा करने की स्थिति में हैं परन्तु यह काम केवल संसत्सदस्यों पर छोड़ देने से ही नहीं चल सकता। मेरा ही मामला ले लीजिये। शिकायत एक वर्ष पूर्व की गई थी परन्तु इस पर निर्णय करने के लिये सरकार को पूरा एक वर्ष लग गया ।

राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने सभापति, श्री माथुर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे भ्रष्टाचार के मामले पकड़ने में हमें इतना लाभ नहीं है जहां चार, आठ आने या एक रुपये का भ्रष्टाचार हो। हमें तो भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामले पकड़ने चाहियें। इसलिये भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामले पकड़ने के लिये एक ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की बहुत आवश्यकता है ।

इसके लिये मैं एक, दो सुझाव देना चाहती हूं। ओम्बुड्समैन चाहे कोई भी रूप ले परन्तु मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये। उसकी सिफारिश न केवल भारत के मुख्यन्यायाधिपति द्वारा ही होनी चाहिये परन्तु लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा भी की जानी चाहिये। उस व्यक्ति के अधीन एक तालिका भी होनी चाहिये जिस की नियुक्ति इस ओम्बुड्समैन के लिये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये मुख्याधिकारियों की सिफारिश पर हो ।

मेरा दूसरा सुझाव केन्द्रीय जांच विभाग के संबंध में है। कुछ लोग इस विभाग की निन्दा करते हैं तो कुछ इसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु अधिकतर लोगों का यही मत है कि यह विभाग सरकार को देश को, तथा सभा को खुश नहीं कर सका है। इसलिये मेरे विचार से इस विभाग को सीधे संसद के प्रति जिम्मेदार होना चाहिये न कि सरकार के किसी विभाग के।

इन दो सुझावों के अतिरिक्त मेरा एक छोटा सा और भी सुझाव है। मेरे विचार से ओम्बुड्समैन जैसी दो संस्थायें होनी चाहियें। एक संस्था तो सैनिक मामलों के लिये होनी चाहिये तथा दूसरी असैनिक मामलों के लिये। कई सैनिक मामलों को गुप्त रखना होता है तथा कई असैनिक मामलों का प्रचार करना होता है इस लिये मेरे विचार से दो संस्थायें होनी चाहियें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमारे देश में बहुत सी समस्यायें हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समस्या होती है। तो उनके हिसाब से देश की 40 करोड़ समस्यायें उस समय थीं जब कि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। अब तो समस्यायें और भी अधिक हो गई हैं। इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि शिकायतें अपनी पार्टी द्वारा आगे भेजी जानी चाहियें। परन्तु राजनैतिक पार्टियां उन शिकायतों को भारसाधकों को भेज देती हैं तथा भारसाधक उन शिकायतों का उत्तर देने के लिये उन व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं जिनके विरुद्ध वे शिकायतें होती हैं। इस प्रकार कोई ठीक काम नहीं होता है। कुछ लोग लिखित याचिका द्वारा अपनी शिकायतें भेजना पसन्द करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है इस प्रकार से उनको न्याय प्राप्त होगा।

इन शिकायतों से पीड़ित हो कर लोग हड़तालें करते हैं। अध्यापक हड़तालें करते हैं। पीछे पटवारियों ने हड़ताल की हुई थी। भाषा के संबंध में हड़तालें हुई थीं। इस तरह सभी प्रकार के आन्दोलन हुए हैं। इस प्रकार के आन्दोलन हम हमेशा के लिये सहन नहीं कर सकते हैं। परन्तु उनको कैसे हल करना है? इनको हल करने के लिये मेरे विचार से एक ही तरीका है कि चुनाव आयोग जैसा एक स्वतन्त्र अभिकरण बनाया जाय जो लोगों की शिकायतों पर विचार करे। जब तक यह नहीं किया जाता कुछ नहीं हो सकेगा क्योंकि यह विचार जोर पकड़ गया है कि सरकार केवल आन्दोलन की भाषा ही समझती है और कुछ नहीं। यदि हम अपने लोकतन्त्र को बचाना चाहते हैं तो हमें आन्दोलनों को बढ़ने से रोकना चाहिये। आन्दोलनों को रोकने के लिये लोगों की शिकायतें दूर की जानी चाहियें तथा शिकायतों को दूर करने के लिये ऐसे स्वतन्त्र अभिकरण का होना आवश्यक है। ऐसा स्वतन्त्र निकाय न केवल केन्द्र में ही बल्कि राज्यों में भी होना चाहिये ताकि वह लोगों की शिकायतें सुन सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मित्र, डा० सिंघवी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा मेरा भी ऐसा विचार है कि संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिये जो इस निकाय के कृत्यों तथा कार्यप्रणाली के संबंध में फैसला दे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस संकल्प का पूरा समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि प्रस्तावक महोदय ने जो अन्य समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया है वह मुझे पसन्द नहीं है। इसका तात्पर्य तो प्रत्येक वस्तु को सरकार के हाथ में छोड़ना होगा।

पिछली बार जब ओम्बुड्समैन संस्था के विषय में चर्चा हो रही थी तो सरकार की ओर से श्री हाथी ने कहा था कि संथानम समिति की रिपोर्ट आने दीजिये। उस रिपोर्ट पर इस सभा में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

चर्चा होगी और तब हम निर्णय कर लेंगे कि क्या करना है । परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि संथानम समिति की रिपोर्ट कब आयेगी और उस पर कब चर्चा होगी और वह आयेगी भी या नहीं ।

श्री हाथी : सोमवार को ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उस दिन संथानम समिति की रिपोर्ट पर तो चर्चा नहीं होनी है । उस दिन तो गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी । इसके अतिरिक्त संथानम समिति ने भ्रष्टाचार के मामलों की राजनीतिक स्तर पर जांच करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है । अब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इस प्रश्न पर अपनी विचारधारा बदल ली है । जहां तक राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करने का संबंध है उन्होंने नई प्रक्रिया अपना ली है । इस बार गृह-कार्य मंत्रालय ने कुछ राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करने की जिम्मेदारी अपने पर ले ली थी । मंत्रालय ने कुछ मामले केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिये थे । परन्तु उनको इस जांच से पता लगा कि ये मामले इस प्रकार के हैं जिससे सारी सरकार का तथा राज्यों में कांग्रेस की कार्य प्रणाली का पोल खुल जाएगा । इसलिये अब किसी जांच आयोग को बनाने की बात नहीं की जा रही है । वे जांच आयोग बनाने का विरोध कर रहे हैं । वे किसी न्यायिक जांच आयोग को भी नियुक्त नहीं करना चाहते हैं । वे इस प्रकार के मामलों के लिये न्यायिक जांच आयोग स्थापित करने से डरते हैं । इसलिये अब लोगों ने यह महसूस करना आरम्भ कर दिया है कि सरकार अपनी पार्टी को बचाने के लिये यह सब कुछ कर रही है । और ऐसा उड़ीसा, मैसूर, बिहार तथा अन्य स्थानों पर हुआ भी है ।

इसलिये यदि सरकार राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिये कोई आयोग नियुक्त करने के लिये तैयार नहीं है, यदि संथानम समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है और यदि सरकार यह भी कहती है कि ओम्बुड्समैन जैसी संस्था प्रशंसनीय है तो उन्हें यह घोषणा कर देनी चाहिये कि वे जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये ओम्बुड्समैन को स्वीकार करने को तैयार हैं । लोग भी न्यायिक जांच इस लिये पसन्द करते हैं क्योंकि उनको कार्यपालिका में विश्वास नहीं रहा है । ओम्बुड्समैन जैसी संस्था संसद् के प्रति उत्तरदायी होगी और एक निष्पक्ष संस्था होगी । इसलिये लोगों को इस में विश्वास होगा ।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह यह घोषणा करें कि वह इस संकल्प को इस शक्ल में स्वीकार कर रहे हैं या नहीं ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I support the Resolution moved by Dr. Singhvi.The main aim of this resolution is to remove malpractices in administration and corruption in the country.

Keeping this thing in view the Minister of Home Affairs has also taken some steps in this respect. He formed a Vigilance Commission. He also set up 'Sadachar Samiti'. But with the duration of these Samities neither malpractices nor corruption in administration could be put an end to. I can also say this much that even with the setting up of an organisation like the Ombudsman all the evils prevalent in the country cannot be removed. The only thing possible is that these evils can be prevented. And all that we want at this time is to prevent these evils. But before the setting up of such an organisa-

tion we will have to think twice because ours is a vast country. The Countries where this sort of machinery is propular are Sweden Finland, Denmark, Norway and New Zealand. But these are very small countries. Therefore in order to establish such an organisation in a vast country the other necessary things prevalent in that country should also be kept in view I also want to bring to your notice, Sir, one more thing. In case a complaint is lodged against someone, what happens is that the complaint is forwarded to the same fellow for reporting Therefore there must be some organisation in the country to redress people's grievances.

This problem can never be solved unless and until the people of the country raise their moral high and follow the path shown by Mahatma Gandhi in this respect.

I am also in favour that the protection given to big officers under Articles 311 and 314 should also be removed from the Constitution.

Just as we want that Government servants should be immune to Corruption and malpractices so we want that these evils should not be at the political level also.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): Mr. Chairman, the Resolution moved by Dr. Singhvi needs a lot of consideration. I feel that an organisation based on the model of ombudsman should be set up in India But this organisation in India should not be of the type that is in other countries because ours is a vast country and has so many State Governments. So, we must consider as to how far this sort of organisation will be useful? I, therefore, support the hon. Member who has said that a Committee of the Members of Parliament should be formed to consider the feasibility of this organisation. I think that there shold not be any hitch from the Government side to accept this suggestion of the hon. Member. Moreover the report of the Committee will also be presented in the House when we can see the feasibility of the organisation.

In a democratic set up there are three main wings of the Government—Legislature, executive and judiciary. These three wings have been formed to have control on one another. But in our counry the administration of justice is very costly and people don't get justice in time. Hence an organisation of the type of ombudsman must be there in the country so that in order to get justice people may not have to spend more. This will also help them in getting justice in time. In case justice is not met to the people in time they begin to feel as if this system is not good. Therefore, in order to protect this system, we must set up such an organisation which can help the people in getting justice in time.

I don't know whether in this organisation there will be one Member or there will be a committee because in case there is one Member he will not be able to do justice to the complaints of forty-six core persons.

I fully support the Resolution of the hon. Member and I think that we should not miss this opportunity by not accepting it.

Shri Yashpal Singh (Kairana): I am grateful to Dr. Singhvi for having brought this Resolution. He has realised the need of the country. Millions of our countrymen cannot get justice because it is delayed. Justice delayed is justice denied.

[Shri Yashpal Singh]

Therefore,in order to give justice to the people in time such an organisation should be formed which can hear the grievances of the people and remove them.

We should put an end to the system which is prevalent in the Country since the English rule because they had introduced this system to perturb the people.

In order, therfore, to remove these difficulties I don't think there is any other alternative left but to accept the Resolution of Dr. Singhvi.

To file a suit in the court of law is so expensive that people have to spend a lot in this connection. Therefore there is imperative need today for machinery in India which should be based on the model of Ombudsman. Then in that case people will not have to spend much. It will also add prestige to our country. There was a time when one could go to the adjudicator without any hindrance but today as Shri Karni Singhji has said it is easier to climb the everest than to see a Minister. Therefore we must accept Dr.Singhji's Resolution.

I would request Dr. Singhvi not to take back this Resolution and would request the Home Minister to accept it because this Resolution is an innocent one.

Had this Resolution been brought forward a year ago the trouble that arose in U.P. between the Legislative Assembly and the High Court could have been easily tackled.

In case we want the country to prosper we must change the existing system because otherwise people will remain engaged in litigation and will be able do nothing for the prosperity of the country.

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं डा० सिंघवी के संकल्प का समर्थन करता हूं । इस समय देश में ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो लोगों की शिकायतों की जांच करके उन्हें दूर कर सके । ऐसी संस्था स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में प्रचलित ओम्बड्समैन जैसी संस्था हो तो और भी अच्छा है ।

लोगों की शिकायतें सुनने के लिये एक अधिकारी अथवा आयुक्त होना चाहिये जो निष्पक्ष रूप से उनकी शिकायतों की जांच कर के उन्हें शीघ्र दूर कर सके ताकि सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त हो सके । उस का काम प्रशासन द्वारा की गई गलतियों एवं ज्यादतियों की भी जांच करना हो । उसे अधिकारियों और विधायकों के विरुद्ध की गई शिकायतों को सुनने का भी अधिकार होना चाहिये । उसे किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उसकी जांच करने का अधिकार अवश्य होना चाहिये ।

ऐसे अधिकारी केन्द्र में, राज्यों में तथा जिलों में भी होने चाहियें । प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें मिलने का अधिकार होना चाहिये ।

ऐसे अधिकारी कानून की विद्या में सम्पन्न होने चाहियें, पूरे ईमानदार होने चाहियें तथा सरकारी दबाव तथा निहित स्वार्थों से स्वतन्त्र होने चाहियें । वे बहुत योग्य, कार्यकुशल तथा लोगों का आवभक्त करने वाले व्यक्ति होने चाहियें ।

अब मैं यह बतलाऊंगा कि ऐसे व्यक्तियों की हमारे देश में क्यों आवश्यकता है। उनकी इस लिये आवश्यकता है क्योंकि प्रशासन में बहुत सी प्रक्रियाओं के कारण देरी होती है जिस से गरीब लोगों को कठिनाई होती है। जनसाधारण की तकलीफों को दूर करना लोकतन्त्र का मुख्य ध्येय है। जनसाधारण के लिये न्यायालयों में जाना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है तथा इसके अतिरिक्त देर भी बहुत लगती है।

इसलिये ऐसे अधिकारियों का भारत में होना अनिवार्य है तथा देश के बहुत से प्रसिद्ध अधिकारियों ने ऐसी मांग भी की है। इस प्रकार की व्यवस्था होने से देश में लोगों को कानून और न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं यह विरोध इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं चाहता, परन्तु मैं इसलिये विरोध कर रहा हूं कि सरकार ने किसी दूसरे रूप में इस बारे में व्यवस्था करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। आप इसे आयुक्त कहें अथवा "ओम्बड्समैन" कहें। क्योंकि सरकार ने सिद्धान्त के तौर पर यह बात मान ली है, इसलिये हमें आयुक्त की नियुक्ति पर जोर देना चाहिये।

मैं श्री द्विवेदी की इस बात से सहमत हूं कि कार्यकारी अधिकारी को स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिये। यदि "ओम्बुड्समैन" जैसे किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाये और वह कार्यपालिका का ही भाग हो, तो यह समझ नहीं आता कि वह गम्भीर आरोपों की किस प्रकार जांच करेगा। ऐसे मामले तो न्यायालय को ही सौंपे जाने चाहियें। इस मांग के संबंध में यह गलतफहमी है कि सरकार इन अभिकरणों द्वारा भ्रष्टाचार दूर कर सकती है परन्तु इसके लिये जनता के सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिये अच्छी शिक्षा तथा चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। यदि हम किसी अभिकरण की स्थापना करते हैं तो हम यह समझते हैं कि इससे हमने भ्रष्टाचार दूर कर दिया है। मेरे विचार में इस प्रकार भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सकता। हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की आलोचना नहीं करनी चाहिये। यह एक कार्यकारी अभिकरण है जो विभिन्न मामलों की जांच करता है और सभी सरकारी पत्रों तक इसकी पहुंच होनी चाहिये। यदि शक्ति का कोई दुरुपयोग हुआ हो तो इसकी जांच की जा सकती है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम ऐसे अभिकरणों की निन्दा करें और अधिक अभिकरण स्थापित करते रहें तथा अधिकारी नियुक्त करते रहें। यह एक गम्भीर विषय है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। जहां तक सरकार का संबंध है, उसने इस संबंध में तजुर्बे आरम्भ कर दिये हैं। हमें यह देखना चाहिये कि सरकार को इसमें सफलता मिलती है या नहीं और इससे क्या परिणाम निकलते हैं। इसके बाद ही हम आगे योजना बना सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं डा० सिंघवी के संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं श्री विश्वनाथ पांडेय के इस संशोधन का भी समर्थन करता हूं कि इस समिति में लोक-सभा के दस तथा राज्य सभा के पांच सदस्य होने चाहियें। हमें जनता से कितनी ही शिकायतें आती हैं परन्तु हम उनकी सहायता नहीं कर सकते। नौकरशाह जनता की शिकायतों की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिये इस संकल्प को सभा का भारी समर्थन प्राप्त है। ऐसी धारणा बन चुकी है कि इस देश में उस समय तक कोई काम नहीं होता जब तक आन्दोलन तथा भूख हड़ताल न हो। इस धारणा को दूर किया जाना चाहिये। मैं श्री माथुर द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करता हूं जिनका उल्लेख राजस्थान

[श्री नरेन्द्र सिंह महिड़ा]

सरकार द्वारा स्थापित की गई प्रशासन सुधार समिति के प्रतिवेदन में किया गया है। श्री माथुर ने "ओम्बड्समैन" की अर्हतायें और नियुक्ति आदि के बारे में सुझाव दिया है। माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि इन सुझावों पर अमल किया जाए। गुजरात में लोगों को खाद्यान्न के बारे में काफी कठिनाई रही और सरकार इस संबंध में कुछ न कर सकी। यदि लोग संसद् सदस्यों, राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के पास आते तो वे भी व्यक्तिगत रूप में कुछ न कर सकते। हमें लोगों की भलाई के लिये मिलकर काम करना है। यदि हमारे यहां "ओम्बुडस्मैन" हो--इसे हम संसदीय पंचायत भी कह सकते हैं--तो बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं। उच्च-स्तर पर तथा मंत्रियों के स्तर पर भी भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सकता है। यदि मंत्रिगण ऐसी समिति के सामने जा कर अपने आप को दोषमुक्त करा सकें तो इससे उनकी प्रसिद्धी बढ़ेगी और इससे संसद् का सम्मान तथा देश का मनोबल भी बढ़ेगा।

मुझे आश्चर्य है कि हमारे जैसे बड़े लोकतन्त्र ने अभी तक यह प्रणाली नहीं अपनाई है। रूस में भी इस प्रकार की संस्था है और वह प्रशंसनीय कार्य कर रही है। भारत में भी यह प्रणाली अपनाई जानी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधिपति, महान्यायवादी तथा देश के बड़े बड़े विधिवेताओं ने भी इस बात का समर्थन किया है। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहती है, तो इसे इस संकल्प का, जिसे कि सभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, विरोध नहीं करना चाहिये।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मेरे गांव में ही एक एसा मामला है जहां एक हरिजन को पिछले 17 वर्षों से पेंशन नहीं मिली है और हम उनकी सहायता करने में असमर्थ हैं। इसलिये मेरा विचार है कि "ओम्बड्समैन" जैसी संस्था से काफी सहायता मिलेगी और माननीय मंत्री इस संकल्प को स्वीकार करेंगे।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : सभापति महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो यह कहते हैं कि इस देश का प्रत्येक राजनीतिज्ञ भ्रष्ट है। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि मंत्रियों को सन्देहातीत होना चाहिये।

पिछले दिनों में मूंदड़ा कांड तथा डालमिया कांड हुये हैं और इससे हमारे राजनीतिज्ञों में तथा संसदीय लोकतन्त्र में लोगों का विश्वास उठ गया है। इसलिये कांग्रेस सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उन लोगों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं, एक संस्था स्थापित करे। पंजाब के मुख्य मंत्री श्री कैरों पर आरोप लगाये जाते रहे और हम चुप बैठे रहे। बाद में इसकी जांच की गई और उसके परिणाम हमें मालूम हैं। उड़ीसा कांड से भी हम भली प्रकार परिचित हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट हमारे सामने है। इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप मुख्य मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। इसलिये यह सत्तारूढ़ दल के हित में है और यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों के हित में है कि वे अपने बारे में जांच होने दें। भ्रष्टाचार बन्द होना चाहिये। आज यह देश की सब से बड़ी समस्या है। जब तक कि हमारे मंत्रियों पर सन्देह होता रहेगा, संसदीय प्रजातन्त्र जीवित नही रह सकता।

कांग्रेस के बंगलौर में हुये अधिवेशन में मैंने इसी प्रकार का एक संकल्प प्रस्तुत किया था परन्तु मैंने वह इस आश्वासन पर वापस ले लिया कि मंत्रियों की आय विवरणियां पार्टी द्वारा मांगी जायेंगी। परन्तु यह निर्णय कब लागू किया गया ?

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Rananjai Singh (Musafirkhana): I feel that the spirit behind the resolution, moved by Dr. Singhvi is quite good. Considering the conditions prevailing in the country it is necessary to conduct an inquiry into the various affairs. Whatever step we take, we should take it thoughtfully and bring to light every case of corruption. There are so many complaints. In the prevailing circumstances it is necessary that some institution is set up which can investigate public grievances and redress them.

I support the resolution.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प लाने के लिए मैं डा० सिंघवी को धन्यबाद देता हूं। मैं इस संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। जब हम भ्रष्टाचार को इतना फैलता हुआ देखते हैं और मंत्रियों के बारे में भी भ्रष्टाचार के मामले सुनते हैं तो हमारा विश्वास सरकार पर से उठ जाता है। लोग अंधेरे में भटक रहे हैं और उन्हें यह पता नहीं लगता कि उनकी शिकायतें कहां दूर हो सकती हैं। क्योंकि सत्तारूढ़ दल को बहुमत प्राप्त है, इसलिये वह इन भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण दे रहा है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय ऐसी कोई संस्था नहीं है जो लोगों की शिकायतों की जांच कर सके। तथा उन्हें दूर कर सके। अब समय आ गया है कि "ओम्बड्स्मैन प्रकार की स्था इस देश में स्थापित की जाये जोकि सीधे संसद् की उत्तरदायी हो और जिसे लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिकार प्राप्त हों। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि उस पर कोई भी राजनैतिक प्रभाव न पड़ सके। हम केवल "ओम्बड्स्मैन" जैसी संस्था से ही न्याय की आशा कर सकते हैं।

इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम ने भ्रष्टाचार का निवारण करना है तो एक या दो मामलों को हल करने से यह नहीं होगा। हमें इसकी जड़ों तक पहुंचना होगा। परमिटों, लाइसेंसों तथा कोटों से ही आज भ्रष्टाचार फैल रहा है। यह प्रणालियां बन्द करनी होंगी। इसीलिये स्वतंत्र पार्टी आरम्भ से ही इस बात पर जोर दे रही है कि लाइसेंस, परमिट तथा कोटे देने का काम एक स्वतंत्र प्राधिकार द्वारा किया जाना चाहिये। केवल इसी प्रकार हम बहुत हद तक भ्रष्टाचार समाप्त कर सकते हैं।

श्री खाडिलकर (खेड़): उपाध्यक्ष महोदय, सभा को मालूम ही है, कि एक भ्रष्टाचार निवारण समिति बनाई गई थी। इस समिति ने, सभा के समक्ष जो संकल्प इस समय प्रस्तुत हैं, इसके वस्तु-विषय की अर्थात् "ओम्बड्स्मैन" प्रकार की संस्था की पूरी-पूरी जांच की थी और भ्रष्टाचार की समस्या पर विचार करते समय समिति ने इस बुराई को दूर करने के लिये कुछ तरीके भी निकाले थे क्योंकि भिन्न-भिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण होता है। इसलिये इस समिति ने, जहां तक मंत्रियों के स्तर पर भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, एक नामिका (पैनल) का सुझाव दिया था। जहां तक "ओम्बड्स्मैन" जैसी संस्था का प्रश्न है, समिति का यह विचार

[श्री खाडिलकर]

था कि इस देश का राजनैतिक तथा सामाजिक वातावरण भिन्न होने के कारण यहां ऐसी संस्था स्थापित न की जाये। इस संकल्प का सिद्धान्त ठीक है। परन्तु "ओम्बड्समैन" का यहां नियुक्त किया जाना ठीक नहीं होगा और इससे लोगों के इन बिचारों में कोई नहीं परिवर्तन नहीं होगा कि प्रत्येक स्तर पर शिकायतें हैं और वे दूर की जानी चाहियें। मुख्य बात यह है कि नागरिकों की शिकायतों को किस प्रकार दूर किया जाये, इस के लिये किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये तथा हम प्रशासन की अनियंत्रित शक्ति पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकते हैं।

भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति ने यह सुझाव दिया है कि एक लोक शिकायत निदेशालय स्थापित किया जाना चाहिये। यह खेद का विषय है कि सरकार ने यह सुझाव नहीं माना है हालांकि उस ने सतर्कता आयोग स्थापित करने की सिफारिश मान ली है। यद्यपि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जनता की शिकायतें दूर करने के लिये किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाये, किन्तु मुझे खेद है कि आरम्भ में ही उस ने यह गलती की है कि वह यह काम मंत्रालय के एक अधिकारी को सौंप रही है। यदि मंत्रालय का कोई अधिकारी शिकायतों की जांच करने के लिये नियुक्त किया जाये तो न्याय की कोई सम्भावना नहीं रहती। यदि न्याय किया भी जाये तो भी लोग यह नहीं समझेंगे कि न्याय किया जा रहा है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि मुख्य न्यायाधिपति तथा महान्यायवादी के मत को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि जनसाधारण की सभी शिकायतों को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था बनाई जाये जो नौकरशाही के नियंत्रणाधीन नहीं हो। जब तक हमारे राजनीतिक जीवन में सुधार नहीं होता तब तक देश के सामान्य वातावरण में सुधार नहीं हो सकता। नामिका बनाने के बारे में जो सिफारिश की गई है उसे भी स्वीकार किया जाना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Mr. Deputy Speaker, I support the resolution. In this country there is a competition going on between the rising prices and corruption. Even in spite of our taking steps to remove this evil, it is taking roots. The Government did not spare any effort to check this desease but because of the weak policy adopted by the administration, it could not be cured. On the charges of corruption the high-ups are not caught but the low placed people are arrested. We lay our hands on patwaries or a police man but we let go the Chief Ministers etc. I want to submit that had even one of them been punished severly or shot dead in Chandni Chowk, the corruption might have ended. But on the other hand they are being encouraged. The Government do not pay any heed to the inquiry conducted by the police or the Committee. For this purpose an impartial committee should be constituted. As a matter of fact until the prices are brought down, the corruption will go on increasing.

Of course, it is necessary to have an institution of the type of Ombudsman which could investigate and redress the grievances of the people. But mere appointment of a committee or an institution will not help. What is necessary is that the persons found guilty should be awarded severest punishment.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह न समझ सकी कि इस संस्था की स्थापना कर के वास्तव में डा० सिंघवी क्या चाहते हैं। मेरे विचार में इस समय आवश्यकता इस बात की है कि लोगों की शिकायतें सुनने के लिये लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति की भांति संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये। यह समिति न केवल

जनता की शिकायतों बल्कि उन संस्थाओं की शिकायतों की जांच भी करे जिनको प्रशासन से कुछ कठिनाइयां होती हैं ।

नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जैसे देशों में "ओम्बुड्समैन" इसलिये सफल रहा है कि वहां की परिस्थिति यहां से भिन्न है । लोक लेखा समिति तथा अन्य समितियों को इस लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रशासन वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल कार्य नहीं करता । फाइलें एक स्थान पर अधिक दिनों तक रुकी रहती हैं और इसलिये भी प्रशासन में भ्रष्टाचार है । जिस समिति का मैंने सुझाव दिया है उसे इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये । यदि सभी लोग, चाहे वह जन-साधारण हो, राजनीतिज्ञ हो, व्यापारी हो अथवा प्रशासक हो, अपना कर्तव्य ठीक प्रकार निभाये तो इस देश से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने चर्चा के दौरान ऐसी बातें कही हैं जो इस संकल्प के क्षेत्र से बाहर थीं । इसलिये उत्तर देते समय मैं इस संकल्प की भावना तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा ।

जहां तक इस संकल्प के विषय का सम्बन्ध है, सदस्यों ने दो भिन्न-भिन्न पहलुओं को मिला दिया है, अर्थात् भ्रष्टाचार का प्रश्न तथा जनता की शिकायतों का निवारण करने का प्रश्न । जहां तक किसी समिति के नियुक्त किये जाने का सम्बन्ध है; हमने पहले ही सन्थानम समिति नियुक्त की थी और इस समिति को केवल भ्रष्टाचार के उन्मूलन की जांच का कार्य ही नहीं सौंपा गया था परन्तु उसे इस बारे में अन्य उपाय सुझाने के लिये भी कहा गया था । इस समिति ने सिफारिश की है कि एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त होना चाहिये जिस के अधीन तीन संगठन हों—एक निदेशक हो जो लोगों की शिकायतों का निवारण करे, दूसरी पुलिस संस्था हो जो जांच-कार्य करे तथा तीसरा संगठन सतर्कता सम्बन्धी विषयों के बारे में कार्य करे ।

यदि संसद्-सदस्यों की समिति नियुक्त किये जाने का प्रश्न है, तो यह समिति पहले ही नियुक्त हो चुकी है और इस समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष है । अब इस प्रतिवेदन के लागू करने का प्रश्न है । सरकार का इस ओर क्या रूख है ? श्री खाडिलकर ने ठीक ही कहा है कि यदि आप केन्द्रालय में ही एक अधिकारी इस सम्बन्ध में नियुक्त करेंगे तो यह ठीक उपाय नहीं होगा ।

एक और पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिये यह है कि जनता की शिकायतों के निवारण से क्या अर्थ है ? इसका यह अर्थ है कि प्रशासन, लोगों की शिकायतें सुने, विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में विलम्ब न हो और प्रशासन व्यवस्था, उसे सौंपे गये गये कार्यों को इस प्रकार निपटाये कि शिकायतों का कोई कारण न रहो ।

इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है । देखना यह है कि इन व्यवस्था का क्या रूप हो, यह दूसरे देशों में, स्थापित "ओम्बुड्समैन" की तरह हो अथवा उस से भिन्न हो । यदि हम स्वीडन के "ओम्बुड्समैन" के कार्यों की जांच करें, तो हम देखेंगे कि राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच वहां 'ओम्बुड्समैन" द्वारा नहीं की

[श्री हार्थ]

जाती । वहां की सरकार के सदस्य इसके नियंत्रणाधीन नहीं आते । एक दूसरे लेख में, जो "ओम्बुड्समैन" के एक सदस्य द्वारा लिखा गया है, यह कहा गया है कि मंत्रियों पर "ओम्बुड्समैन" का कोई नियंत्रण नहीं है । लोक-सभा सचिवालय द्वारा तैयार की गई एक विवरणिका में यह भी कहा गया है कि स्वीडन, नार्वे तथा न्यूज़ीलैंड के मंत्री "ओम्बुड्स्मैन" के क्षेत्र में नहीं आते ।

यदि ओम्बुडस्मैन (जनता की शिकायतों के निवारण की संस्था) की बात मान भी ली जाये तो इसके कार्यक्षेत्र, कर्तव्यों तथा अधिकारों आदि के प्रश्न पर माननीय सदस्यों को सन्तोष नहीं होगा। हमने जनता की व्यथाओं तथा शिकायतों के निवारण के लिये पहले ही से व्यवस्था कर दी हुई है। ओम्बुड्स्मैन का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसे निरीक्षण का अधिकार होता है। जहां पर इस संस्था की व्यवस्था है, वहां यह पाया गया है कि इस के निरीक्षण के कारण ही शिकायतें उत्पन्न होती हैं। यह संस्था न्यायालयों का भी निरीक्षण कर सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका भी इस के अधीन है ।

इस से देखा जायेगा कि ओम्बुड्स्मैन कार्यालयों, न्यायालयों तथा विभागों का निरीक्षण कर सकता है। जब वह देखता है जनता की शिकायतें वास्तव में ठीक हैं तो यह सरकार को कार्यवाही करने की सिफारिश करता है। इसे अपराधी को दण्ड देने का अधिकार नहीं है। हां इसे अभियोग चलाने का अधिकार है। स्वीडन जैसे देश में यह संस्था ठीक है क्योंकि वहां शिकायतें बहुत कम होती हैं परन्तु भारत में शिकायतें बहुत होती हैं। इसी लिये हम ने प्रत्येक मंत्रालय में शिकायतें सुनने के लिये एक विभाग की स्थापना कर दी है। हम इस व्यवस्था से लाभ उठाना चाहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस संस्था को स्थापित किया जाये ।

भ्रष्टाचार तथा जनता की शिकायतें दो भिन्न प्रश्न हैं। भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयों के लिये हम ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कर दी है। जहां तक सामान्य शिकायतों का सम्बन्ध है सरकार इस पर विचार कर रही है। चाहे यह एक पृथक विभाग हो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सम्बद्ध हो इस पर विचार किया जा रहा है। ऐसे भी मामले हैं जहां किसी अधिकारी ने मनमानी की हो और सामान्य जनता को हानि तथा कठिनाई हुई हो। इस प्रकार के मामलों की शिकायत केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पास की जा सकती है। वह इस सम्बन्ध में जांच करता है और आवश्यक कार्यवाही करता है और इस प्रकार शिकायतों आदि का निवारण किया जाता है। इस प्रकार हमारे यहां पहले ही उपयुक्त व्यवस्था है । जब अधिकारियों के विरुद्ध लोगों के कार्य में अकारण विलम्ब होता है तो लोगों को वास्तव में ही बहुत कठिनाई होती है । इसके लिये हम ने चार समितियों की नियुक्ति की है। यह संहिता सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में विचार करेंगी।

हमें लोगों की शिकायतों तथा भ्रष्टाचार को एक ही विषय नहीं समझना चाहिये। सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले व्यवस्था कर दी है। जो त्रुटियां अभी शेष रह गई हैं उन को दूर करने पर विचार हो रहा है। हम जनता की मुश्किलों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं और चाहते हैं कि उनको शीघ्र समाप्त कर दिया जाये। यह कहना कि सरकार इन बातों के बारे में कोई कदम नहीं उठा रही, गलत बात है। संसद् के दोनों सदनों की एक विशेष समिति गठित कर दी है और उस की 14 अप्रैल को बैठक भी हुई है। इस बैठक में ओम्बुड्स्मैन के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई थी। उस में गृह-कार्य मंत्री ने ये सब बातें विस्तार से बतायीं थी। तीन मुख्य बातें इस प्रकार थीं। एक तो प्रशासनिक विलम्ब के

सम्बन्ध में है, दूसरी है लोगों की शिकायतों के निवारण के लिये व्यवस्था का प्रबन्ध करना। इस से ओम्बुड्स्मैन की मांग भी सम्बद्ध है तथा तीसरी है नियन्त्रण की बात। इस सब पर प्रशासन सुधार समिति का संसद् सदस्यों का विशेष सलाहकार दल विचार करेगा। सरकार शिकायतों के निवारण के बारे में व्यवस्था करने के विरुद्ध नहीं है। हम ने इस सम्बन्ध में पहले ही कदम उठाये हैं। ऐसी स्थिति में मैं डा० सिंघवी से अनुरोध करता हूं कि अपना संकल्प वापिस ले लें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सभी सदस्यों ने मेरे संकल्प के पक्ष में बात कही है। इस से सरकार अवश्य प्रभावित हुई होगी। यहां पर व्यक्त किये गये विचारों की उपेक्षा करना सरकार के लिये उचित नहीं। मैं श्री द्विवेदी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने, बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है और इस संकल्प का समर्थन किया है। श्री विद्यालंकार ने अपनी विमति व्यक्त की है। उन्होंने मेरी बात का समर्थन भी किया है और विरोध भी। मंत्री महोदय ने भी कुछ बातें कहीं हैं जैसे कि संथानम समिति की स्थापना की गई थी। परन्तु खेद की बात है कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। श्री खाडिलकर इस समिति के सदस्य थे। उन्होंने ऐसी ही बात कही है। लगभग दो साल हो गये हैं और जब भी यह प्रश्न उठाया जाता है सरकार का उत्तर होता है कि इस पर विचार हो रहा है। इस से राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की प्रगति में बाधायें आ रही हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि संथानम समिति ने ओम्बुड्स्मैन जैसी संस्था की सिफारिश नहीं की थी परन्तु इस समिति ने भ्रष्टाचार समाप्त करने की अन्य बहुत सी सिफारिशें की थीं। क्या वे मान ली गई हैं? ओम्बुड्स्मैन से सामान्य जनता को बहुत लाभ होगा। यह संस्था तो एक विशेष संस्था होगी। भ्रष्टाचार के समाप्त करने में तो यह सहायक होगी ही, साथ साथ इस से लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिये भी एक संस्था मिल जायेगी। लोगों को अपनी व्यथायें बताने के लिये एक जगह मिल जायेगी। मंत्री महोदय ने बातों को बड़े अस्पष्ट शब्दों में कहा है। उन्होंने यह माना है कि लोगों की शिकायतें सुनने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये परन्तु उस पूरे प्रश्न पर अभी तक विचार हो रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि इस विषय पर अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लग जायेगा। कहा गया है कि एक तालिका की स्थापना की जायेगी। इसके कर्तव्य तथा अधिकार क्या होंगे? सरकार को स्वयं इसका पता नहीं। इस प्रकार देखा जायेगा कि सरकार स्वयं किसी निश्चयात्मक ढंग से विचार नहीं कर रही है। इस पर हमें खेद है।

पिछले दो तीन वर्षों से मैं इस प्रश्न को उठाता रहा हूं और प्रत्येक बार सरकार की ओर से उत्तर मिला है कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है। सरकार विचार कर रही है कि किस देश की प्रणाली यहां भारत में उपयुक्त रहेगी। इस को देखते हुए मैं यह संकल्प लाया हूं। हमें आशा है कि सरकार इस को स्वीकार कर लेगी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग मंत्रियों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ है? यह आयोग तो केवल सरकारी कर्मचारियों में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने के लिये है। सरकार ने संथानम समिति की एक राष्ट्रीय तालिका गठन करने सम्बन्धी सिफारिश नहीं मानी है। सरकार की यह प्रवृत्ति बन गई है कि एक बात को सिद्धांत रूप से मान लेती है परन्तु व्यावहारिक रूप देने में हिचकिचाती है। इस प्रकार की नीति से देश के प्रशासन तथा सामान्य जनता को बहुत हानि होती है। हमारे गृह-कार्य मंत्री ने भ्रष्टाचार समाप्त करने का निश्चय किया है। यह बहुत सराहनीय बात है। इस निश्चय में वह कहां तक सफल होते हैं हमें देखना है। यदि सरकार वास्तव में ही भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहती है और लोगों की शिकायतों को दूर करने का प्रबन्ध करना चाहती है तो उसे ओम्बुड्स्मैन जैसी संस्था की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री के उत्तर से प्रभावित नहीं हुआ हूं। मुझे खेद है कि मेरी आत्मा मुझे इस संकल्प को वापिस लेने से रोकती है अतः मैं इसे स्वयं वापिस नहीं लेता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 3 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि जनता की शिकायतों की छानबीन करने और उनका निवारण करने के हेतु एक उपयुक्त व्यवस्था की स्थापना की सम्भावना और उसके स्वरूप पर विचार करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिये जो स्केंडिनेविया के देशों तथा न्यूज़ीलैंड में विद्यमान "ओम्बुड्स्मैन" से मिलती जुलती संस्था की स्थापना की सम्भावना पर भी विचार करे।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 14; विपक्ष में; 37

Ayes 14; Noes 37

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

भारतीय सीमाओं की रक्षा के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE* DEFENCE OF INDIAN BORDERS

श्री कृष्णपाल सिंह : (जलेसर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा की राय है कि पाकिस्तान, चीन तथा बर्मा के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा की व्यवस्था में और सुधार किया जाना चाहिये और उनकी रक्षा का कार्य व्यापक रूप से रक्षा सेनाओं की देखभाल में होना चाहिये।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात्-लोक सभा सोमवार, 26 अप्रैल, 1965/बैशाख 6, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Elven of the Clock on Monday April 26, 1965/Vaisakha 6, 1887 (Saka).

GMGIPND--LS III--700 (Ai) LSD--24-7-65--600.